राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४८वां दिवस [संख्या २६

बुधवार, १० दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ११३६

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११४०

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

करोली शहर में नलों की व्यवस्था

११४१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या करोली शहर में पानी की सुविधा देने के लिये स्थानीय म्युनिसिपेलिटी द्वारा नल लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कब और इस कार्य पर कुल कितना खर्चा हुआ और क्या नल नियमित रूप से चालू हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि जहां जहां बाज़ारों और गलियों में नल लगे हुए हैं वहां नालियां नहीं होने से कीचड़ और गन्दगी रहती है ?

(ग) क्या यह सही है कि नागरिकों के घरों पर भी पानी के नल हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार घरों पर भी नल लगाने का विचार रखती है ?

(घ) क्या सरकार जहां जहां नगरपालिका के पानी की अव्यवस्था होती है जांच करवाती है ? अगर हां, तो अब तक कितनी बार, कब कब जांच की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) वाटर सप्लाई स्कीम सरकार द्वारा सन् १९५२ में कार्यान्वित की गई थी तथा इस कार्य में ८६,२७६ रुपये खर्च हुए। नल नियमित रूप से चलते हैं ।

(ख) जी नहीं । बोर्ड की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से नालियां अभी नहीं बन पायी हैं ।

Page No.2

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) जी नहीं। क्योंकि मुख्य नल ३।४ और १।२ का है। अत: घरों में कनेक्शन अभी नहीं दिये हैं। इस प्रश्न पर बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर विचार किया जायेगा।

(घ) जी नहीं। अव्यवस्था की सूचना सरकार को न मिलने से जांच नहीं की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर माताजी का बड़ा भारी मेला भरता है और उससे आमदनी पचास हजार की आती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो बोर्ड को करना चाहिये, इसमें मुझे एतराज थोड़े ही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फिर आर्थिक स्थिति कहां खराब रहती है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। फिर बोर्ड क्यों नहीं बनाता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड ने यह जबाब दिया है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह बताया कि यह व्यवस्था, यदि सरकार के पास जानकारी आये, तो कर सकती है। तो किसके पास से जानकारी आये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्केलेम वाटर के नल म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से लगे हुए हैं। प्राइवेट नल लगाने की बात है तो म्युनिसिपल बोर्ड इजाजत देगी तो होंगे ? उसने बजट में प्रोवाइड नहीं किया है। अगर आप चाहें और म्युनिसिपल बोर्ड चाहे तो कर दें। हमें कहां एतराज है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है। जहां म्युनिसिपल बोर्ड है, पानी की जहां व्यवस्था है और आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है तो फिर सरकार क्यों नहीं व्यवस्था करवाती है ?

श्री अध्यक्ष : म्युनिसिपेलिटी को बाध्य कैसे कर सकते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मिनिस्टर साहब करें या डाइरेक्टर साहब करें।

श्री अध्यक्ष : वे करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट क्या हुई ?

प्रश्न संख्या ११४२

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सोने का तस्कर व्यापार

११४३. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** Will the Home Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the smuggling of Pakistani gold into India across the Rajasthan border has increased during the current year ? If so, why ?

(b) How many establishment

Page No.3

(श्री पी० के० चौधरी)

are set up by the Government of India as well as by the Rajasthan Government to fight this menace and how much gold has been seized by each of these establishments during the year? How much by R. A. C., how much by the Anti smuggling Squad of District Police and how much by the Central Customs Authority? Figures of seizure by each one of them may be given seperately.

(c) In how many cases prosecutions have been launched against the parties and in how many cases the parties have been let off without prosecution?

(d) Is it correct that some Government servants are suspected of complicity in these activities and some of them have been caught red handed? If so, the name of such government servants may be given?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (अ) ऐसा ही ख्याल है, क्योंकि भारतवर्ष और पाकिस्तान में सोने की कीमत में बहुत फर्क हैं।

(ब) इस बुरे व्यापार को रोकने के लिए दो महकमे हैं (१) स्टेट पुलिस, (२) लैंड कस्टम्स। इस साल के माह सितम्बर के अन्त तक जिला पुलिस सी. आई. डी. व आर. ए. सी. द्वारा निम्नांकित अवैध सोना पकड़ा गया। ज़िला पुलिस ६७७६ तोले ६ माशा और आर. ए. सी. ५४५० तोले ११ माशा, सी. आई. डी. १५६४ तोले ३ माशा। लैंड कस्टम्स विभाग ने जो अवैध सोना पकड़ा उसकी सूचना इस विभाग के पास नहीं है।

(स) यह सूचना पुलिस विभाग से नहीं मिल सकती है क्योंकि अवैध सोना पकड़ने के बाद शीघ्रातिशीघ्र सब मुकदमे केन्द्रीय सरकार के लैंड कस्टम्स विभाग को उचित कार्यवाही हेतु सुपुर्द कर दिये जाते हैं।

(ड) पुलिस विभाग के ऐसे कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : आपने 'बी' के जवाब में टोटल क्वान्टिटी ऑफ गोल्ड बतायी वह है १३,७५० हजार तोला जब कि २६-६-५८ को पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग में आई. जी. पी. ने बताया कि १५,७५० हजार तोला पकड़ा गया, तो फिर यह दो हजार तोले सोने का फर्क कैसे आता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आई. जी. पी. ने पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग में क्या बताया, यह मैं नहीं कह सकता। डिपार्टमेन्ट ने जो फीगर्स दिये हैं, वे ही मैंने आपको बताये हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आई. जी. पी. ने बताया है, पेपर्स में आया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not in the know of the statement which the Inspector General of Police is said to have given before.

श्री श्रीभानसिंह : Is the I.G.P. supposed to give correct figures?

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know.

Page No.4

श्री श्रीभानसिंह : Will the Hon'ble Minister enquire about the contradiction in the figures supplied by him.

श्री दामोदरलाल व्यास : Certainly I will find out.

श्री तनसिंह : यह जो सूची दी है आपने उसमें बाड़मेर के बिरदीचंद और नाथूसिंह जिनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है दो हजार ४ तोला सोना को गबन करने की उसमें उनका नाम क्यों नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा था...

Is it correct that some Government serv ants are suspected of complicity in these activities and some of them have been caught redhanded ? If so the name of such Government servants may be given ? गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की सूची पेश की है।

श्री तनसिंह : सूची का मतलब यह नहीं है कि रेड हैन्डेड की ही हो, लेकिन जो उससे सम्बन्धित हैं या उसमें सम्मिलित हों उनका भी सवाल है। सस्पेक्टेड का सवाल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसके लिए पूछ रहे हैं ?

श्री तनसिंह : बिरदीचन्द और नाथूसिंह लिस्ट मैंने देख ली है, उसमें उनके नाम नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं है तो उस केटेगरी में नहीं आते होंगे।

श्री तनसिंह : उनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है और केटेगरी में कैसे नहीं आते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्क्वायरी चलना दूसरी बात है। दो बातें हो सकती हैं या तो बिल्कुल साबित हो जाय या मुस्तबा हो जाय, रीजनेबल सस्पीशन हो जाय। इन्क्वायरी चल रही होगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सस्पेक्टेड ऑफ कॉम्पलीसिटी इसमें लिखा हुआ है। फिर कैसे नहीं आता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसको आगे और पढ़ लीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : भंवरलाल सी. आई. डी. कॉन्सिटेबल जोधपुर ६ नवम्बर को पकड़ा गया था, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसको चेक-अप कर लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, दो तीन डजन नाम हैं। जिस व्यक्ति के लिए जानना चाहें उस व्यक्ति के लिए पर्टीकुलरली क्वेश्चन में पूछें जिससे कि सूचना मंगवाई जा सके। जनरल पूछा इसलिए जनरल रूप में जवाब दिया गया। पर्टीकुलर केस के साथकोई ओमिशन हो, रियायत की गई हो इस प्रकार का कोई डाइरेक्ट क्वेश्चन पूछें So that I may be in a position to furnish every information and justify whether action has been taken or not.

श्री पी० के० चौधरी : जो लोग रेड-हेन्डेड पकड़े गये उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या एक्शन लिया गया है ?

श्री पी० के० चौधरी : इसमें नहीं दिया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग आदमी के साथ अलग अलग एक्शन लिया गया है यह क्वेश्चन अलग से पूछेंगे तो उत्तर दूंगा।

Page No.5

श्री तनसिंह : ऐसे भी व्यक्ति थे जो सस्पेक्टेड थे उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई अथवा नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी के साथ रियायत नहीं की गई।

श्री पी० के० चौधरी : सब के सब रेड-हेन्डेड पकड़े गये Whether they have been suspended or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस किस के लिए पूछना चाहते हैं वह अलग से पूछें तो बता सकता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : It is a very relevent question whether they have been suspended or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already submitted, please ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री पी० के० चौधरी : One more supplementary ?

श्री अध्यक्ष : No more supplementary.

प्रश्न संख्या ११४४

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

कृषि उत्पादन हेतु टोंक जिले में तालाब तैयार करवाना

११४५. रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(१) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टोंक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से तालाब कृषि उत्पादन हेतु तैयार कराये गये ?

(२) उपरोक्त तालाब कहां कहां और कितनी लागत के तैयार हुए तथा इनका काम कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ ?

(३) इन तालाबों से अब तक सरकार को कितना कितना रिटर्न मिला और कितनी नई जमीनें पीवल हुई तथा अनाज उत्पादन में क्या प्रोग्रेस हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) :—

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) विवरण सूची में दे रखा है।

(३) इन तालाबों से प्रतिवर्ष जो औसतन आमद हुई व जमीनें पीवल हुईं उनका व्यौरा संलग्न सूची में अवलोकन करें अनाज उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न कृषि विभाग से संबधित है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची तो मिली नहीं फिर भी निवेदन कर दूं, धुआं के अन्दर जो मोतीसागर बांध है उसमें सरकार की पूंजी ज्यादा लगी है, लेकिन जो आमदनी हो रही है वह बहुत कम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह बात सही [illegible] मोतीसागर से जो आबपाशी हो रही है उससे जो इन्कम होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है।

Page No.6

डॉ० चन्द्रकला : क्या इन तालाबों में से कुछ तालाब बरसात में टूट गये और सिंचाई के लिये वे किसी उपयोग में नहीं आये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह ; सरकार जब इतना रुपया लगाती है उससे न तो किसी को फायदा होता है और जो कुंए उसके नीचे आते हैं वे भी डूब जाते हैं न पीवाई होती है तो फिर इस प्रकार के तालाब बनाने से क्या फायदा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : धुंआ के मोतीसागर के लिये तो मैंने स्वीकार किया है जितना असेसमेंट था वह पूरा नहीं हो सका। ४,६०० एकड़ जमीन पीवल होनी चाहिये, लेकिन सन् १६५८ में केवल १,१३३ एकड़ ही हो सकी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि हरचन्दली और बनस्थली के तालाबों से किसी प्रकार की सिंचाई नहीं होती।

श्री दामोदरलाल व्यास : इनका संबंध इससे नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या प्रथम प्रश्न पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये नहीं बने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन तालाबों की सूची दे रखी है वह सूची मैं बता सकता हूं, मोतीसागर, डाकिहा, बिडोली, डोरिया दुलपुरा, बनाकिया, बटेर।

किशनगढ़-रेनवाल ग्राम पंचायत के चुनाव

११४६. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state :

(a) Is it correct that there were 5 candidates at the election of the Sarpanch, Gram Panchayat, Kishangarh—Renwal ?

(b) Is it correct that the Returning Officer, Tehsildar Phulera, declared a particular candidate as elected without counting the votes secured by him as well as by other candidates and that he did not declare the votes secured by each candidate ? Is it also correct that he ran away from the spot when challenged by the public for unlawfully declaring a particular candidate as elected ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण): (अ)जी, हां।

(ब) जी, नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : आपने जो पहले भाग का 'जी हां', कहा तो दूसरे केन्डीडेट को वोट कितने मिले ?

श्री दौलतराम सारण : जो डिक्लेयर किया गया है उसके अनुसार १,२०५ मिले हैं।

श्री पी० के० चौधरी : चारों केन्डीडेट्स को कितने वोट मिले हैं ?

श्री दौलतराम सारण : बाकी केन्डीडेट्स को वोट नहीं आये शायद उन्होंने समझौता कर लिया होगा।

श्री पी० के० चौधरी : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि समझौता कर लिया होगा ?

श्री दौलतराम सारण : जो डिक्लेयर हुआ उसको १,६२६ वोट मिले और दूसरे को १,२०५ वोट आये ।

श्री पी०के० चौधरी : बाकी को कितने वोट आये ?

श्री दौलतराम सारण : वोट नहीं आये ।

श्री पी०के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो उपमंत्री कह रहे हैं गलत है; दो के वोट्स काउन्ट किये गये बाकी के काउन्ट ही नहीं किये । वोट्स उनके जरूर आये हैं ये कैसे कह रहे हैं कि वोट्स नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष : He said very clearly that they got no votes.

श्री पी० के० चौधरी : Did they not get their own Votes ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना तो यही है ।

श्री श्रीभानसिंह : Did the Returning Officer declare the results on the spot or...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : On the Spot.

श्री पी० के० चौधरी : Did he declare it that he received zero votes ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह डिक्लेयर करने का तरीका नहीं है कि किस किस आदमी को कितने कितने वोट मिले ।

श्री पी० के० चौधरी : वह डिक्लेयर क्यों नहीं किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो आदमियों के फीगर्स दे दिये हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : बाकी के जो तीन आदमी थे उनके लिये भी तो कहना चाहिये दे हेव रिसीव्ड नो नोट...

श्री अध्यक्ष : How it is material here ?

श्री श्रीभानसिंह : After the election results did the returning Officer secured signatures of some responsible people.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमानुसार जो कार्यवही की जानी चाहिये थी, वह की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : We don' want to know what has happened, But no counting was done.

श्री अध्यक्ष : He should have file an election petition.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में इलेक्शन पीटिशन चल रही है कलेक्टर साहब के यहां ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मुझे मालूम नहीं है ।

प्रश्न संख्या ११४७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

आहूजा कमेटी

११४८. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Publicity

Page No.8

(श्री श्रीभानसिंह)

Public Relations be pleased to state:-

1. Did the Government appoint a Committee under Mr. Ahuja, known as 'Ahuja Committee' to enquire into the activities of the Director of Public Relations and into the wrong exercise of powers and misappropriation of money in the office of the Director of Public Relations, Rajasthan ? If so, when was this Committee appointed ?

2. What are the finding, of the 'Ahuja Committee ? When was the report submitted to Government ? Copy of Report may kindly be laid on the Table of the House.

3. What action did the Government take on the recommendations of the Committee ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (1) No-Committee was appointed under Mr. Ahuja to enquire into the activities of the Director of Public Relations, Rajasthan.

(2) and (3) Questions do not arise.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस विभाग के एक कर्मचारी की जांच के संबन्ध में श्री आहूजा को इन्क्वायरी के लिये अपोइन्ट किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यह सही है। He is a Commissioner for enpuiries.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो जांच श्री आहूजा ने की उस जांच में उन्होंने यह भी रेफरेन्स दिया है कि संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने मिस एप्रोप्रियेशन किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से प्रश्न है। आपने कमेटी के लिये पूछा वह बता दिया गया। इसके बाद आप किसी पर्टीकुलर चीज के बारे में जबाब चाहते हैं तो वह तो उस कमेटी की रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद ही दिया जा सकता है। इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछिये, उसकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर विस्तार से जबाब मिल जायगा। ऑफ हैन्ड मेरे लिये कुछ कहना पोसीबल नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : Be this committee is meant Mr. Ahuja ......

श्री दामोदरलाल व्यास : If we look to the question, the question is:did the Government appoint a committee under Mr. Ahuja, kown as "Ahuja Committee" to enquire into the activities of the Director of Public Relations.

श्री श्रीभानसिंह : So did the Government not appoint a committee knownas 'Ahuja Committoe' ?

श्री दामोदरलाल व्यास: I said 'No

श्री भैरोंसिंह : आगे के पार्ट में है and into the wrong exercise of powers and misappropriation of money in the office of the D.P.R. Rajasthan...

श्री दामोदरलाल व्यास : I said no, Sir.

किशनगढ़ नगरपालिका में पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि

११४६. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ नगरपालिका में पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि नहीं कराई जाती है ?

(२) क्या इस संबन्ध में सरकार को शिकायतें की गई हैं ? यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां।

(२) जी हां। यह शिकायत सन् १६५४ में प्राप्त हुई थी, परन्तु एक्ट में इसका कोई प्रोविजन न होने से एवं धारा ४४ ए के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा इस संबन्ध में कोई नियम न बनाने की दशा में कोई आदेश जारी नहीं किये जा सके।

अब आदर्श नियम बनाये गये हैं जिनमें इसका प्रावधान रख दिया गया है। नगरपालिका किशनगढ़ ने दिनांक ३०-८-५८ से सभा की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना आरम्भ कर दिया है।

हथियारों की जब्ती

११५०. श्री भैरोंसिह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में किस किस जिले में कौन कौन से हथियार, आर्म्स राजस्थान निर्माण के पश्चात् प्रोहिबिटेड बोर होने के नाते सरकार द्वारा ज़ब्त किये गये हैं ?

(२) इन हथियारों को सरकार द्वारा किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ किया गया है।

(३) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन हथियारों की कोई कीमत या मुआवज़ा नहीं दिया गया ? यदि हां तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, गृहमंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) राजस्थान का निर्माण होने के बाद ३०३ बोर की राइफल, ४१० बोर की मस्केट, ३८ बोर के पिस्तोल और रिवोल्वर ४४१ से ४५५ बोर तक के पिस्तोल और रिवोल्वर व ४५५-४७६ बोर रिवाल्वर पिस्तोल व ६ एम० एम० की पिस्तोल प्रोहिबिटेड बोर होने से पुलिस के पास जमा कराये गये हैं। विशेष विवरण संलग्न सूची में है।

(२) ऐसे हथियारों का डिस्पोजल करने के वास्ते सरकार ने हर जिले में कमेटियां बना रखी हैं जिसमें जिलाधीश पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट व एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस होते हैं। यह कमेटी इन हथियारों की कीमत निर्धारित करती है और उसी कीमत पर वे हथियार बेचें जाते हैं।

(३) जब ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें सरकार प्रोहिबिटेड बोर के हथियार नहीं रखने का आदेश देती है तब उन्हें यह भी आदेश देती है कि इन हथियारों को पुलिस में या किसी भी शस्त्र विक्रेता की दुकान पर जमाकर निश्चित अवधि में बेच देवें। यदि निश्चित अवधि में हथियार बेच दिये गये, तो उनकी कीमत उन्हें मिल गई या मिल जाती है अन्यथा इस अवधि के पश्चात्

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऐसे हथियार सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जब्त (confisceated) किये हुए माने जाते हैं और उनकी कीमत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि जब किसी हथियार को प्रोहिबिटेड बोर में ले लिया जाता है उसको खरीदने वाला मिलता नहीं है, ऐसी हालत में जिन लोगों के पास ऐसे हथियार रह जाते हैं उसके सम्बन्ध में सरकार क्या रियायत देना चाहती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो हथियार प्रोहिबिटेड घोषित किये जाते हैं उनको जहां तक बेचने का सवाल है.वे जो लाइसेन्स डीलर होते हैं ऐसे हथियारों को लेने के लिये उनको बेचा जा सकता है या जमा कराने के बाद सरकार किसी को खरीदने का लाइसेन्स देती है, तो वह खरीद सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : It is not clear whether this prohibited bore is generally applicable or what ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is generally applicable in Rajasthan. But certain officers are allowed to retain the prohibited bore.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इनमें से कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो आज से तीन वर्ष पहले प्रोहिबिटेड नहीं थे, तीन वर्ष के बाद वे प्रोहिबिटेड घोषित कर दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की लिस्ट है। ऐसे कुछ हथियार थे भी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। जो प्रोहिबिटेड बोर है उसकी लिस्ट आपको देदी गई है उसमें देख लीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या एम० एल० एज० को प्रोहिबिटेड बोर एलाउड है ?

श्री भैरोंसिंह : नसीराबाद में काम में लाने के लिये है।

चेयरमैन पाली नगरपालिका द्वारा नगरपालिका की जमीन किराये पर देना

११५१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली नगरपालिका के चेयरमैन ने आज तक किन किन व्यक्तियों को किस किस रेट पर नगरपालिका की जमीन किराये पर दे रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या इस जमीन को किराये पर देने का अधिकार नगरपालिका पाली के चेयरमैन को ही है या पूरी नगरपालिका को ?

(३) क्या इस नगरपालिका के बोर्ड ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया था कि नगरपालिका के चेयरमैन स्वयं जमीन को किराये पर न दें तथा कमेटी को ही किराये पर देने का अधिकार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) पिछले दस साल से अस्थायी तौर पर देने का अधिकार चेयरमैन को ही है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : यह चेयरमैन नगरपालिका, पाली, किन नियमों के अनुसार जमीन किराये पर दे सकता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपल बोर्ड को इस सम्बन्ध में हिदायतें दे रखी हैं। वे दे सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जो म्युनिसिपल एरिया में एग्रीकल्चरल लैण्ड है उसको भी क्या आबादी के पर्पज के लिये देने का अधिकार चेयरमैन को है क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर में वह लैण्ड वह आबादी की जमीन में कन्वर्ट न हो जावे तब तक नहीं दी जा सकती।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इसमें कलेक्टर या तहसीलदार की पर्मीशन की या उनके ऑर्डर की आवश्यकता ही नहीं होती पर्याप्त?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बतलावेगा पर शायद रेवेन्यू एक्ट में इसके लिए नियम बने हुए हैं। वे आप देख सकते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि चेयरमैन ने गलत तरीके से किराये पर जमीनें दी हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो एक बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि चेयरमैन ने दूसरे लोगों की भी जमीनें किराये पर दे दी हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

झुंझनूं शहर को भाखरा नांगल से बिजली का मिलना

११५२. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झुंझनूं शहर को भाखरा नांगल से आने वाली बिजली कब तक मिल जावेगी?

(ख) जब तक भाखरा नांगल की बिजली नहीं मिले, तब तक क्या डीजल जेनरेटर से बिजली देने की कोई योजना है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) सन् १९५९ के अन्त तक बिजली मिलने की सम्भावना है।

(ख) जी हां। योजना अवश्य थी परन्तु चूंकि अब भाखरा से बिजली आने ही वाली है अत: उसको बदलने का विचार है।

ग्राम नोताड़ा के अलादीन द्वारा, कंवरलाल कुम्हार के मकान के सहारे [redacted] मकान खड़ा कर देना

११५३. श्री रामनारायण वर्मा-

(श्री रामनारायण वर्मा)

(पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम नोताड़ा तहसील बड़ौद के अलादीन ने कंवरलाल कुम्हार के पुराने मकान के सहारे नया मकान खड़ा कर दिया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि अलादीन ने छुरे का डर दिखा कर कुम्हार के मकान का छप्पर हटा दिया जिससे मकान ढह गया ?

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में पंचायत से न्याय की प्रार्थना की गई थी ? क्या पंचायत ने अलादीन के मकान बनाने पर रोक का आदेश दिया था, व क्या उसका पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी हां।

(ख) ऐसी जानकारी विभाग को नहीं है।

(ग) जी हां, कार्यवाही जारी है, यह मामला पंचायत के विचाराधीन है।

जिला बोर्ड, जयपुर के कर्मचारियों की पदोन्नति

११५४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बोर्ड जयपुर के कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार पर की जाती है ?

(ख) क्या पदोन्नति के समय वरिष्ठता का कोई ध्यान किया जाता है ?

(ग) अपने दस वर्ष के काल में कभी जिला बोर्ड ने कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट घोषित की या नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) कर्मचारियों की पदोन्नति कर्मचारियों की कार्य कुशलता, योग्यता, व सीनियोरिटी के आधार पर की जाती है।

(ख) वरिष्ठता के अतिरिक्त योग्यता व कार्यकुशलता पर पर भी ध्यान दिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ११५५

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११५६

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

जिला बोर्ड, सवाई माधोपुर की हवालगी सीगे में बकाया

११५७ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर जिला बोर्ड ने हवालगी सीगे किस किसको कितना कितना रुपया दिया हुआ है और वह कब से बकाया है ? सदन के सामने सूची रखने का कष्ट करें।

(ख) इस सम्बन्ध में ऑडिट ने क्या रिपोर्ट की है और हवालगी का रुपया अब तक क्यों नहीं वसूल हो पाया है ?

Page No.13

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) : (क) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में ऑडिट ने निम्न लिखित रिपोर्ट की है :

(१) कार्य टेन्डर द्वारा होना चाहिये, (२) प्रत्येक कार्य का स्वीकृति होने से पूर्व उसका नक्शा तथा एस्टीमेट तैयार किया जाना आवश्यक है।(३) रेट्स शिड्यूल के मुताबिक होनी चाहिये, (४) सामान आदि टेन्डर द्वारा खरीदा जाना चाहिये (५) हर एक कार्य मेजरमेन्ट बुक में दर्ज होना चाहिये। हवालगी का रुपया वसूल करने की कार्यवाही जारी है।

(सम्बन्धित सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि जिन कार्यों के लिये रकम दी गई है वह बिल्कुल खर्च नहीं की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब के लिए ऐसी बात नहीं है। खर्च की जा रही है और जिन्होंने वह खर्चा नहीं किया उनकी सूचना मंगाई है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : सवाई माधोपुर तहसील की लिस्ट में १२,६००) रुपया दिया है वह सब बकाया है। बिल्कुल खर्च नहीं किया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीन लाख की रकम का सवाल था उसमें से सिर्फ ८५,२६२) का हिसाब देना बाकी है। बहुत सा हिसाब आ गया है विगत नहीं आई और मिलान नहीं हो सका, इसलिये रिपोर्ट लम्बी मालूम पड़ती है।

लालसोट- दौसा- गंगापुर रोड का पुनः निर्माण

११५८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि लालसोट, दौसा लालसोट गंगापुर के यातायात में जनता को कठिनाई होती है ?

(ख) क्या मन्त्री महोदय ने कभी सड़क का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो कब ?

(ग क्या यह सच है कि झिलमिली बान्ध को बने ४ वर्ष पूरे होने पर भी सरकार सड़क ठीक ढंग से नहीं बनवा सकी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। कभी कभी बरसात में।

(ख) पिछले वर्ष।

(ग) सड़क को और अच्छा करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह विचार कब तक किया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विचार किया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : मन्त्री महोदय ने निरीक्षण किया उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : देख कर आ गये।

डॉ॰ चन्द्रकला : किसी नतीजे पर भी पहुंचे या देख कर आकर बैठ गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तभी तो अच्छा करने पर विचार किया जा रहा है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : लारी में गये या कार में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कार में ही गया था ।

आयुर्वेदिक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

११५६. **श्री भैरोंसिंह** (माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५६-५७, ५७-५८ व ५८-५९ में संचालक, आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज से नाम मंगाये बगैर की गई और क्यों ?

(ख) जिन स्थानों पर ये नियुक्तियां की गई, वे कब कब से रिक्त थे ?

(ग) क्या इन स्थानों की पूर्त्ति के लिये विज्ञापन निकलवाया गया था ? यदि हां, तो कौन कौन सी तारीखों को और किन किन समाचार पत्रों में ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां संचालक आयुर्वेद विभाग द्वारा नहीं की जाती।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी देखा गया कि जो नियुक्तियां की गई थीं उनके पास एम्प्लोय-मेन्ट एक्सचेन्ज के सर्टिफिकेट नहीं थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये तो नियुक्तियां इन्स्पेक्टर करते हैं । आपका प्रश्न संचालक के लिये था ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब संचालक के द्वारा विभाग से ही था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने डाइरेक्टर, आयुर्वेद विभाग के बारे में सवाल किया था, उस पर मैंने कहा कि नहीं, ये नियुक्तियां इन्स्पेक्टर करता है और इसलिये उनकी जानकारी हमारे पास नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जो नियुक्तियाँ इन्स्पेक्टर्स करते हैं क्या उनका एप्रूवल डाइरेक्टर से नहीं होता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं, यह तो उनके ही अधिकार में है ।

नये टर्बाइन का अलवर में लगना

११६०. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अलवर में नया टर्बाइन कब तक काम करने लग जावेगा ?

(ख) नये टर्बाइन से बिजली कितने मील तक दी जावेगी ?

(ग) पुराने यूनिट चार्ज से नये यूनिट चार्ज में कितने कम रेट्स होंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल-व्यास) गृह मंत्री की अनुपस्थिति में : (क) ५६ के अन्त तक।

(ख) वर्तमान में केवल अलवर शहर तथा डीजल पॉवर स्टेशन के आसपास सप्लाई देने का सुझाव है।

(ग) वर्तमान में कोई रेट कम करने की सम्भावना नहीं है।

श्रीमती गंगादेवी : कितने मील आस पास तक, इसका कुछ अन्दाज नहीं है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तो यही सुझाव हैं, मील का कुछ नहीं कह सकते।

डॉ० बहादुरसिंह : यह माननीय सदस्य के क्षेत्र में भी जावेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री श्रीभानसिंह : जनता के सुझाव पर या कॉस्ट के प्रिन्सिपल को देखकर क्या गवर्नमेन्ट रेट कम करने का इरादा नहीं रखती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कॉस्ट वगैरह सभी बातों का ध्यान रखकर तै किया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : इनटर्बाइन से डीजल इन्जिन के बनिस्बत कम खर्चा आता है तो फिर रेट लो करने को सरकार क्यों नहीं तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक वह चालू न हो जावे तब तक सरकार अन्दाज नहीं लगा सकती खर्चे का। माननीय सदस्य शायद लगा सकते हैं।

श्री मती गंगादेवी : सारे शहर से मतलब दो तीन मील के आसपास का एरिया में लगावें क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारा इस समय तो १० मील के एरिया में लगाने का इरादा है पर मौजूदा स्थिति में जब तक काम चालू न हो जावे तब नहीं कहा जा सकता कि वह कितने एरिया को दे सकेगा। जितना वह दे सकेगा देंगे। फिलहाल तो जितना शहर डीजल इन्जिन से कवर्ड है उतने को देने की योजना है। इसमें अन्दाज दस मील का एरिया आ जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद : अन्दाज की बात असेम्बली में नहीं होनी चाहिये साहब।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ११६१

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११६२

श्री मोगजी भाई

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स, नगरपालिका जयपुर के कर्मचारियों पर लागू

११६३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स जयपुर नगरपालिका के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिये गये हैं ? यदि हां तो, कब से ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ख) क्या जयपुर नगरपालिका के कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्धी कोई शिकायत पिछले दिनों में किसी के विरुद्ध की गई है ? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) : (क) जी हां । दिनांक १-४-५१ से ।

(ख) जी नहीं । श्री बंशीलाल हरिजन के खिलाफ दिनांक २८-११-५७ को इस प्रकार की शिकायत की गई थी जो प्रशासक नगरपालिका के विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नगरपालिका की सर्विस में है या हटा दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस समय नगरपालिका इलेक्टेड बॉडी थी, तो एक कमेटी इनक्वायरी के लिये बनाई गई थी और कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी है वह इस समय एडमिनिस्ट्रेटर के विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसने राजनैतिक दल की सदस्यता स्वीकार की और कांग्रेस पार्टी के मेम्बर बनवाये यह साबित हो चुका है न ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो एन्क्वायरी की रिपोर्ट आई है उस पर उसको नोटिस दिया गया है, उसका जवाब आवेगा तभी एन्क्वायरी कम्प्लीट होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विचाराधीन हैं रिपोर्ट, यह आपने कहा न । फिर भी नगरपालिका के कर्मचारी को बीइंग ए मेम्बर ऑफ पोलिटिकल पार्टी सर्विस में क्यों रक्खा जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एडमिनिस्ट्रेटर आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । आखिर रूल्स के अनुसार ही तो कार्यवाही करनी पड़ती है ।

श्री ज्वालाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पूछ सकता हूँ क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी गवर्नमेंट है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सिविल सर्विस रूल्स वहां भी लागू कर रक्खे हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद : रूल्स तो एप्लाई होते हैं पर वह जब गवर्नमेन्ट नहीं, इन्डिपेन्डेन्ट है इसलिये ये सर्विस रूल्स एप्लाई करना गलत है ।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये ही सर्विस रूल्स जब वहां एप्लाई कर दिये तो म्युनिसिपैलिटी के भी रूल्स बन गये, सरकार के न सही और इस तरह से म्युनिसिपेलिटी के रूल्स से गवर्न होते हैं ।

प्रश्न संख्या ११६४

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थिति कृपया आगे देखिये)

श्री शिवनाथसिंह ।

झुंझुनू शहर के लिए वाटर वर्क्स की योजन

१.६५. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(श्री शिवनाथसिंह)

(१) क्या झुंझुनू शहर के लिए वाटर वर्क्स की कोई योजना है तथा कोई धनराशि उसके लिए मंजूर की गई है ?

(२) यदि हां, तो उस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। ६ लाख रुपये की धनराशि मन्जूर की गई है।

(२) योजना बनाने के लिए शहर की सर्वे की जा रही है करीब दो माह में योजना बन कर तैयार हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

'लोकजीवन' पत्र भीलवाड़ा को सरकारी सहायता

११६६. श्री रामनरायण वर्मा (पीपलदा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पत्र 'लोकजीवन' भीलवाड़ा को प्रतिवर्ष कितनी सरकारी सहायता मिलती है ?

(२) समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के क्या नियम हैं ?

(३) क्या उक्त नियमों को आधार मान कर ही लोकजीवन को सहायता दी जाती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) 'लोकजीवन' भीलवाड़ा को अभी कोई सरकारी सहायता नहीं गई।

(२) व (३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह

खैरावा ग्राम में कुंए की मरम्मत

११६७. श्री नत्थीसिंह (कामां) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state :-

Is the Government aware that the drinking water public well in village Kherwa, sub-tehsil Pahari, District Bharatpur, has sunk down and become out of use ?

(2) Will the Government be pleased to grant suitable aid from the Water Board to repair the Well ?

(3) If so, will it be possible to get the grant early ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) Yes.

(2) Suitable aid can be granted Under Rural Water Supply Scheme provided public is ready to contribute 1/3rd of the cost.

(3) Aid will be given as soon as public contribution is forthcoming.

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन।

भरतपुर में नलों को लगाने व कुओं का निर्माण कराने निमित्त ठेका

१[illegible]. श्री गोवर्धनसिंह केन : (बयाना) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.18

(श्री गोवरधनसिंह केन)

(१) भरतपुर में नलों को लगवाने व कुंओं का निर्माण कराने निमित्त किसको ठेका दिया गया ?

(२) यह कार्य कब तक पूरा हो सकेगा ?

(३) क्या यह सच है कि नलों के निर्माण निमित्त कुंए टेढ़े निर्मित्त हुए हैं तथा उनमें अन्य टेकनीकल खामियां होते हुए भी, उक्त खामियों को पूरा किये बगैर ही ठेकेदार को पेटेन्ट दे दिया गया ?

(४) यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक कार्यवाही सरकार ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) नलों को लगवाने का ठेका श्री मदनमोहन मथुराप्रसाद को तथा कुंओं के निर्माण का ठेका श्री जयनारायणप्रसाद और मोतीलाल गर्ग को दिया गया ।

(२) कुंओं का कार्य मार्च, १९५९ तक पूरा होने की आशा है तथा नल लगवाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है ।

(३) एक कुंआ रेली आ जाने की वजह से कुछ टेढ़ा हो गया है और उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है ।

(४) जो कुआ टेढ़ा हुआ है उसके सम्बन्ध में आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है ।

श्री गोवर्धनसिंहकेन : एक कुंआ टेढ़ा नहीं हुआ है बल्कि दो टेढ़े हुए हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी तो इसके बारे में आज ही सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर से बात हुई है उन्होंने एक ही कुंए के बारे में बताया कि टेढ़ा हुआ है ।

डॉ० बहादुरसिंह : कुंए कैसे टेढ़े हो जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुंए में नल डाली जाती हैं तो उसमें रेली निकल जाने की वज़ह से कुए टेढ़े हो जाते हैं । उससे नुकसान कुछ नहीं है । उसका फाइनल पेमेन्ट भी अभी नहीं हुआ है ।

श्री गोवर्धनसिंह : यह जानकारी कब प्राप्त की आपने ?

श्री अध्यक्ष : आज ही ।

श्री गोवर्धनसिंहकेन : जो एक कुंआ टेढ़ा हुआ आप बतलाते हैं उसकी जानकारी कब प्राप्त की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जानकारी आई हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से और मैंने आज है । उनसे टेलीफोन पर मालूम किया कि कुंए टेढ़े होने का क्या कारण है ।

श्री गोवर्धनसिंहकेन : आपने इससे पहले जानकारी नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जानकारी नहीं की; यह तो डिपार्टमेंटल जानकारी है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या इस प्रकार की शिकायत है कि जो पाइप लाइन डाली गई वह लाइन खराब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दुनियां में जो बैस्ट पाइप लाइन मिल सकती थी वह डाली गई है ।

श्री अध्यक्ष : वह टेढ़ी नहीं हो सकती।

श्री श्रीभानसिंह : क्या जो पाइप-लाइन डाली गई और ज्वाइन्ट डाले गये वह गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ज्वाइन्ट किए हुए हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्कुल होंगे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि वहां एक इन्सपेक्टर को भेजा था और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिकेशन किया था उसके मुताबिक काम नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो जब आपका सवाल मकानों के बारे में आने वाला है उस समय आपको जबाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

भरतपुर जिले में कृषि औजारों में सुधार

११६६. **श्री नत्थीसिंह (कामां) :** Will the Minister for Agriculture by pleased to state:-

1. What improved Agricultural implements have been kept at tehsil and sub-tehsil headquarters of Bharatpur District ?

2. Is the Government aware that the seed drill and other articles at the Pahari sub-tehsil headquarter, District Bharatpur are out of use and do not serve the purpose at all ?

3. Will the Government replace them by new ones immediately so that the agriculturist may be benefitted thereby ?

उपकृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

प्रश्न संख्या ११७०

(अनुपस्थित)

श्री आबिद अली।

तहसील सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायतों का चुनाव

११८१. **श्री आबिदअली :** (सवाई माधोपुर) : Will the Minister for Local Self be pleased to answer :—

1. How many Gram Panchayats in Tehsil Sawai Madhopur have not yet gone to polls for Panchayat Elections and why not ?

2. How much time is still required for the purpose ?

उपस्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१) पांच वार्डों के निर्माण के होने से व डबल मेम्बर वार्ड होने के कारण।

(२) करीब दो माह।

श्री आबिद अली : जो यह शिकायतें हुई हैं यह कब से हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : यह तो चुनावों के पहले से हैं। चुनाव अभी रोके हैं।

श्री भैरोंसिंह : चुनाव कब हुए और उनको कितना समय हो गया ?

Page No.20

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव तो अभी हुए ही नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने चुनावों का प्रोग्राम बना कर भेजा था उसके बाद में वार्डों की शिकायत आई थी। उसको अब री-एग्जामिन कर रहे हैं, अब आगे हो जायेंगे।

श्री आबिद्अली : चुनाव कब से थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रोग्राम भेजा था।

श्री आबिद् अली : प्रोग्राम को भेजे कितना समय हो गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समय के बारे में तो नहीं बता सकते।

श्री भैरोंसिंह : शुरू से ही चुनाव नहीं हुए हैं या दोबारा चुनाव नहीं हुए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाल ही में दोबारा चुनावों की बात है।

प्रश्न संख्या ११७२

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती गंगादेवी डाटा।

डिस्पेन्सरियों में दवाइयों का बजट

११७३. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डिस्पेन्सरियों व उप-डिस्पेन्सरियों में दवाइयों का वार्षिक बजट रोगियों की एवरेज पर बनाया जाता है ?

(ख) डिस्पेन्सरियां कितनी आबादी व कितनी मील की दूरी पर बनाई जाती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) डिस्पेन्सरियां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में या पांच हजार की आबादी पर बनाते हैं, लेकिन अब पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स खोले जाते हैं और वह सारे ब्लॉक्स के एरिया में होते हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : सवाल के दूसरे पार्ट का जो जवाब दिया है उसको जरा फिर बता दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि अब तक हमारे पास दो साल पहले तो डिस्पेन्सरी के नियम बने हुए थे कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर या पांच हजार की आबादी पर बना दी जाय, लेकिन सारे हिन्दुस्तान का एक पैटर्न बना दिया और वह अब ब्लॉक्स एरिया में खोलते हैं। इस प्लान में ८० सेन्टर्स खोलने का विचार है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जहां ब्लॉक्स एरिया नहीं हैं वहां नहीं खोली जायेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : करीब करीब सभी जगह ब्लॉक्स एरिया बनने वाले हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या शहरों में आबादी के हिसाब से डिस्पेन्सरियां खोली जाती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो अब आबादी पर खोलने की बात ड्रॉप कर दी है। शहरों में तो बड़े बड़े अस्पताल हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : जहां साल-छः महीने में ब्लॉक्स नहीं होने वाले हैं वहां वहां डिस्पेन्सरीज खोलने की स्कीम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, ब्लॉक्स तो सभी जगह होने वाले हैं और इस तरह सभी जगह डिस्पेन्सरीज़ हो जायेंगी।

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन जो फारेस्ट एरिया हैं और वहां आबादी भी नहीं है और न आस-पास कोई डिस्पेन्सरी है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि ब्लॉक्स सभी जगह खोल रहे हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मान लीजिए कि एक दो साल में ब्लॉक्स नहीं खुले तो क्या वहां डिस्पेन्सरीज़ खोलने का इरादा नहीं है ? कई जगह ऐसी हैं कि आस-पास की दस दस मील की जगह में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है ऐसी जगह आप क्या करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां आयुर्वेदिक औषधालय खोलते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : सवाल यह है कि जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जैसे डीग का इलाका है जहां आबादी नहीं है और वहां से डिस्पेन्सरी भी काफी दूरी पर है ऐसी जगह आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज कर दिया कि जो ऐसी जगह हैं जो इस नियम में नहीं आती तो वहां औषधालय खोलते हैं और उनके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी रिकमन्ड करती है।

डॉ० बहादुरसिंह : यहां औषधालय कब तक खोले जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगले साल १०० औषधालय खोलने की स्कीम है और इनके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी रिकमन्ड करती है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : औषधालयों में नर्सें थीं अब नर्सों को क्यों हटाया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका इस सवाल से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आप बतायेंगी किसी के बारे में तो मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : उपलब्ध नहीं होंगी।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : अभी माला-खेड़ा के अन्दर नर्स थी, लेकिन अब तीन साल से उसको क्यों हटाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। आपकी एक शिकायत थी उसको तो मैंने पहले दूर कर दी। इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। यह प्रश्न अलग से पूछें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वहां पर परिवार नियोजन का कार्य चालू है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

अजमेर शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एक्ट के अन्तर्गत व्यक्तियों का चालान

११३९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अजमेर शॉप्स एण्ड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट्स एक्ट के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों का अब तक चालान किया गया है ?

(२) इन व्यक्तियों का अधिनियम की किन किन धाराओं के अन्तर्गत चालान किया गया है ?

(३) इसमें से कितने व्यक्तियों को कनविक्ट किया गया और कितनों को एक्विट किया गया ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) १२७, सूची संलग्न है। (२) इन व्यक्तियों का एक्ट की धारा ४, धारा १२, धारा ३८ व नियम ६, १३, १४, १५, १७, १८, २३ व २६ के अन्तर्गत चालान किया गया है।

(३) कुल ६१ व्यक्तियों को सजा हुई, ३५ को छोड़ दिया गया और ३१ के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कानून क्या अजमेर में लागू किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बाकी राजस्थान के लिए कानून बन गया है वह लागू होने वाला है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह राजस्थान में कब से लागू होने वाला है।

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता : अब उसमें रूल्स पब्लिश करा रहे हैं ऑब्जेक्शनन्स आ जाने के बाद फाइनल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में प्रश्न संख्या ११४० और ११४२ नहीं पूछे गये)

जोधपुर नगरपालिका द्वारा नल, बिजली आदि की व्यवस्था

११४४. **श्री सूरजमल** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर शहर में मार्च, सन् १९५८ में नगरपालिका द्वारा कहां कहां पर नल और बिजली लगाई गई व नई सड़कों का निर्माण हुआ ?

(ख) इस माह में नगरपालिका का कितनाधन खर्च हुआ ?

(ग) यह रकम कहां से कब ली गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : (१) सूची सदन की मेज पर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रख दी गई है। इस माह में कोई नई सड़क नहीं बनाई गई है।

(२) १८,०६०, रु० ०३ पैसा।

(३) यह रकम नगरपालिका के बजट १९५७-५८ में नल व बत्ती के मद से ली गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

(श्री रामकरणसिंह, श्री अर्जुनदास, श्री लक्ष्मीचन्द, श्री भोगजी भाई की अनुपस्थिति में उनके प्रश्न नहीं पूछे गये)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या ११६४ का उत्तर दिया जाय।

हिन्डोन से करोली जानेवाली बसें ओवर लोड जाने से यात्रियों को असुवधा

११६४. **डॉ० चन्द्रकला** : (श्री उम्मेदीलाल की अनुपस्थिति में) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि हिन्डोन से करोली जाने वाली बसें ओवर लोड होकर जाती हैं जिसके कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है ? क्या सरकार ने उक्त शिकायत की जांच के वास्ते कोई अधिकारी नियुक्त कर रखा है ? यदि हाँ, तो उक्त अधिकारी का हैडक्वार्टर कहां है वह कब कब चैक करता है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जी हां। उक्त प्रकार की शिकायतों की जांच के वास्ते ट्रान्सपोर्ट इन्स्पेक्टर व सब-इन्स्पैक्टर नियुक्त हैं, जिनका हैडक्वार्टर सवाई माधोपुर है और ये ही समय समय पर चैक करते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उन इन्स्पेक्टर्स के पास जो जांच के लिए नियुक्त हैं कोई लिखित शिकायत आती है तभी वे कार्यवाही करते हैं ? बसेज में बहुत भीड़ रहती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में शिकायतें तीन तरह से हो सकती हैं, एक तो कम्पलेन्ट बुक बस में रहती है उसमें लिखने से कि फलाँ टाइम यह बस ओवर लोड चल रही थी, दूसरी राइटिंग में देने से और तीसरी हमारे पास इसका चैक है, इन्स्पेक्टर्स वगैरह नोट करते रहते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इन तीनों तरीकों में से किसी से भी यह मालूम नहीं हुआ कि बसेज ओवर लोड नहीं चल रही हैं ?

श्री नाथुराम मिर्धा : हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : कम्पलैन्ट बुक का तो हाल यह है कि १० दफा मांगने पर भी कम्पलैन्ट बुक नहीं मिलती और जितने पुलिस मैन होते हैं या थानेदार वगैरह हैं वे सब फ्री चलते हैं इसलिए वे लोग कोशिश नहीं करते हैं चैक करने की और गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक है कि पुलिस मैन वगैरह फ्री चलते हैं लेकिन अब बस ओनर्स ने एसोसिएसन बनाई है और रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं और कम्पलैन्ट बुक यदि माँगने पर नहीं मिलती है तो आप शिकायत कर सकती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : शिकायत किसके पास करें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आर. टी. ओ. के पास ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : अलवर से जयपुर के बीच में गाडियां लगभग सभी ओवर लोडेड चलती हैं । दो तीन दफा हमने चालान करवाने की भी कोशिश की. लेकिन थानेदार खुद फ्री चल रहे थे; बहुत प्रेस किया जाता है चालान करने के लिये और चालान किया भी जाता है तो गवाही में हाजरी आदि के लिये परेशान किया जाता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो मुझे भी कह सकती हैं, मैं चैक करवा लूंगा (हंसी) ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मैं मंत्रीजी से अर्ज करना चाहूंगी कि चैक करवाया जायेगा तो अच्छा रहेगा ।

श्री आबिद अली : आपसे मतलब केवल आप ही से है या सभी सदस्यों से ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : लगभग सभी गाड़ियां ओवर लोड आती हैं और पुलिस वाले साथ चलते हैं, इसलिये चैक होने का उपाय होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल ।
श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

११. ५५ म० पू०

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के [illegible]स्थापन हेतु समय में वृद्धि

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (पांचवां संशोधन), विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करने का समय १९ दिसम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रवर समिति की तीन मीटिंग्ज हुईं और उन्होंने अपनी कार्यवाही कल समाप्त कर ली है और अब उसकी रिपोर्ट तैयार करके सदस्यों के पास सर्कूलेट की जायगी ताकि जो कोई नोट ऑफ डिसेन्ट देना चाहें दे सकते हैं । इसमें समय लगेगा, इसलिये प्रतिवेदन उपस्थित करने का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन उपस्थित करने के लिये समय की अवधि बढ़ाई जाय । जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो विपक्ष है वे 'ना' कहें ।

(स्वीकृत)

(हां पक्ष जीता, अवधि बढ़ाई गई)

११. ५७ म० पू०

राजस्थान जमीदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १०५८
(अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष : Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Bill, 1958. Schedule was under consideration.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जमीदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के शिड्यूल पर कल सदन में वाद-विवाद हो रहा था । शिड्यूल के मुख्य मुख्य मुद्दों पर सदन में काफी चर्चा हुई और उसके परिणाम स्वरूप माननीय राजस्व मन्त्री जी

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय ने एक संशोधन स्वीकार करके इस व्यवस्था में यह परिवर्तन कर दिया कि जिन जमींदारों को कम्पेन्सेशन दिया जायेगा, तब उनकी ग्रोस इन्कम से नेट इन्कम केलकुलेट करने के लिये जो डिडक्शन किया जायगा उनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के नाम पर कटौती २५ पर्सेन्ट करने की व्यवस्था थी, उसके बजाय १० पर्सेन्ट की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि उन्होंने यह संशोधन स्वीकार करके कुछ उदारता का परिचय दिया, लेकिन इस सदन में जो बहस हुई उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन जमींदारों या बिस्वेदारों में से अधिकांश ऐसे जमींदार, बिस्वेदार हैं जिनके लिये सरकार को कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जमींदार या बिस्वेदार रेन्ट कलेक्टर के नाते अपनी जमींदारी के स्वयं नौकर थे यदि उनसे कोई रेन्ट कलेक्शन का काम लिया जाता तो वे स्वयं यह काम करते थे, वे किसी प्रकार का अतिरिक्त खर्चा करते हों ऐसे लगता नहीं है, लेकिन इस कारण से २५ पर्सेन्ट से रिड्यूज करके १० पर्सेन्ट किया गया उसके लिये भी राजस्व मन्त्रीजी ने कोई कारण नहीं बताया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह से हमने कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की है उसमें ऐसे जमींदार भी आयेंगे जिनको हम २५ पर्सेन्ट कमीशन देने वाले हैं और २५ पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन देंगे "25 percent of the payable land revenue for the Basic year." इतनी ही मात्रा में हम जमींदारों को कम्पेन्सेशन देने वाले हैं जिनकी जमींदारी उनकी खुद काश्त में है। यहां पर जमींदार दो प्रकार के हो गये, एक वे जिनको जमींदारी खुदकाश्त में नहीं है और दूसरे वे जिनकी खुदकाश्त में नहीं होने के कारण दूसरे व्यक्ति काश्त करते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे जमींदारों को कम्पेन्सेशन ८ गुना दे रहे हैं जिनकी भूमि में दूसरे काश्त करते हैं या जमींदार वे हैं जो रेन्ट कलेक्टर के नाते जमींदार हैं और टिलर्स के नाते दूसरे व्यक्ति काश्त करते हैं, तो इनमें सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन यह रहा कि यदि हम जमींदारों को कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं तो वह एक ही प्रकार का नहीं रहा। हम चाहे दो गुना दें, तीन गुना दें या आठ गुना दें या नोमिनल ही दें, लेकिन वह व्यवस्था केवल एक ही प्रकार की हो। लेकिन आपने दो प्रकार की व्यवस्था की है, यह प्रश्न सोचने का है। एक जमींदार की जमीन पर कोई दूसरा काश्त करता है तो उसके बदले में उसको ८ गुना कम्पेन्सेशन देंगे और अगर जमींदार खुदकाश्त करता है तो उसको २५ पर्सेन्ट मिलेगा। जहां जमीन पर काश्त की है वह चाहे खुदकाश्त की हो चाहे दूसरों से करवाई हो, प्रश्न एक ही है, वह जमींदार है। उसकी भूमि पर उसको राइट्स हैं, प्रिविलेजेज हैं, और उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से उस जमींदार को हैं जो खुदकाश्त नहीं करता है, तो यह क्यों है कि एक को तो आठ गुना देंगे और दूसरे को २५ पर्सेन्ट। एक ही प्रकार के प्रिविलेजेज और राइट्स हैं और इस सिस्टम को आप एबोलिश करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इस लॉ में डिस्क्रिमिनेशन रहेगा और उसके लिये केवल इतनी ही जमीन खुदकाश्त की जमीन थी जिस पर वह खुदकाश्त करता था या दूसरों से काश्त करवाता था, बात एक ही थी। मैं समझता हूँ इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन रखना उपयुक्त नहीं होगा। यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया? शायद सरकार ने यह सोच

(श्री भैरोंसिंह)

कर रखा होगा कि खुदकाश्त करने वाले को कम्पेन्सेशन कम दिया जाना चाहिये, इसलिये खुदकाश्त का उपयोग जमींदार करता आया है। अब ऐसी स्थितिके अन्दर मानलें कि जमींदार जो अपनी जमीन पर काश्त करता है उन लोगों से भी १० पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के नाम से काटेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो खुदकाश्त करते थे जिनको रेन्ट कलेक्शन की कोई बात नहीं थी, जिनको रेन्ट कलेक्शन के अन्दर कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता था, रेन्ट कलेक्शन के लिए जिनको कोई मशीनरी नहीं रखनी पड़ती थी, क्योंकि वे ही खुदकाश्त करने वाले थे और वे ही जमींदार थे जिनको कि हम कम्पेन्सेशन देरहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अलग से खुदकाश्त होल्डर के नाते केवल २५ पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन देरहे हैं। वह २५ पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन लेने का हकदार है उस कम्पेन्सेशन के बाद भी १० पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के नाम से उससे कटौती कर लेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो छोटे-छोटे जमींदार हैं और वास्तव में कृषक के रूप में जो जमींदार हैं, उन लोगों को उस कम्पेन्सेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। जो लोग स्वयं खेती नहीं करते थे, दूसरों से खेती करवाते थे, जमींदार हैं दूसरों के श्रम का उपभोग करते थे, वे लोग ज्यादे से ज्यादा कम्पेन्सेशन पाने के हकदार हैं, इस सारे कानून से इस प्रकार की मन्शा जाहिर होगी। मैं इस सम्बन्ध में यह कह दूंगा कि जहां जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा उसमें २५ पर्सेन्ट की व्यवस्था रखी है कि जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन दिया जायगा, उसमें से २५ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज के नाम से कटौती की जायगी। १९५४ में जो संशोधन हुआ उस १९५४ के संशोधन के अन्दर ऐसी आपने जब जागीरदारों की अलग अलग केटेगरीज़ बनाई थी। और उन्हीं केटेगरीज के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज निर्धारित किये थे। २० हजार से ऊपर के जागीरदारों से इतनी कटौती होगी और १० से नीचे वाले जागीरदारों से इतनी कटौती होगी। इस प्रकार के आधार पर, इस प्रकार के स्लेब सिस्टम के आधार पर इस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। लेकिन जमींदारों के प्रश्न में चाहे वे छोटे हों या चाहे बड़े हों इसमें एक व्यवस्था इस सम्बन्धमें रखी कि सब से समान रूप से कटौती की जायगी। मैं समझता हूँ कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ का प्रश्न है जागीरदारों को अधिकार में लेना था, उनकी व्यवस्था के लिए अलग से जागीर डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिस करना था। उस जागीर डिपार्टमेंट की ब्रान्चें हर डिस्ट्रीक्ट में और हर तहसील में खोलना था, उनमें अपने स्टाफ को नियुक्त करना था। उस कारण से संभव है कि राज्यसरकार को अतिरिक्त खर्चा करना पड़े, लेकिन यहां खर्चे का सवाल नहीं है। आपने सारे पावर्स जमींदारों के सम्बन्ध में कलेक्टर को दिये है। कलेक्टरों के सुपरविज़न में जमींदारों का काम होगा। उस स्थिति में मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार को न किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा, न कोई अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने पड़ेंगे, न जमींदार के नौकरों को एम्प्लायमेंट करना है। प्रश्न केवल लगान वसूल करने का है तो आज भी कई जमींदारियां ऐसी है जिनमें आधा गांव तो जमींदार का है और आधा सरकार का है। वहां पर पटवारी रहता है वह पटवारी जैसे सरकार का लगान वसूल करता है उसी तरह से जमींदारी क्षेत्र का भी लगान वसूल कर ले। न उसमें कोई अलग डिपार्टमेंट खोलने की व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह)

है। ऐसी स्थिति के अन्दर केवल जमींदारों से १० पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रटिव चार्जेज़ नाम लेकर वसूल करने की व्यवस्था की है, उसकी इन्कम में से इस प्रकार से कटौती करने की व्यवस्था की है, तो उस व्यक्ति के साथ जबरदस्त अन्याय होगा। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि इन सब बातों को सामने रख कर हमें इस शिड्यूल पर विचार करना चाहिए।

अब एक प्रश्न इसमें और है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न को तय करने के बारे में भूल गई है या राज्य सरकार की कोई विशेष मन्शा नहीं है कि हमने कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखते समय यह ध्यान नहीं रखा कि जमींदार ने अपनी जमीन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स किये हैं, तो वह उन इम्प्रूवमेंट्स पर कम्पेन्सेशन क्लेम कर सकता है, तो उस प्रकार के जमींदारों को कम्पेन्सेशन उन इम्प्रूवमेंट्स का देना है या नहीं। मैं समझता हूं कि कई जमींदार इस प्रकार के हैं कि जिन्होंने अपनी जमीनों पर काफी इम्प्रूवमेंट किये हैं, कुंए खुदवाए हैं, नहरें खुदवाई हैं, तालाब तैयार करवाये हैं, वे सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किये जायेंगे। जहां तक जमींदारी के कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, तो उनको इम्प्रूवमेंट का भी कम्पेन्सेसन मिलना चाहिए, लेकिन वह कवर नहीं करता है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा माननीय राजस्व मंत्री जी से कि कम्पेन्शेशन इम्प्रूवमेंट का देने के बारे में इसमें व्यवस्था की जाय। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह जिस तरह का शिड्यूल है वह अपर्याप्त है। और वास्तव में सही बातों को कवर करने वाला नहीं है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उसमें आवश्यक परिवर्तन कराये जांय। मैं माननीय राजस्व-मंत्रीजी से भी कहूँगा कि इसमें आवश्यक संशोधन किये जाय। यह उचित मांग है उनको एडजस्ट किया जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) माननीय अध्यक्ष, यह जो शिड्यूल पर विचार चल रहा है। और मैं समझता हूं यह जो बिल है उसमें शिड्यूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम कम्पेन्सेशन का जो क्वांटम है उसको तय करने जा रहे हैं। जहां तक जमींदारी एबॉलिशन का सवाल है उसको हम तय कर चुके हैं। और हमने इसलिए तय किया है कि जमींदारी जो है वह एक एन्टी सोशल एलिमेंट है या एन्टी सोशल व्यवस्था है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। अब सवाल आता है कम्पेन्सेशन का। कम्पेन्सेशन का जब सवाल आता है तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है कुछ लोग चाहते हैं कि फुल कम्पेन्सेशन दिया जाय। कई इस पक्ष के हैं कि जो आब्सोलीट सोशल ऑर्गेनाइजेशन या एन्टी-सोशल एक्टीविटीज़ उनको हैं उनको खत्म करते हैं, तो कोई कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग इस राय के हैं कि कम्पेन्सेशन नहीं भी हो तो किसी तरह की रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट्स जरूर देनी चाहिए। इससे पहले जब हमने डिटरमिनेशन ऑफ कम्पेन्सेशन के सवाल के ऊपर चर्चा की थी, तो उस टाइम में इस बात को साफ कर दिया गया था कि जमींदारों को कम्पेसेशन देना कॉन्स्टीट्यूशन के अन्डर में यह लाजिमी नहीं है, कम्पलसरी नहीं है, क्योंकि जिन जमींदारियों को आप एबॉलिश कर रहे हैं उनके प्रोपर्टी राइट उस जमीन पर थे नहीं, इसलिए कॉन्स्टीट्यूशन

(श्री पी० के० चौधरी)

में जहां पर किसी को किसी प्रोपर्टी से डिसप्लेजैस करने का सवाल आता है, वहां पर कम्पेन्सेशन देने का मेन्डेटरी प्रोविजन है, वह उस पर लागू नहीं होता है।

इसके बाद अब कम्पेन्सेशन का इस शिड्यूल में क्वान्टम ये कर रहे हैं जहां तक हम देखते हैं कि इस शिड्यूल में कम्पेन्सेशन के लिए ८ टाइम्स का रखा गया। अब हमको देखना है कि ८ टाइम्स कम्पेन्सेशन वह नेट इनकम पर जस्टीफाइड है या नहीं। नेट इनकम को किस तरह से एराइव किया है, उसको भी हम कैसे करेंगे, लेकिन इस बात के पहले जो भी नेट इन्कम तय की गई है उसका ८ टाइम्स देना है, वह जस्टीफाइड है या नहीं, और ८ टाइम्स का फीगर हमने किस ढंग से एराइव एट और वे उसको उठाने लगे और लगान लेने लगे। जैसा कि सदन में कहा जाता कि जमींदार और बिस्वेदार बड़े मुनाफाखोर हैं, रैकरेन्टिंग करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने एक-आध तहसील के फीगर्स सेटलमेन्ट के लेकर देखे हैं और उनसे पता चला है कि एक तहसील में चार गांव से ही मुनाफा लिया जाता है और बाकी में नहीं है। फिर यह कहा जाय कि जमींदार और बिस्वेदार बड़े मुनाफाखोर हैं, मिडिल मैन हैं, मैं कहता हूं कि वे मिडिल मैन नहीं हैं, अपनी खेती अपने आप खुद करते हैं और सरकार को लगान देते हैं। कल ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था और मैं समझता हूं कि यह अच्छा होता यदि हमारी सरकार उसको मान लेती। यह भी अच्छा होता कि सब ही टिनेन्ट को मालिक लिखने जाते और मिलिकियत का कानून बन जाता न कि टिनेन्सी का। आज तो नीचे के लोगों को ऊपर बढ़ाना है न कि नीचे के लोगों को और नीचे गिराना है। उनको नीचा बिठा देने का ही लक्ष्य नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह विचार जो बना हुआ है कि जमींदार और बिस्वेदार मुनाफाखोरी करते थे, यह एक बिल्कुल गलत धारणा है। यदि यही वर्तमान प्रोविजन्स रहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जमींदार और बिस्वेदार की नेट इन्कम ही माइनस में वर्क आउट होगी। वह किस तरह से है कि अगर एक बिश्वेदार और जमींदार यदि एक हजार रुपया लगान वसूल करता है, तो करीब करीब ६०० रुपया, तो वह सरकार को ही दे देता है। यदि २५ पर्सेन्ट के हिसाब से हजार में से २५० माइनस करते हैं, तो ७५० की इन्कम बन जाती है और उसको सरकार को देना पड़ता है ६०० रुपए लगान और टैक्स के रूप में इसलिए इस तरह से वह १५०) और घाटे में जावेगा। उसे कम्पेन्सेशन उसकी जमींदारी लेने से उसको कोई नुकसान नहीं होता है, उसको एनूअल इन्कम जो आप देते हैं, उसको वह बैंक में रख देता है। उसको इन्कम मिलती थी रेंट से, वह इन्कम उसे मिलती रहती है। रेंट इन्कम का जो आपने फोर्मूला लगाया है एट टाइम्स का, उससे ऐसा लगता है, एट टाइम्स के फार्मूले से कि ५० पर्सेन्ट इन्कम प्रॉटेक्ट कर रहे हैं, ५० पर्सेन्ट उसकी पूरी जिन्दगी के लिए कर दिया है। ऐसा नहीं है, उससे भी ज्यादा किया है। अगर २० ईयर्स का होता है, तो वह ५ पर्सेन्ट की रेट से होता है। आज मार्केट में जो मनी रेट है, वह लगभग एट टू टेन पर्सेन्ट है, यानि एट टू टेन पर्सेन्ट के बीच में मार्केट में पैसा मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में साढ़े सात पर्सेन्ट पर पैसा मिलता है, लेकिन ओपन मार्केट में एट टू १० पर्सेन्ट वेरी करता है।

(श्री भैरोंसिंह)

यानि १० साल का कम्पेन्सेशन दे दें, १० टाइम्स तो उसकी जो फुल इन्कम है उसको दे देते हैं। गवर्नमेंट ने एट टाइम्स का रखा है, करीब करीब फुल कम्पेन्सेशन का इन्तजाम रखा है- अगर फुल नहीं होता है तो ८० पर्सेन्ट से ज्यादा का प्रोविज़न रखा है, यानि फुल प्रोटेक्शन का प्रोविजन हमने रखा है। अब हमको देखना है कि ८० पर्सेन्ट प्रोटेक्शन हमको देना है या नहीं और वह क्यों देना है, हमको कम्पेन्सेशन क्यों देना है। इस बात को जमींदारी एबोलिशन बिल में माना है कि उसके प्रोप्राइटी राइट नहीं है, फिर भी उसे कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं, वह इसलिए दे रहे हैं कि जो उसको लोस ऑफ इन्कम हुआ है, उसको हम कम्पेन्सेट कर रहे हैं। लोस ऑफ इन्कम कैसे हुआ, वह ऐसे हुआ कि जो रेंट मिलता था, रेंट वसूल करने का उसका जो राइट था, उसको हमने टेक ओवर कर लिया हैं, उसको हमने एक्स प्रोप्राइटी कर लिया है, इसलिए उनको कम्पेन्सेशन देने का सवाल पैदा होता हैं।

अब यह जो इन्स्टीट्यूशन ऑफ रेंट है, क्या हम उसे सोशली जस्टीफाइड मानते है, जो उसको यूजफुल सोशली एक्टीविटी मानते हैं तो भी उसको छीन लेने से उसको कम्पेन्सेशन देने का सवाल पैदा होता है, लेकिन हमने इसे सोशली जस्टीफाइड नहीं माना यह माना है कि रेंट वसूल करना सोशल नेसेसिटी नहीं है या जो प्रोडक्टिव एक्टीविटीज़ हैं, उसमें रेंट देना जरूरी है, ऐसा नहीं है, हम इसे सोसाइटी का यूज़फुल एलीमेन्ट नहीं मानते हैं, सोशल यूज़फुल एलीमेंट नहीं मानते हैं, तो उसके लिए हमको कम्पेन्सेशन नहीं देना चाहिये। अब सवाल यह आता है कि मान लीजिये कि आर्ग्युमेंट के लिए कहते हैं कि ठीक है जो रेंट का इन्स्टीट्यूशन है वह अनसोशल हैं, फिर भी उसको हमने एक लीगल स्टेटस दे रखा था रेंट कलेक्शन का, रेंट रियला-इजेशन का, जमींदार को लीगल राइट्स दे रखे थे उस राइट को छीन रहे हैं तो उसको हमें कम्पेन्सेट करना चाहिए इसके लिए, लेकिन उसके साथ साथ यह सवाल भी आता है कि सिर्फ उसके राइट एबोलिश किये हैं, ऐसा नहीं है, आगे प्रोपर्टी के राइट और दूसरी चीजें भी खत्म करेंगे, क्योंकि हम सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी कायम करने जा रहे हैं। उसको हमने लैंड से शुरू किया है, उसके बाद में प्रोपर्टी वगैरह भी स्टेट के अन्डर में आये। यह जो यूज़फुल पर्पज हम समझते हैं सोसाइटी के लिए बेस्ट यूटीलाइज़ेशन ऑफ प्रोपर्टी का हो सकता है फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन का हो सकता हैं उन पर भी यही कानून लगायेंगे। तो आज सवाल इस जमींदारी में होता है कि उनका जो लीगल स्टेटस था, उसको रिकग्नाइज़ करके उसे कम्पेन्सेशन देना है लेकिन कल जो ब्लेक मार्केटियर्स हैं, उनकी प्रोपर्टी को एक्वायर किया, ब्लैक मार्केटियर्स के लिए कल तय करते हैं कि उनकी डेस्परेटिव इन्कम समाज में नहीं रहनी चाहिए, तो उसकी भी प्रोपर्टी एक्वायर करेंगे, तो क्या उस टाइम उसको भी कम्पेन्सेट करेंगे उसको कम्पेन्सेट करने का सवाल आता है तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं, उस रूप में कायम नही कर पायेंगे। तो इसलिए यह जो दलील है यह जो आर्ग्युमेंट हैं कि चाहे उसकी [illegible]ल यूटीलिटी है या चाहे मोरल बैक ग्राउन्ड है या नहीं लेकिन क्योंकि उसका लीगल स्वरूप था, इसलिए उसको प्रोटक्शन

Page No.30

(श्री भैरों सिंह)

दे रहे हैं, इसलिए उसको कम्पेन्सेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करेंगे तो दूसरी जो अनसोशल एक्टीविटीज़ है, उनको भी प्रोत्साहन देंगे। दूसरे लोग जो ब्लैक मार्केटिंग से प्रोपर्टी एक्वायर करते हैं, रिश्वत खाकर प्रोपर्टी एक्वायर करते हैं, हो सकता है, आज नहीं, दो साल, चार साल, पांच साल के बाद मैं समझता हूँ ऐसी पोज़ीशन आने वाली है कि यदि लोगों ने अपनी प्रोपर्टी को किसी ढ़ंग से एक्वायर किया, उसको जस्टीफाई नहीं कर सके तो उसकी प्रोपर्टी छीन ली जायगी चाहे वह कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो कोई बिजनेस मैन हों, चाहे कोई हो। मान लीजिये कि नाथद्वारा के महन्त पकड़े गये हैं, आप उनकी प्रोपर्टी को कान्फिसकेट कर सकते हैं अगर वह प्रोपर्टी वेल्थ डिक्लेरेशन में नहीं है अगर वेल्थ डिक्लेरेशन में वह प्रोपर्टी है तो उसको कॉन्फिसकेट करने का राइट नहीं है। जब आप प्रोपर्टी को विश्वेलाइज़ कर रहे हैं, तो जिन लोगों की प्रोपर्टी को एक्वायर किया है, तो जैसे हम जमींदारों के लिए कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आज नहीं पाच साल के अन्दर हमको फैसला करना पड़ेगा, उनको एक्वायर करके और इक्वोटेबल डिस्ट्रिब्यूशन करने का स्टेप हमको लेना पड़ेगा। जमींदारी एबोलिशन के द्वारा हमने प्रोपर डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ लैंड का स्टेप लिया है it is beginning. यह शुरुआत है हमारी लड़ाई की हमारे कदम की इससे आगे जाकर जो प्रोपर्टी होल्डर्स है जिन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा करके अपने पास रखा हैं वेल्थ इकट्ठी करके रखी हैं, उनसे छीन कर, इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ प्रोपर्टी एन्ड वेल्थ का स्टेप लेना है तो क्या उनको भी फुल कम्पेन्सेशन देगें। तो आज जो दूसरे स्फीअर ऑफ एक्टीविटीज़ है उनसे अनसोशल एक्टीविटीज से लोग धन प्रोपर्टी इक्ट्ठी कर रहे हैं उनके दिल में यह चीज बैठेगी कि किसी ढ़ंग से प्रोपर्टी एक्वायर कर ले, आगे चल कर जब भी गवर्नमेंट इस प्रोपर्टी को एक्वायर करेगी तो उसे फुल कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। यह जो उनके दिमाग में ख्याल है उसको हमें मिटा देना चाहिए और को लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं वह सिर्फ एक पर्टीक्यूलर क्लास के लिए कर रहे हैं ऐसा नही हैं लेकिन आगे के लिए एक प्रेक्टिस बनाते जा रहे हैं। इसलिए जो दलील है कि रेट वसूल करने का उनको लीगल राइट दिया था, लीगल स्टेडिंग था रेट रियलाइजेशन का, लीगल राइट्स जमींदार के थे, इसलिए चाहे उनकी एक्टीविटीज़ अनसोशल हो फिर भी कम्पेन्सेट करना है यह दलील टिकती नहीं है। जो केपिटलिस्ट इकॉनामिस्ट हैं वे खुद मानते हैं, जो केपिटलिस्ट हैं वे जब सामने बात करते हैं, जो उनके एडवोकेट हैं उनके सामने यह प्रोब्लम रखी जाती है, तो वे एक्सेप्ट करते है कि किसी के राइट को विदाउट गोइंग इन ओरिज़न कि किसी तरह से राइट एक्वायर किया है इसके ओरिज़न में बिना जाये नहीं मानना चाहिये और कम्पेन्सेशन की व्यवस्था नही करना चाहिए। किसी को उसके राइट से डिसपजेस कर रहे हैं किसी के राइट की स्टेट ले रहा हैं, उस टाइम फैसला करने से पहले कम्पेन्सेशन का, कि फुल कम्पेन्सेशन देना चाहिये या नहीं यह फैसला करने से पहले उसके ओरिज़न में जाना चाहिये। जहां तक जमींदारों का सवाल है ऐसा माना गया है कि इनका यह कोई राइट नहीं है कोई सोशल यूजफुल फंक्शन समझ कर राइट अदा नहीं किया है। जमींदार जो थे वे सोसाइटी में पेरासाइट थे, इसी वजह

(श्री भैरोंसिंह)

से उनको एबोलिश कर रहे है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी में कोई यूजफुल फंक्शन अदा नही किया है। अब इनके जो राइट है, उन राइटको किस ढंग से एक्वायर किया हैं, उसे देखेंगे तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो ओरिजन हैं वह बहुत कुछ अच्छा नहीं हैं उनके एक्वायर करने के अलग अलग तरीके है किसी ने जमींन हड़प ली है या और किसी तरीके से ली हैं खुशामद से ली हैं, बख्शीश में ली हैं और अपनी एबिलिटीज या परिश्रम से जमींदारी एक्वायर नहीं की हैं। इसलिए किसी के राइटको एक्सेप्ट करने से, उसको कम्पेन्सेशन देने से पहले उसके ओरिजन में जाना चाहिये। जहां तक राइट का सवाल है, हम मानते है एक सोशल यूजफुल फंक्शन हैं नहीं। आज इकॉनोमिस्ट मानते हैं कि जो राइटहैं जिसको हम कम्पेन्सेशन का बेसिस मानते हैं वह राइटएक सोशल नेसेसिटी नहीं है। एक सोसाइटी के लिए राइट का प्रयोजन नहीं है राइट का प्रयोजन वहां होता हैं जहां हम किसी चीज के लिए राइट देते तो उसको कुछ मुआवजा देते हैं वह इसलिए हम देते हैं कि वह प्रोडक्टिव एक्टीविटीज में फेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनमें जाकर लगेगा हम किसी मजदूर को वेजेज देते हैं तो इस लिये देते है कि वह वेजेज लेगा, तो मशीनरी में जाकर काम करेगा, हम कपास की प्राइसेज देते हैं तो किसी, फैक्टर प्रोडक्शन की मिनिमम प्राइसेज होती है उतनी देते हैं, तो अवैलेबल होती हैं, उससे कम प्राइसेज देते हैं, तो वह अवेलेबल नहीं होती। लेकिन यह उस चीज पर लागू होती है कि जिस फैक्टर प्रोडक्टर की सप्लाई इलास्टिक होती है, एट ए पर्टिक्यूलर स्टेज बराबर प्राइस नहीं मिलती है....and if the price goes below a particular level... तो सप्लाई डिसएपियर हो जाती है। लेकिन लैंड ऐसी चीज नहीं है, चाहे उसकी कीमत पे करें या न करें....Land will always be available for production.

लैंड कोई डिसएपियर होने वाली नहीं है। it is less than perfectly elastic, इसकी सप्लाई इलास्टिक नहीं है। लैंड के लिए माना जाता है, डिफरेंशियल सरप्लस देते हैं कम से कम उपजाऊ लैंड और ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ लैंड है उसके डिफरेंस के हिसाब से रेंट पे करते हैं। जिन्होंने सबसे पहले जब लैंड फर्स्ट क्लास लैंड अवेलेबल थी, तो उसको कल्टिवेट किया था, उसका रेंट नहीं देना पड़ता....nobody had to pay any rent for the first class land which was available.

फर्स्ट क्लास लैंड को विदाउट रैंट कल्टिवेट कर लिया, खराब लैंड में जब काश्त किया गया क्योंकि फर्स्ट-क्लास लैंड अवेलेबल नहीं रहा तो....

श्री अध्यक्ष : The hon. Memder should come to the point now. Does he mean to suggest that no compensation should be paid ?

श्री पी० के० चौधरी : No sir...

श्री अध्यक्ष : Can we do it under the Constitution ?

श्री पी० के० चौधरी : No full compensation should be given, Sir.

श्री अध्यक्ष : Then you cou argue that what is being suggested here is more, and that you want less than that to be paid.

श्री पी० के० चौधरी : मैंने यह बताया फुल कम्पेन्सेशन का फोर्मूला बताया । रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट फाइव पर्सेंट होती है तो टूवेन्टी टाइम्स यानि टुवेन्टी ईयर्स का एन्युअल रेंट का फुल कम्पेन्सेशन माना जाता है । टूवेन्टी ईयर्स का दे दिया जाय तो मार्केट रेट इन्ट्रेस्ट की फाइव पर्सेन्ट होगी, तो इस तरह से आज जो उसकी एन्युअल इन्कम है वह उसको परपिच्युअल मिलती रहेगी, एक दम सब पैसा दे दिया जाय तो।

श्री अध्यक्ष : You have said that more than once, but how do you want to connect that with what you are propounding now? This is what we want to know.

श्री पी० के० चौधरी : It is like this Sir. आज जो मनी रेट है वह एट टू टेन पर्सेन्ट है, तो उसका टेन ईयर्स में फुल कम्पेन्सेशन देते हैं, तो उसका यह फुल कम्पेन्सेशन माना जायेगा । तो इस हिसाब से अगर हमने एट ईयर्स का कम्पेन्सेशन दिया तो हमने उसको फुल कम्पेन्सेशन का एट्टी पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन दे दिया, इसका मतलब यह है । ईस पैसे को वह बैंक में डिपोजिट करा दे बाजार में इन्वेस्ट कर दे, तो उसको एट्टी पर्सेन्ट ८० पर्सेन्ट रिटर्न मिलेगा तो इसको.... 80 percent of his full compenstion, so long as he does not spend from the capital which he receives.

तो मेरा कन्टेन्शन यह है कि आप यह जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं वह ज्यादा है, ज्यादा इस वजह से है कि...it will amount to nearly full compensation.

एट्टी पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन को मैं फुल कम्पेन्सेशन मानता हूँ । जमींदारी एबोलिशन कमेटी की सिफारिश थी कि उनको कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया जमींदारी एबोलिशन कमेटी ने एक्सेप्ट किया है कि इनके प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं थे तो कम्पेन्सेशन देना कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार भी आपको कम्पल्सरी नहीं था । रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट दे सकते थे, कम्पेन्सेशन देते हैं, तो खुदकाश्त देने की आवश्यकता नहीं; पर उसको रीहेबिलिटेट करने के लिये खुदकाश्त दे रहे हैं, फिर आप ८० पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन दे रहे हैं... 80 percent of the compensation in perpetuity.

तो यह जो तरीका आप रख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, आगे चल कर लैंडेड प्रोपर्टी... nationalise करेंगे । This is the first step of nationalisation.

दूसरी प्रोपर्टीज़ का नेशनेलाइजेशन करेंगे, तो क्या हम इसी रेट से उनको भी कम्पेन्सेन कर सकते हैं । यही मेरा सवाल है whether we will be able to pay the others at the same rate.

कम्पेन्सेशन देने का एक ही आर्ग्युमेंट है और वह आर्ग्युमेंट यह है कि चाहे उनका फैक्शन सोशियली अन्यूजफुल हो पर रेंट कलेक्ट करने का उनका मोरल तो नहीं कहा जा सकता पर लीगल राइट था, इसलिये हमें उनको फुल या ८० पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन देना चाहिये । मैं कहता हूं कि फुल कम्पेन्सेशन देते हैं तो जो लोग....अनसोशियल एक्टीविटीज़ से सम्पत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, उनको तो डिस्कोरेजमेंट नहीं होता, वह यही सोचेगा कि चाहे जिस तरह पैसा इकट्ठा करूं मैं, यह सरकार हिन्दुस्तान की या राजस्थान की मुझे फुल कम्पेन्सेशन देगी, चाहे डाका डाल

Page No.33

(श्री पी० के० चौधरी)

कर पैसा इकट्ठा करू, चाहे खून कर के पैसा इकट्ठा करू, चाहे चोरी कर के पैसा इकट्ठा करू । यह आगे के लिये आप काम कर रहे हैं ..

श्री अध्यक्ष : It all depends on what political concepts we will be hoiding at that time.

श्री पी० के० चौधरी : We shall be having the same concept of socialist patterm of society. If at all, we shall go nearer it, and we are not going back to a fuedal structure.

श्री अध्यक्ष : If we had socialist pattern, then also what you do now, what you are paying now, will in no case be a bar to the future.

श्री पी० के० चौधरी : But we are encourging anti-social elements Sir.

श्री अध्यक्ष : Please finish up soon.

श्री पी० के० चौधरी : Then I refer to clause 3 of the Schedule. 'Calculation of income from rents and cesses in certain cases', and clause 2 of the Schedule, 'Gross income'. Clause 2 reads:- "The gross income of a Zamindar or Biswedar for the basic year shall be the total income from his estate for that year under the following heads, namely:-
(a) income from rents in respect of lands in the occupation of tenaats not being tenants of khudkasht or sub-tenants;

(b) income from cesses in the neture of rents referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 173 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956."

So income from cass has been considerted to be equivalent to rent.

श्री अध्यक्ष : Not each and every cess, but that cess which can be commuted, under the Tenancy Act, towards rent. Not each and every cess.

श्री पी० के० चौधरी : Cess is Dastoori.

श्री अध्यक्ष : You please read the sentence fully, in clause 3 of the Schedule. Sub-clause (2):- "..... ... rents or cesses so paid in kind in the manner in which he would do so in a suit for commutation of rent under Section 118 of Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Anyway, you have no definat amendment. In what sense you want to have a change? Do you want the whole clause to be thrown out or what?

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sis.

श्री अध्यक्ष : But you have no amendment.

श्री पी० के० चौधरी : It was a bit late Sir.

श्री अध्यक्ष : If you are late, we cannot be held responsible for that.

Page No.34

श्री पी० के० चौधरी : I never knew that the whole Bill will be rushed through and passed.

श्री अध्यक्ष : We gre very keen to abolish zamindari.

श्री पी० के० चौधरी : May be. Sir, but in our keenness, we should not make a bad piece of legislation.

श्री अध्यक्ष : We are doing only that which is the accepted policy of this Government and of the whole country. We are not doing anything unusual.

श्री पी० के० चौधरी : I still maintain, Sir, that Cess is Dastoori, only a Nazarana or Salami and that cannot be given that protection as we give to rent. जब आप इसको रेगुलर इन्कम में मानते हैं, यह उचित नहीं है। दूसरे प्रान्तों में जमींदारी और जागीरदारी एबोलिशन किया है किसी ने दस्तूरी, सलाम और नजराना को रेन्ट में नहीं लिया। उनको इसका प्रोटेक्शन मिला है। किसी ने भी उनकी नेट इन्कम को एराइव करने में इस सेस को केल्कुलेट नहीं किया है। इस पर किसी को राइट नहीं होता। यदि किसी ने किसी को खेती करने को दिया है और उससे उसको इन्कम मिलती है तो यह उसके लिये एक तरह की पगड़ी है। बम्बई में जब कभी मकान लेने के लिये जाते हैं, तो मकान देने के शुरू में over and adove house rent आपको पगड़ी देनी पड़ती है। आप एक साल में ४ हजार रुपया नहीं देकर ५००) पगड़ी देते रहेंगे that becomes a short of dastoori for allowing him to keep that house. तो जैसा दस्तुरी का लेन्ड रेवेन्यू एक्ट में किया है वही दस्तूरी है for allowing him to keep that land or to cultivate that land, अब उसको लीगल स्टेटस देना तो उचित नहीं। मगर आपने इसको लीगल करार दिया है। मैं यह कहूंगा कि दस्तूरी लीगल नहीं है। नजराना है वह तो जबरदस्ती लिया जाता है। अगर आप उसको नेट इन्कम में लेते हैं, तो यह आप ठीक नहीं ले सकते। इसलिये मैं सेस के विरोध में हूं और इस सब-क्लॉज़ का मैं विरोध करता हूं। Rule number 3, part (2) in the Schedule:- "...Where rents or cesses in the nature of rent for the basic year are payable and have been paid in kind or partly in kind and partly in cash, the Collector shall, for the purpose of this Act, determine the money value of the rents or cesses so paid in kind in the manner in which he would do so in a suit for commutation of rent under section 118 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955." अब जब काइन्ड में दी जाती है तो हमने उसके लिये बेसिक इयर उससे पहले वाले वर्ष को माना है। जैसे मान लें कि आप इसको १६५६ में एनफोर्स करते हैं तो हमने उसके लिये १६५८ को बेसिक इयर लेते हैं। तो जब हम पार्टली काइन्ड में लेते हैं तो उस साल की फूड ग्रेन की प्राइसेज है which is probably highest in the State. स्टेट में सबसे ज्यादा हाई रेट है। उससे उसकी वेल्यू की जावेगी। मेरा यह निवेदन है कि यह जो जरिया है इस तरह से उसको डिटर्मिन करने का वह उचित नहीं है। इसलिये पिछले तीन चार साल की एवरेज प्राइसेज के अकाउन्ट के

(श्री पी० के० चौधरी)

बेसिस पर करते तो ज्यादा ठीक रहता। लेकिन आपका केलकुलेशन का जो तरीका है उस पर तय करेंगे। इसलिये यह जो तरीका रखा है commutation of rent का जो तरीका है those which are payable in kind जो काइन्ड का तरीका रखा है उसमें भी मैं चाहता हूं कि एमेन्डमेंट हो और वह यह कि पहले तीन साल की प्राइसेज को लेकर जो एवरेज आवे उस पर प्राइस एराइव करना चाहिये। फिर अमाउन्ट ओफ कम्पेन्सेशन में सब-क्लॉज़ (बी) है "(b) twenty five percent of the land revenue payable by him for the basic year (i) in respect of his khudkashad lands and (ii) in respect of Shamlat Deh lands. अब खुदकाश्त लैन्ड उसके खुद के अन्डर में रहती है उस पर भी २५ पर्सेन्ट उसकी इन्कम में केल्कुलेट करने का, जो जमीन आप उनसे छीन नहीं रहे हैं उसके लिये भी आप कम्पेन्सेशन कर रहे हैं, तो यह भी उचित नहीं है और यह भी नहीं होना चाहिये।

श्री रघुवीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आप तो पहले बोल चुके हैं।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और जमींदारों और बिस्वेदारों का दुर्भाग्य था कि यह सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा गया। यदि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाता तो मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें साफ हो जातीं, लेकिन दुर्भाग्य से वह सिलेक्ट कमेटी में गया नहीं और बिस्वेदारों और जमींदारों के सम्बन्ध में गलत धारणा बन गई है, उसको बहुत हद तक दूर करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि यहां ऐसा लगता है कि बिस्वेदारी और जमींदारी हकूक किसी ने उनको बख्शीस कर दिया हो; या यह कहा जाय कि किसी ने उनको थोड़ी सी कीमत पर जमीन खरीद दी हों या उनको नौकरी के एवज में दे दी गई हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल असत्य बात है। असल में बिस्वेदारों का अर्थ यह है कि जिस समय बन्दोबस्त हुआ था, तो बन्दोबस्त ने एक मापदंड कायम किया और वह कहा था यह कि एक गांव को २० हिस्सों में बांटना और उन २० हिस्सों में जिसको जितना बिस्वा दिया उसके वे मालिक समझे गये। इससे वे बिस्वेदार माने गये इसलिये यह मानना होगा कि वे लोग उसी गांव के रहने वाले थे और उन्होंने उस गांव को आबाद किया। जंगल काटे, खेती के काबिल जमीन को तैयार किया क्योंकि जिस समय उनको जमीन दी गई थी वह काबिल काश्त नहीं थी। जब पक्का सेटलमेंट हुआ तो उन्हीं को कहीं बिस्वेदार और कहीं जमींदार नाम रख दिया गया। और इसी प्रकार से वहां के ओरिजनल रहने वाले हैं, वे ही जमींदार और बिस्वेदार की तारीफ में आते हैं। ये लोग कहीं से आये हों और इनको यों ही जमीन मिल गई हो, ऐसी बात नहीं है। वे लोग वहां पर अपने पुरखाओं के समय से रहते आये हैं और जमीन को आबाद रखते आये हैं। जब हमने सेटलमेंट किया तो उनको जमींदार या बिस्वेदार सरकार ने कायम किया। मैं यह कहूंगा कि इनकी स्थिति क्या है? उनका वास्तविक सिद्धान्त स्थिति यह है कि एक गांव में करीब करीब जो भी आबादी है उसका ६० प्रतिशत वहां के बिस्वेदार हैं और दूसरे जितने

Page No.36

(श्री रघुवीरसिंह)

भी लोग हैं वे ४० पर्सेन्ट हैं, उनको काश्तकार कह दें या किसी नाम से कह दें या कभी न कह दें। उस गांव में बिस्वेदार ६० प्रतिशत हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां अधिकतर लोग जमींदार और बिस्वेदार हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनके पास बहुत बड़ी आमदनी का जरिया है। वे तो एक तरह से जैसा हमने कहा है वे तो प्रोपराइटर हैं अपनी जमीन के हिस्से के मालिक हैं और अगर किसी के घर में आदमी थोड़े रह गये, तो उसने कुछ जमीन टिनेन्टों को उठा दी और उनसे लगान लेने लगे। और वे उसको उठाने लगे और लगान लेने लगे। जैसा कि सदन में कहा जाता कि जमींदार और बिस्वेदार बड़े मुनाफाखोर हैं, रैक-रेन्टिंग करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने एक-आध तहसील के फीगर्स सेटलमेन्ट के लेकर देखे हैं और उनसे पता चला है कि एक तहसील में चार गांव से ही मुनाफा लिया जाता है और बाकी में नहीं है। फिर यह कहा जाय कि जमींदार और बिस्वेदार बड़े मुनाफाखोर हैं, मिडिल मैन हैं, मैं कहता हूं कि वे मिडिल मैन नहीं हैं, अपनी खेती अपने आप खुद करते हैं और सरकार को लगान देते हैं। कल ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था और मैं समझता हूं कि यह अच्छा होता यदि हमारी सरकार उसको मान लेती। यह भी अच्छा होता कि सब ही टिनेन्ट को मालिक लिखने लग जाते और मिल्कियत का कानून बन जाता न कि टिनेन्टों का। आज तो नीचे के लोगों को ऊपर बढ़ाना है न कि नीचे के लोगों को और नीचे गिराना है। उनको नीच बिठा देने का ही लक्ष्य नहीं है। इस-लिए मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह विचार जो बना हुआ है कि जमींदार और बिस्वेदार मुनाफाखोरी करते थे यह एक बिल्कुल गलत धारणा है। यदि यही वर्तमान प्रोविजन्स रहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जमींदार और बिस्वेदार की नेट इन्कम ही माइनस में वर्क आउट होगी। वह किस तरह से है कि अगर एक बिस्वेदार और जमींदार यदि एक हज़ार रुपया लगान वसूल करता है, तो करीब करीब ६०० रुपया तो वह सरकार को ही दे देता है। यदि २५ पर्सेन्ट के हिसाब से हजार में से २५० माइनस करते हैं, तो ७५० की इन्कम बन जाती है और उसको सरकार को देना पड़ता है ६०० रुपए लगान और टैक्स के रूप में, इसलिए इस तरह से वह १५०' और घाटे में जावेगा। उस कम्पेन्सेशन तो क्या मिलेगा, सरकार उससे उल्टा वसूल करेगी।

सेसेज के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पूर्व वक्ता ने गलत धारणा पैदा की है। ये सेसेज जमींदार और बिस्वेदार वसूल नहीं करते, सरकार खुद वसूल करती है जहां जमींदारी और बिस्वेदारी का इलाका है, जहां आम अमल है कि लैंड रेवेन्यू पर १२॥ प्रतिशत सेसेज लिये जायं और वह सरकार के खजाने में जाता है। जिसमें से पांच पर्सेन्ट लम्बरदार की फीस के नाम से लिया जाता है। ७॥ पर्सेन्ट सरकार के खजाने में जाता है। पहले स्टेट्स में इस प्रकार का अमल था कि उसमें से दो प्रतिशत शफाखाना के लिए, दो प्रतिशत (अश्रव्य) के लिए और ३॥ पर्सेन्ट स्कूल और अन्य पढ़ाई के लिए। पांच पर्सेन्ट लम्बरदार की फीस इस प्रकार से १२॥ प्रतिशत सेसेज वे ही हैं जो लैंड रेवेन्यू पर सरकार करती है

(श्री रघुवीरसिंह)

और यह बात नहीं है कि टिनेन्ट से वे वसूल किये जाते हों और जमींदारों और बिस्वेदारों से नहीं टिनेन्ट से ही वे ही वसूल किये जाते हैं और जमींदारों और बिस्वेदारों से भी वे ही वसूल किए जाते हैं, इसलिए उनके मुनाफाखोरी करने की गलत धारणा है, वह उनकी जेब में नहीं जाता है।

केल्कुलेशन ऑफ कम्पन्सेशन के संबंध में जो डेफिनिशन रखी है उससे ऐसा लगता है कि ैजोरिटी केसेज़ में ऐसा होगा कि उनकी नेट इन्कम माइनस में वर्क आउट होगी। मैं निवेदन करूंगा कि अलवर और भरतपुर में पहले ओक्युपेन्सी राइट्स का प्रावधान था और दिये जाते थे। जो १२ साल का काश्तकार हो जाता था उसको ओक्युपेन्सी राइट्स दिये जाते थे। सन् २५ के बाद ४० तक ऐसा जमाना आया कि १। मन, १॥ मन का बाजरा बिकता था, जमीन की कोई कीमत नहीं थी। मैंने अपने जमाने में देखा है और जैसा कहा जाता है कि जमींदार और बिस्वेदार खूब मौज उड़ाते थे, मैं तो आपको कहूंगा कि मौज तो नहीं उडाते थे, किन्तु उनके छः छः महीने हवालात में बीतते थे, सरकार का लगान दे न करने के कारण सरकारी लैंड रेवेन्यू था और कोई टिनेन्ट जमीन उठा लेता था तो सरकार उनको मौरूसी हक फौरन दे देती थी और इस तरह से जमींदार और बिस्वेदार अधिकतर टिनेट्स हैं, ओक्युपेन्सी टिनेन्ट्स हैं। यदि उनकी लैंड रेवेन्यू से इस प्रकार का खर्चा सरकार लेगी, तो फिर उनके पास कम्पन्सेशन का फीगर साइफर ही होगा। उसमें से फिर सरकार २५ प्रतिशत चार्ज करना चाहती है, वह बिस्वेदार और जमींदार से वसूल करेगी वह कहां से आवेगा। यह तो मेरी समझ में नहीं आता। कल एक अमेंडमेंट आया था जिसको माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया था कि २५ की जगह १० पर्सेन्ट रह जायगा। लेकिन दस प्रतिशत में भी माइनस अकाउन्ट चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम्पेन्सेशन के चैप्टर में माननीय राजस्व मंत्रीजी फिर से विचार कर लें जिससे कि उनको कुछ मिल सके। यह जो आई वाश है, दिखने के माने में तो है कि ८ गुना कम्पन्सेशन दे रहे हैं, **लेकिन साइफर माइनस साइफर, माइनस, माइनस ही होगा।** उनको इस प्रावधान से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुनः विचार किया जाय। मेरा तो यह विचार है, अध्यक्ष महोदय कि यदि राजस्व मंत्री महोदय इसको स्वीकार करें तो यह हो कि उन लोगों को भली प्रकार से रीहेबिलिटेट करने के लिए जैसा जागीरदारी एबोलिशन एक्ट में छोटे छोटे जागीरदारों के लिए रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का प्रावधान रखा है वैसा ही प्रावधान इनके लिए रख दिया जाय। रीहेबिलिशन मिलने के बाद भी आगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी नेट इन्कम माइनस में वर्क आउट करते हैं तो उसको रीहेबिलिटेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए इस प्रकार के प्रावधान को पूरी तरह से सोच-विचार कर ही रखना चाहिये। इसका बहुत बड़ा असर छोटे छोटे जमींदारों और बिस्वेदारों के ऊपर पड़ने वाला है, बड़ों को तो कुछ न कुछ मिल ही जावेगा, लेकिन जो छोटे छोटे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक तो यह हो जाना चाहिये कि नेट इन्कम का कोई पर्सेन्ट तय कर दिया जाय। चाहे १० पर्सेन्ट करें That the net income of a Biswedar or Zamindar will not be less

(श्री रघुवीरसिंह)

than 10 percent of the gross income.

मैं तो कहता हूँ कि किसी पोजिटिव पर तो आइये, नेगेटिव पर ही क्यों चलते हैं। दस प्रतिशत उनकी नेट इन्कम ही मान लीजिये, इसलिए कोई न कोई आप इस तरह का प्रावधान रख दीजिये, उसकी नेट इन्कम तो कुछ न कुछ हो, यह नहीं कि पूरी ही वह वाश आउट हो जाय। जिनके थोड़ी इन्कम रहती है उनके लिए रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का प्रोविजन कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से माननीय राजस्व मंत्री महोदय पुनः इस पर विचार करेंगे। २० लाख आदमियों की मौत और जिन्दगी का सवाल है। ऐसे मामलों को जल्दी में नहीं करना चाहिये, किन्तु बहुत सोच-विचार कर ही करना चाहिये। जिससे कि उन लोगों को रिलीफ मिले और यह न कहे कि एक तरफ तो जागीरदारों को इतना दे दिया और दूसरी तरफ जमींदारों को और बिस्वेदारों को कुछ नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : पहले बचे हुए क्लॉज़ेज ले लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमींदारी बिस्वेदारी एबोलिशन के विषय में मुझे भी कुछ निवेदन करना है। गंगानगर की हालत सब चीजों से बहुत डिफ्रेन्ट है। हमने टिनेन्सी एक्ट में जमींदारी और बिस्वेदारी की जो डेफीनिशन की है, उसके अनुसार जिसके नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जमींदार और बिस्वेदार जो दर्ज है वही जमींदार और बिस्वेदार कहलायेगे। इस प्रकार जिन लोगों ने गंगानगर एरिया की जमीन खरीदी है उनको भी आप शामिल करना चाहते हैं, तो वे किसी भी हालत में न जमींदार थे और न बिस्वेदार ही थे। मेरी ऐसी मान्यता है कि टिनेन्सी एक्ट के बनने के बाद खातेदारी से ज्यादा हक वे नहीं रखते। कुछ गलतफहमी इस बारे में इस लिये हो रही है कि पंजाब में आला मालिक होते हैं उसी के अनुसार यहां भी रख दिया गया है। मेरा ऐसा निवेदन है कि पंजाब में जो आला मालिक हैं वे यहां के मालिक से बहुत जुदा है। हमारे यहां तो यह कायदा है कि जमीन वगैरह गवर्नमेंट की सेंक्शन के कोई बेच नहीं सकता कमिश्नर की सेंक्शन उसके लिये लाजमी है। और पंजाब में जो जमीन के मालिक है उनके लिये तो रजिस्ट्री भी लाजमी नहीं वे चाहे किसी के नाम दर्ज करवा सकते हैं। यह मैं मानता हूं कि हमारे यहां भी ४५ गांव ऐसे हैं जिस तरह पंजाब में आला मालिक का रिवाज है, उसी तरह का रिवाज इन ४५ गांवों में है ये गांव पंजाब से बीकानेर स्टेट को मिले थे। और इस तरह से जो हक उनको पंजाब में हासिल थे, उसी प्रकार के हक वहां भी मौजूद है उसी प्रकार के मालिकाना हक उनको है, वे जमींदार और बिस्वेदार की परीभाषा में आते हैं। मैं वहां का बेक ग्राउन्ड जरा अर्ज कर दूँ। करीब २७,२८ साल पहले हमारे यहां गंग केनाल आयी और उस हालत में लोगों को किश्तों पर जमीन बेची गई। अभी दो तीन साल पहले तक लोगों ने उन किश्तों को भरा है सन् ४५ और ४६ में जो १००,१०० मुरब्बों के मालिक थे उनकी हालत यह थी कि उनके कपड़े बर्तन और पशु तक नीलाम होते देखे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं सरदार दरबारसिंह सब से बड़े जमींदार हैं उनके ही कमिश्नर अटल ने सामान कपड़े और पशु

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

तक नीलाम करवाये हैं। पाकिस्तान के बनने के बाद कुछ ज्यादा पानी मिलने लगा है, भाव भी कुछ अच्छे हो गये हैं, इसलिये वहां के जमींदार और किसानों की हालत अच्छी हुई है। आप उन्हीं को आज कहते हैं जमींदार और बिस्वेदार उनके पास न किसी प्रकार की जायदाद है। जितनी भी जमीन उनके पास है, वे सारी काश्त करते हैं। जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वहां ६७ प्रतिशत लोग सन् ४६ में खुदकाश्त करते थे। आज जब से किसान और इन्टर-मीडियरीज के बीच झगड़ा पैदा हुआ, तो वहां आपको ९५ प्रतिशत लोग खुदकाश्त करते हुए मिलेगे। वहां जमींदार और बिस्वेदार के नाम से कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं। और इसके अलावा वहां की हालत जो कम्पेन्सेशन के लिये है, वह भी बिल्कुल जुदा है। आपके यहां पर जब कि १५ रु० १० रु० और ८ रुपया बीघा है, तो हमारे यहां लैन्ड रेवेन्यू चार आने से लेकर छ: आने तक रेज करती है। हनुमानगढ़, सूरतगढ़, नोहर और भादरा में चार आने से छ: आने तक की लैन्ड रेवेन्यू है और वहां एक बीघे जमीन की कीमत है ५०० से ७०० तक एवरेज रेज करती है। और आप उनको कम्पेन्सेशन देंगे एक बीघे पर तीन रुपया क्योंकि जहां लैन्ड रेवेन्यू छ: आना है उसका आठ गुना आपने कम्पन्सेशन दिया, तो वह तीन रुपया हुआ। इसलिये जहां तक कम्पनसेसन देने का सवाल है हम इसके लिये कोई कानून बनाते हैं और किसी चीज के लिये कम्पनसेशन देते हैं, तो वह ऐसा होना चाहिये जिससे लोग यह समझ सकें कि हमको कुछ मिल रहा है बीस पच्चीस परसेन्ट का जो आपने रक्खा है वह बहुत रिडूकुलस है, ऐसा न रक्खें ताकि लोग मजाक समझें।

टी. बी. के इलाके में जो ४५ गांव पंजाब से मिले हैं वहां लैन्ड रेवेन्यू डेढ़ आने से दो आने हैं। और वहां एक बीघा जमीन की कीमत ७०० रुपया है। वहां अगर आप आठ गुना कम्पनसेशन देते हैं तो वह १२ आना हुआ, तो ऐसा कौन लेने वाला है। हमारे यहां पहली दफा राजस्थान बनने के बाद छटा बांटा हुआ। आपने इसकी प्रेक्टिकल साइड को नहीं देखा हमारे इलाके से पंजाब का इलाका मिलता है, वहां आधा बांटा है, वहां पर तीसरे बाटे पर काश्त होती है। हमारे यहां छटे बाटे का असर यह हुआ कि एक भी जगह छटा बांटा नहीं हुआ वहां आधा बांटा ही रहा। कानून जो हम बनाते हैं वह प्रेक्टिकल होना हाहिये, वहां की हालात को देखकर होना चाहिये। पहले जब टिनेन्सी एक्ट बना उस समय श्री सुखाड़िया जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे यहां की हालत बहुत जुदा है, हमारे यहां किसी भी सूरत में आठ टाइम्स से काम नहीं चलेगा। हमारे यहां लैन्ड रेवेन्यू ऐसी है बहुत कम है चार आने से लेकर छ:आने तक है और प्रति बीघा की कीमत है ७०० रुपया। आप जिस हिसाब से कम्पेनसेशन देना चाहते हैं, उससे कुछ बनने वाला नहीं जहां गवर्नमेंट खुद १२॥ हजार रुपया की मुरब्बा बेचती है। कहां तो १२॥ हजार रुपया और कहां तीन रुपया। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूँ कि जो लैन्ड रेवेन्यू आपने बतलाया वह तो ठीक है किन्तु

(श्री दामोदरलाल व्यास)
जो जमीन मालिक किसानों को काश्त के लिये दे देते हैं, तो मालिक क्या लगान वसूल करते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आधा वसूल करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आधा प्रोड्यूस का या ग्रोस प्रोड्यूस का।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ग्रोस प्रोडयूस का आधा। अगर हम उसको आठ टाइम्स भी देते हैं उसकी एवज में तो भी कोई ले नहीं सकेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने यह कैसे समझ लिया कि लैंड रेवेन्यू का आठ टाइम्स मुआवजा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : लीगली कितना वसूल कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : लीगली तो १।६ वसूल कर सकते हैं। मैं तो माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि तीन आने के हिसाब से तीन रुपये का हिसाब किस तरह से निकाला ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लैंड रेवेन्यू का आठ गुना ही देंगे। नहीं तो आप मार्केट रेट ही रख दीजिये। मार्केट रेट पर हिसाब फैला लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जरा आप भी तो हिसाब बतलाइये। आपने किस प्रकार से तीन रुपया बताया [illegible]दि का आठ टाइम्स कितना होता है। आपने जहां [illegible]क बीघे की ७०० रुपया कीमत बतायी, वहां आप यह भी बता दीजिये कि एक बीघे में कितनी पैदावार होती है और १।६ के हिसाब से कितनी पैदावार होगी है। वह भी हिसाब बता दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको आप ही वर्क आउट कीजिये। जहां तक टिनेन्सी एक्ट का सवाल है वहां पर गंगानगर की अलग वेल्यू रखी है। एक चीज की बराबर सब को कर देना इससे ठीक काम होने वाला नहीं है।

इसलिये गुजारिश करूंगा कि या तो मार्केट रेट रख दें या कम्पेन्सेशन बिल्कुल न दें तब भी वे राजी हैं।

१. म. प.

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा ऐसा प्रस्ताव है कि यह जो क्लॉज़ है इस पर क्योंकि मेरा जवाब ही बाकी रहा है, वह बाद में अर्ज कर दूं। पहले डेफर्ड क्लॉज़ ले लें।

श्री अध्यक्ष : तब तक उदारतापूर्वक विचार भी कर लें।

(हँसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : आप हुक्म फरमावेंगे तो करूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह : मैंने प्रथम इसके लिये यह प्रश्न उठाया था कि जब यह ऐसा विषय है जो दस ग्यारह वर्षों से न हो पाया हो उसको साथ ही ले लिया जावे तो ठीक है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन सा विषय ?

श्री नरेन्द्रसिंह : जमींदारी उन्मूलन का, सब विषय का मैंने जब सुना, तो लगा गम्भीरता बहुत ही ज्यादा है। ऐसी हालत में

(श्री नरेन्द्रसिंह)

सिलेक्ट कमेटी में इसे ले लिया जावे तो मैं अपनी विचारधारा वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह तो हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ डेफर किया गया था। इस पर माननीय राजगढ़ से आये सदस्य को बतलाया था, वे यहां हैं नहीं, मगर मैंने उस क्लॉज़ ५ में जो अमेंडमेन्ट पेश किया वह इस तरह है, जिसको सुनने के बाद उनको भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २३ ले लें, तब तक वे आ जावेंगे। आप ही का अमेंडमेंट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज २३ के अन्दर (२) Substitute 'appeal' for 'revision'.(1) will remain as it is Sub-clause (2) will now read-"(2) The Commissioner shall pass such order on appeal under sub-section (1) as he thinks fit and the order of the Commissioner shall, subject to any order passed in appeal under section 24, be final":

Instead of 'revision' it shall be 'appeal' Then clause 24 as existing will be deleted and it will be substituted by the following :-

"24. An appeal shall lie to the Board of Revenue from an order of the Commissioner passed under section 23 on appeal. (2) An appeal under sub-section (1) may be brought within 60 days of the date or order appealed from on any of the grounds mentioned in sub-section (2) of Section 224 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (No. 3 of 1955). वह जो माननीय सदस्य जोधपुर से आये हैं उन्होंने जो ग्राउन्ड्स मेन्शन किये थे, इन्हीं को मैंने इस तरह से रख दिया है। So this will dispose of 23 and 24.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

२३ और २४ साथ ही ले लेते हैं।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३ में जो संशोधन माननीय मंत्री ने रक्खे हैं उन्हें स्वीकार किया जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज २३ और २४ स्वीकार की जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३ व २४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

क्लॉज़ २५। श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्री जी, "omit 'the Commissioner'."

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो है नहीं। Amndment has not been moved.

Page No.42

श्री नाथूराम : आपका है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तो जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज २५ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

अब क्लॉज ५ पर आ जावें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): In clause 5, in part (b) of sub-clause (1) omit the words 'private buildings' in first line. Insert a new sub-clause (bb) reading as under—"(bb) all priate houses and nohras or enclosures attached there to, provided that such nohras and enclosures are in continuous possession of the Zamindar or biswedar since the first day of January, 1953."

आई थिंक दिस बिल सर्व दी पर्पज और माननीय सदस्यों का जो एप्रीहेन्शन था वह भी इससे क्लीयर हो जावेगा।

श्री रघुवीरसिंह : इस संशोधन के आने पर मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुवीरसिंह जी ने पेश किया, उसे वापिस लेने की उनको अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री रघुवीरसिंह : मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने क्लॉज़ ५ में रक्खा वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह हैं कि संशोधित क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने

श्री दामोदरलाल व्यास : एक जरा सा रह गया साहब।

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : That has aready beendiscussed,

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि संशोधन क्लॉज ५ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(विराम)

संशोधित क्लॉज ५ विधेयक के अंग के रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

अब फिर वह शिड्युल आ जाता है। यह डेफर कर सकते हैं। नैक्स्ट बिल ले लें।

१. ५. म. प.

राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन अमेंडमेंट बिल १९५८

(पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष

Page No.43

(श्री दामोदरलाल व्यास)

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जागीरदारी डेट रिडक्शन बिल, (अमेंडमेंट) १६५८ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जागीरदारी डेट रिडक्शन अमेंडमेंट बिल, १६५८ को पारित किया जावे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

१. ७. म. प.

अजमेर एबोलिशन ऑफ इन्टरमिडयरीज एण्ड लैण्ड रिफॉर्म्स (अमेंडमेन्ट) बिल, १६५८

(पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर एबोलिशन ऑफ इन्टरमीडयरीज एण्ड लैंड रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : कोई अमेंडमेंट नहीं है । प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(विराम)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया । विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अजमेर एबोलिशन ऑफ इन्टरमीडियरीज़ एण्ड लैंड रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, १६५८ को पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि......आप जरा बता दें कि किस के बारे में है यह ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब को मालूम तो पड़ जावे, साहब ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अजमेर एबोलिशन ऑफ इन्टरमीडियरीज़ एण्ड लैंड रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, १६५८ में खासतौर से जो भावनायें हैं वे ये हैं कि जो माइनर्स हैं, जो विधवायें हैं, जिनके गुजारे के लिये एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था तो वह प्रोविजन जागीरदारी एबोलिशन एक्ट में जिस तरह का है उसी तरह का उससे लेकर इसमें रक्खा है । जैसे उसमें मेन्टिनेन्स दिलाने का अधिकार कमिश्नर को है, वही इसमें भी रक्खा गया है ।

इसी प्रकार इस्तमरारदारों के जो एम्प्लोइज़ हैं उनको पेन्शन देने का या सर्विस में ऑब्जर्व करने का प्रोविजन उस एक्ट में पहले नहीं था, तो वह इसमें रक्खा गया है

Page No.44

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और जो फेसीलिटीज़ जागीरदारों के एम्प्लोयीज़ को हमने एक्ट में दे रक्खी थीं वे ही इसमें इस्तमरारदारों के एम्प्लोयीज़ के लिये रक्खी हैं।

...इसी तरह से कुछ इन्टरमीडियरीज़ की जो खुदकाश्त की जमीन है उसमें अमेंडमेंट किया गया कि वहां कुछ ऐसा प्रोविजन था कि कोई इजेक्टमेन्ट टिनेन्ट को करने का उसमें कुछ अमेंडमेंट कर के यह प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी इजेक्ट नहीं होगा। मगर उसको जमीन खुदकाश्त की मिल जाये ऐसा प्रोविजन किया गया है। खासतौर से यह एक अमेंडमेंट बिल है, इसमें यही प्रोविज़न हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अजमेर एबोलिशन ऑफ इन्टरमीडियरीज़ एण्ड लैंड रिफॉर्म्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

१' १२ म० प०

राजस्थान भू-राज्य (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

(पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स हैं। आप थोड़ा सा इसको बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मौजूदा राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट है उसके अन्दर यह प्रोविज़न नहीं है कि अगर कोई काश्तकार अपनी खुद की जमीन को नोन-एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कन्वर्ट करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। इस बात का कोई भी प्रोवीज़न इस एक्ट में नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं हो सकता है किसी टाउन के बीच में या शहर के बीच में ऐसी जमीन हो सकती है कि जो एग्रीकल्चर लैन्ड हो और वह नोन-एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ की जा सकती हो। इस तरह के पहले भी एक्ट हैं मिसाल के तौर पर बॉम्बे का, मद्रास का एक्ट है उसमें ऐसा प्रोविज़न है जिसके बेसिस पर मैंने यह अमेन्डमेन्ट बिल यहां पर पेश किया है। जिसमें यह प्रोविज़न किया है कि स्टेट गवर्नमेंट की पर्मिशन के बगैर कोई भी आदमी अपनी एग्रीकल्चर लैन्ड को नोन-एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता अगर कोई ऐसा करता है तो that is detrimental and he is liable for ejectment under the law. इस लॉ से यह प्रोवाइड किया है कि अगर वह चाहते हैं एग्रीकल्चर लैन्ड को नोन-एग्रीकल्चरल पर्पज़ में कन्वर्ट की जाये तो he should apply to the State Government फिर मैंने अमेन्डमेन्ट किया है कि कुछ टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स के ऊपर पर्मिशन देंगे। यह लैन्ड रेवेन्यू (सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट) बिल है। आपका (श्री तनसिंह) कोई अमेन्डमेन्ट है ?

श्री तनसिंह (बाडमेर) : एक प्रिंसिपल है और अमेन्डमेन्ट भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट) बिल,

(श्री तनसिंह)

१९५८ है जिसमें पहली बात जो रखी गई है वह अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दी। लेकिन इस कानून के अन्दर कुछ ऐसी खामियां हैं जिन पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस कानून के द्वारा वह सारी जमीन कि जो अब आबादी के रूप में परिवर्तित कर दी है उन जमीनों के विषय में यह कानून स्टैप लेता है। लेकिन इस विषय में सदन में भी चर्चा चली थी कि कुछ ऐसी जमीनें भी हैं कि जिनको इस एक्ट के लागू होने से पहले उस भूमि को, जो कि काश्त के लिए थी, आबादी के लिए कन्वर्ट कर दिया तो इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं था। यह महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम किसी कानून को लागू करते हैं तो उस कानून को लागू करने के साथ साथ हम उसके साथ जो पहले, इस कानून से पहले की अवस्था थी उस पर भी विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए मनमाने तौर पर लोगों ने उस जमीन का दुरुपयोग किया है और सरकार की राशि का भी उसके साथ में अवरोध उत्पन्न किया है। तो हमें यह प्रश्न भी विचार करना चाहिए कि हमें इस विषय में कोई सख्त कदम उठाने चाहिए। तो मेरा यह ख्याल है कि इस संशोधन द्वारा वह मन्शा हल नहीं होती है। जो कुछ हो चुका है उसके विषय में यह एक्ट बिल्कुल चुप है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि किसी काश्त की जमीन को आबादी की लैन्ड में परिवर्तित किया जावेगा तो उस समय सरकार ने लगान वसूल करने का एक अजीब तरीका बना रखा है। उस अजीब तरीके को भी स्पष्ट नहीं किया गया। यह मालूम भी नहीं है कि वह तरीका क्या होगा। यह तो रूल्स में प्रेसक्राइब करने की बात है। दो बातें मुझे इसमें स्पष्ट दीखती हैं। पहली, बात तो यह है कि एक मुश्त राशि तो प्रीमियम के तौर पर वसूल कर ली आ जयेगी। दूसरे, उसका अरबन असेस्मेन्ट होगा। दलील यह दी जाती है इसके पक्ष में कि क्योंकि हम उस काश्त की जमीन से एक रेग्युलर इन्कम लेते थे लैंड रेवेन्यू के तौर पर, इसलिए उसको वापिस कम्पन्सेट कैसे किया जावे, तो यदि इस दलील को सही माना जाये तो एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि सरकार लैंड रेवेन्यू को ही शाश्वत तौर पर वसूल करती है तो भी कोई बात है तब तो फिर प्रीमियम वसूल करने की आवश्यकता नहीं रहती। जमीन के जब हम प्रिलिमिनेरी राइट्स देते हैं तो कोई कन्डीशन नहीं होनी चाहिए। सरकार वसूल करती है अरबन असेस्मेन्ट और यह हर साल वसूल होता जायेगा। तो उसके ऊपर उस व्यक्ति का सम्पूर्ण दायित्व अधिकार नहीं होता है और न जमीन पर कोई विशेष इम्प्रूवमेन्ट कर सकता है और न उसको अपनी ही समझ सकता है। अब यदि यह भी मान लें कि सरकार के पास में जो आज लैंड रेवेन्यू बन्द हो गई है उस जमीन के आबादी में परिवर्तित होने के कारण, तो उसके लिए सीधा तरीका यह हो सकता है कि जब हम लैंड का एक्वीजीशन करते हैं तो बीस गुना मुआवजा देते हैं। खातेदारों हकूक देने के लिए और उस पर अपने प्रोप्राइटरी हक तय करवाते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं यह समझता हूँ कि एक प्रीमियम निश्चित कर दिया जाना चाहिए, चाहे वह बीस गुना ही क्यों न हो। लैंड रेवेन्यू का बीस गुना होने होने के बाद में सरकार का कोई अधिकार

Page No.46

(श्री तनसिंह)

नहीं होना चाहिए, न लगान वसूल होना चाहिए। वर्ना हर साल लगान वसूल करने की बात तो ऐसी हो गई जैसे पहले जो भी लगान वसूल होता था चाहे वह कितने ही अर्से का रहने वाला हो लेकिन दो रुपया सालाना जमीन के मालिक को देना पड़ता था। तो यह व्यवस्था है जो इस कानून के द्वारा लागू की जा रही है। उसी व्यवस्था को नये रूप में कानून की मंशा देकर लगाई जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि हम प्रोपर्टी को होल्ड कर सकें और उसको जो निजी तौर पर खरीदे उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यदि वह पब्लिक पर्पज़ के लिए ली जाती है तो उसका मुआवजा देना चाहिए। यह संविधान की मंशा है। अब यदि हम कोई जमीन जो कि काश्त में थी उसका आबादी में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसको एक प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। वह यह है कि या तो उससे एक पर्टिक्युलर प्रीमियम या जमीन का मुआवजा है उस हिसाब से काश्तकार को दे देना चाहिए और इसके बाद में जो सालाना लगान की वसूली हो वह हमेशा के लिए बन्द हो जाना चाहिए। अब यहां जो स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स हैं उसमें जो दलील दी गई है 'Further there is on reason why Government should suffer diminution of its land revenue and should not share in the gain made by such conversion. मेरे निवेदन करने का अभिप्राय यह है सरकार को इससे कोई हानि नहीं होती। सरकार जब एक साथ में २० गुना लैंड रेवेन्यू का ले लेती है तो उसके बाद में अनन्त काल तक उससे वसूल करने से दूसरी अड़चन पैदा होती है और वह यह है कि आबादी का जो इम्प्रूवमेन्ट है वह केवल किसी एक व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सारे समाज और राष्ट्र के लिए भी लाभदायक है। यदि सारे शहरों में और गांवों में जो आबादी के रूप में जो जमीन परिवर्तित की जाती है उसका सुधार करना चाहते हैं। तो हमें निश्चित रूप से सारी की सारी जमीन को रशिया की भांति या ऐसे सोशियलिस्ट स्टेट की भांति सारी जमीन को अपनी बना देना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है। यदि प्राइवेट प्रोपर्टी को मान्यता देते हैं तो ऐसी अवस्था में सालाना लगान वसूल करने की पद्धति ठीक मालूम नहीं देती है। तो यह दो बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण बातें थीं जिसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है और मुझे आशा है माननीय मंत्री महोदय कोई निश्चित नीति निर्धारित करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू में जो सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है इसके सम्बन्ध में इसमें कुछ इस प्रकार की एम्बीगुइटी है इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। आजकल अधिकांश जमीनों को जिनको आबादी में बदला जाता है वे किसी कस्बे में होंगी जहां कि पंचायतें या म्युनिसिपेलिटीज़ होंगी। अब इस प्रकार से जमीनों को जो इन लोकल ऑथोरिटीज़ के सीमा क्षेत्र के अन्दर हैं उनको जब बदला जायगा आबादी लैंड में तो कौन मुआवजा देंगे। आज कई प्रकार की जमीनें हैं जो कई कस्बों में देखने को मिलती हैं, एग्रीकल्चर के काम में आती हैं तो वे म्युनिसिपेलिटी या पंचायतों के अधिकार में नहीं हैं और लैण्ड रेवेन्यू है, वह राजस्थान सरकार लेती है। जब इन जमीनों को आबादी में बदला जायगा तो ऐसा लगता

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है कि जो कुछ भी योजना सरकार की है मुआवजा देने के लिए, तय करने की वह सारी सरकार से ले लेगी। इतना ही नहीं था, हमने पहले सीकर ठिकाने में देखा था कि मकानों पर धुआवास लगाते थे और प्रति वर्ष सरकार ३ या ४ रुपये लिया करती थी। इस बिल के अन्दर क्लॉज़ ३ की सब-क्लॉज ४ (बी) में दिया गया है :

"Such further amount by way premium as may be prescribed by the State Government."

इस प्रकार की जमीनों को लेने के बाद, सरकार से तय करके ले लेने के बाद, मकान वगैरह उस पर बना लेने के बाद में सरकार हर साल इस प्रकार से टैक्स वसूल नहीं करेगी, लेकिन वह जमीन लोकल आँथोरिटीज़ के पास में चली जाती है उसके बाद में लोकल आँथोरिटी पट्टा बना दे। लैण्ड को परिवर्तन करने के बाद में, पट्टा बनाने के बाद में जो वहां का टैक्स वगैरह होता है, वह चाहे पंचायत के क्षेत्र में हो या म्युनिसिपल क्षेत्र में हो, एवजाना लेने के बाद में टैक्स वे ही वसूल करती हैं। बाकी प्रतिवर्ष उस जमीन के किराये के रूप में कुछ नहीं लिया जाता है। लेकिन यहां पर उस जमीन में सरकार जो लैण्ड रेवेन्यू अभी तक लेती आ रही है, वह लैण्ड रेवेन्यू मुआवजा ले लेते हैं उसके बाद में भी प्रति वर्ष जिस प्रकार से जमींदारी या जागीरदारी एबोलिशन बिल्स में एबोलिशन करने के बाद प्रतिवर्ष मुआवजा दिया जायगा और उसमें ८ या १० टाइम्स मुआवजा देकर समाप्त किया जायगा। इसमें ऐसा किया है कि जैसा सरकार तय करेगी "as may be prescribed by the State Government". तो इसमें टाइम फिक्स नहीं किया है। अनलिमिटेड टाइम के लिए सरकार जब तक चाहेगी तब तक क्योंकि जब जमीन की लैण्ड रेवेन्यू का प्रश्न था वह सरकार को अनलिमिटेड टाइम तक मिलती रहेगी, उसमें घाटा नहीं हो, उस नाते सरकार लेती रहेगी। यह बिल्कुल इस प्रकार का संशोधन इसमें आया है, वह एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। इन दोनों बातों का स्पष्टीकरण होना चाहिए और उसके बाद में बिल को आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अर्ज किया था इस बिल को विचारार्थ लेने के अर्थ में कि इसका मौजूदा कानून है उसमें एग्रीकलचर लैण्ड को नानएग्रीकचर परपज के लिए यूज करते हैं।

That is a detrimental Act and he is liable to ejectment.

यह कहना कि पहले करा है उसके लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। पहले अगर किसी ने कुछ किया है।

That will be a breach of law and he will be liable to ejectment. अगर किसी ने या है पहले कि तो इसमें प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। पहले कर लिया है, we are not going to validate by this law. यह तो हम एक एडीशनल फैसिलिटी दे रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि कोई खास रेस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करते हैं किसी के राइट्स पर हम तो एक एडिशनल फेसिलिटी देना चाहते हैं कि जिनकी जमीन ऐसी सिचुएटेड हो, एग्रीकल्चर लैण्ड बिल्कुल आबादी

Page No.48

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से लगा हुआ है, ऐसी आबादी के विसिनिटी में है जिसको नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कन्वर्ट करना ज्यादा प्रोफिटेबिल हो सकता है। उनको एडिशनल फेसिलिटि इस बात की दे रहे हैं कि पर्मिशन लेकर वह कन्वर्शन की इजाजत ले सकता है इस बात के लिए।

इस तरह से माननीय सदस्य जो सीकर से आए हुए हैं उन्होंने म्युनिसिपेलिटी और पंचायत का प्रश्न पैदा कर दिया है और यह कहा, इतना ही नहीं कहा, लेकिन जहां तक एग्रीकल्चर लैण्ड का सवाल है म्युनिसिपेलिटीज़ या पंचायत आबादी लैण्ड के लिए उनको जुरिस्डिक्शन दिया गया है और उसके बाद में भी उनका जुरिस्डिक्शन महज आबादी लैण्ड तक कन्सैन्ड है। रहा सवाल कि जो आबादी लैण्ड है, जो वेस्ट कर दी गई पंचायत या म्युनिसिपेलिटी में जो उनको ट्रान्सफर कर दी गई है उसको लीज करने के पॉवर्स या सेल करने के पॉवर्स उनके हैं। उस पर उनका जुरिस्डिक्शन है इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट लैण्ड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट लैण्ड कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं।

And the Municipality has nothing to do with the land. मगर जो निजी लैण्ड है लोगों की, काश्तकारों की वह ऐसी सिचुएटेड है कि यदि वह उसको कन्वर्ट करना चाहें और they can transfer those government lands to the Municipatity or any local body for any purpose what so ever. तो उसके लिए प्रोविजन है। हम एक एडिशनल फेसिलिटी दे रहे हैं कि वह कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए प्रोविजन है कि on such terms and conditions on which the Governmentt. may prescribe regarding urban assessment.

अगर ऐसी जमीन पर अरबन एसेसमेन्ट लगना ठीक है तो वह लगा देंगे, और प्रीमियम की तरह का लैण्ड है तो वह बना देंगे। कुछ न कुछ टर्म्स पर जो कि गवर्नमेन्ट मुनासिब समझेगी उस पर लगायेगी।

एक माननीय सदस्य जो कि बाड़मेर से आये हुए हैं, उन्होंने यह आर्ग्यू किया है जिन लोगों की जमीन थी उनके राइट्स थे, उनको २० टाइम्स मूल इन्कम लेने के बाद छोड़ दिया गया है, वह इन एडिक्वेट है और इन्इक्विटी है इस प्रकार की बहुत सी दलीलें दीं। मगर मैं अर्ज करूंगा कि दो-तीन बातों को ध्यान में रखें। उनका यह ख्याल हो कि स्टेट ग्रान्टी की जो जमीनें हैं उन पर उनके राइट हो गये, इतने अर्से से। मैं यह कहूंगा कि यह बात नहीं है। स्टेट ग्रान्टी को एलिमिनेट करने के राइट नहीं थे। इस तरह की बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि Unless it is converted into an abadi land यह इन्कन्वेट है कि सारी ग्रान्ट्स पर सारे पर्पज़ के लिए लैण्ड रेवेन्यू का कम्पेन्सेशन लगता रहेगा।

यह एक एडिशनल फैसिलिटी दी जा रही है कि वह आदमी नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए युटिलाइज करता है तो पर्मिशन लेकर कर सकता है। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अरबन एसेसमेंट या प्रीमियम लेना, यह बात लेजिटिमेट है, वह लगना चाहिए।

Page No.49

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जो एग्रीकल्चर लैण्ड नॉन-एग्रीकल्चर काम के लिए कन्वर्ट हो गई है उसके बारे में सरकार क्या प्रावधान करना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एग्रीकल्चर लैण्ड को नॉन-एग्रीकल्चर लैण्ड में कन्वर्ट करने का गवर्नमेन्ट को हर वक्त राइट है। प्राइवेट लैण्ड पर प्राइवेट काश्तकार के लिए एग्रीकल्चर लैण्ड को आबादी या नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कन्वर्ट करने का राजस्थान केकिसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है अभी तक।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है, यह तो मैं मानता हूं लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर लैण्ड को नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कन्वर्ट किया गया है। चाहे वह कलेक्टर की आज्ञा से हुआ है, उन सबको अवैध समझा जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूं कि कानून में जो नहीं है, जो कार्यवाही कानून के खिलाफ हुई है उसका क्या असर होगा, यह माननीय सदस्य स्वयं समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह असर पाली में भी होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पाली में भी होगा और श्रीमाधोपुर में भी होगा।

श्री अध्यक्ष : कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड आबादी में आये या कोई उसको आबादी में कन्वर्ट करता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर वह एग्रीकल्चर एरिया सरकारी है तो वह ट्रान्सफर कर देते हैं म्युनिसिपेलिटी को या पंचायत को। अगर किसी काश्तकार का होता है तो we acquire under the Land Acquisition Act, pay the compensation and then transfer it.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर। अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसेज आये हैं कि जागीर एबोलिशन के एन्टीसिपेशन में कुछ जागीरदारों ने अपनी जमीनें जो आबादी एरिया के नजदीक थीं, उनको दूसरे लोगों को आबादी एरिया के लिए सेल कर दिया है और उन्होंने काफी रुपया इस तरह से वसूल किया है। उसके लिए क्या कन्डीशन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे अर्ज कर दूं कि कोई साहब हों जिन्होंने खिलाफ कानून ऐसा किया है जैसा कि मैंने अर्ज किया था that is a detrimental Act and he is liable to ejectment किसी ने उसको बेच दिया है और वह सेलेबल लैण्ड नहीं है, उसको एलिमिनेट करने का उसको कानूनन अधिकार नहीं है और बेच दी है तो खरीददार बाहर निकाल दिया जायगा और बेचने वाला भी बाहर निकाल दिया जायगा And the land will be taken over by the State

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Who will be the prescribed officer under the Land Revenue Act which you have provided under this Bill ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझा नहीं ?

श्री श्रीभानसिंह : प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर या ऑथोरिटी प्रोवाइड की है वह लैंड रेवेन्यू बिल में कौन सी ऑथोरिटी रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : स्टेट गवर्नमेंट।

श्री दामोदरलाल व्यास : Under section 95 of the Land Revenue Act, I will better refer to it, and there are provisions for abadi...

श्री श्रीभानसिंह : ऑफिसर या ऑथोरिटी कौन सी रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से सेक्शन में ?

श्री श्रीभानसिंह : ९० ए० में किससे पर्मिशन लेनी पड़ेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Government will prescribe the authority probably the Collector. I can't say it definitely but that will be prescribed by Government.

श्री श्रीभानसिंह : Does the Collector come under the Land Revenue Act. ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I think it does. The Collector and the Commissioner both.

श्री श्रीभानसिंह : I think, no.

श्री दामोदरलाल व्यास : You may think so.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता। प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री तनसिंह : मेरा संशोधन क्लॉज ३ पर है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २ पर कोई बहस की आवश्यकता नहीं है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अमेंडमेंट मूव करने वाले आये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार की जाय। जो इसके पक्ष में है वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें। 'हां' पक्ष जीता।

क्लॉज २ स्वीकार किया गया।

क्लॉज–३

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में मेरा अमेंडमेन्ट इस प्रकार है।

"After section 90 of the principal Act the following words shall be inserted 'ane shall be deemed always to have been inserted' 'between the words' shall be inserted and' 'namely' occurring in the clause''.

इससे मेरा अभिप्राय यह था कि इस कानून के द्वारा वे सारी ट्रान्सफर्स या वे सारे रद्दोबदल जो हुए हैं वे सारे इस में आ जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने बहस के जवाब में यह बताया कि जिन लोगों ने एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन–एग्रीकल्चरल लैंड की तरह यूज किया है वे ऑर्डिनरी लॉ से एबाइड होते है इसलिए उनको इजेक्ट कर दिया होगा या किया जा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि जिस समय यह कानून नहीं था और आज हम सुविधा देते हैं यह दोनों ही पक्ष की बात हो सकती हैं, सुविधा भी हो सकती है और बंधन भी हो सकता हैं, दोनों

(श्री तनसिंह)

साथ साथ होनी चाहिये । यदि आज से पहले किसी ने भूमि को स्थानान्तरित कर दिया है नॉन–एग्रीकल्चरल पर्पज के लिये तो उनको इजेक्ट कर दिया जायगा और आज यदि करना चाहें तो वापिस दुबारा पर्मिशन लेनी पड़ेगी । यदि इजेक्टमेंट हो गया है तब तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दूसरी बात जो यहां बताई गई है कि हम उनके ऊपर वसूल करेंगे प्रीमियम वगैरह और वसूल करके उनको बाद में जमीन दे देंगे, मैं नहीं समझ पाया कि इसका क्या अभिप्राय है । मैं यह समझूंगा कि जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं था इसलिये उनको इजेक्ट कर दिया है । यदि बेदखल कर दिया गया है तो नये सिरे से दरख्वास्त दे उसकी अपेक्षा यह उपयुक्त होता कि इस प्रकार का प्रावधान लगाकर पास करते । यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो बीच के केसेज़ भी कवर हो जाते हैं और असुविधा भी नहीं होगी और नाजायज फायदा जिन्होंने उठाया है, उनको भी सबक मिल सकता है ।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसमें थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहूंगा । क्या बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य की यह मंशा है कि ऑप्शन ऑफ दी बिल को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाय ।

Does he mean to say that we should regularise all those conversion of land although there were done without the State Government.···

श्री भैरोंसिंह : It does not mean so.

श्री दामोदरलाल व्यास : I wanted to know what does he mean to say ?

श्री अध्यक्ष : यदि है तो, राज्य सरकार लेकर खत्म करे ।

श्री भैरोंसिंह : किस तरह की मंशा बताई ? यदि यह मंशा है कि पिछले जितने इर्रेग्युलर ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको रहने दिया जाय, तब तो मैं आपका विरोध करता हूं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, धारा ३ के बाद में एक प्रोविजो बढ़ाने का मैंने अमेंडमेंट दिया है, वह इस प्रकार है :

"Add the following proviso to clause 3-

'Provided that if such land falls within the limits of any local authority, such price of the converted land as may be assessed under clause (a) of sub-section (4) in consultation with the local authority shall be given to the local authority concerned'."

अभी इस धारा को विचारार्थ लेते समय इस बात को मैंने रखा था और मंत्री जी ने कहा कि यदि कोई जमीन आबादी के पास होगी और कन्वर्ट होगी तो पंचायत या लोकल ऑथोरिटी को दे दी जायगी । लेकिन कई ऐसी लोकल ऑथोरिटीज हैं, म्युनिसिपेलिटीज या पंचायत्स जिनकी लिमिट्स डिफाइन्ड हैं और उनके अन्दर जितने भी रहने वाले हैं वे इलेक्शन आदि में भाग लेते हैं । इसमें कुछ ऐसी जमीन भी म्युनिसिपल लिमिट्स में होती होगी जो एग्रीकल्चर के काम आती है और इसलिये सरकार उसका लगान वसूल

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

करती है। तहसील की मार्फत और उसके बाद जब उस लैंड को आबादी लैंड में तब्दील करेंगे तब भी उसके लिये फाइनल ऑथोरिटी सरकार है। म्युनिसिपेलिटी कर नहीं सकती और कलेक्टर किसी ऑफिसर को ऑथोराइज करेंगे वेही बदलेंगे और तभी आबादी लैंड होगी और कीमत तय की जायगी आसपास की आबादी लैंड की कीमत से....

श्री दामोदरलाल व्यास : I would take an objection to this amendment being moved. This is not with in the scope of the Bill. लोकल बोडीज को क्या प्राइस पर, किस कीमत पर ट्रान्सफर किया जाय ?

This is only the subject of the executive authority स्टेट ने डेवलपमेन्ट पर्पजेज के लिये लोकल ऑथोरिटी को ट्रान्सफर की है तो कानून में प्रोवाइड नहीं है, इसमें यह प्रोवाइड कराना It will be beyond the scope of this Bill and this should be rejected and should not be allowed to be moved.

श्री तनसिंह : मेरा ख्याल है राजस्थान में ऐसी जमीन है जिस पर लोकल ऑथोरिटी को अधिकार नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य यह समझें कि लोकल ऑथोरिटी के बिल में अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। जितनी डेलीगेट हुई है उसको लें तो...

the Government has delegated to the Municipality to sell and lease out with in the municipal area.

कोई किसी कानून में ट्रान्सफर नहीं हुआ है। यह लैंड कन्वर्शन का सवाल है। क्या कीमत दी जाय, क्या नहीं ?

It is the State Government income. Now whether the State Government can transfer it to the Local Authority is beyond the scope of this Bill atleast.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा दिया कि अमेंडमेन्ट बियोन्ड स्कोप है, इसमें इस एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत तय करने का प्रश्न है, माननीय सदस्य का कहना है कि इसमें दो बातें हैं 'Provided that if such land falls within the limits of any local authority, such price of the converted land as may be assessed under clause (a) of sub section 4 in consultation with the local authority shall be given to the local authority concerned.'

एक तो कीमत तय करने का प्रश्न है जहां पर केवल सरकार को अधिकार दिया है कि चाहे जो कीमत तय करे और यदि कोई जमीन लोकल ऑथोरिटी के एरिया में है तो उसकी कीमत लोकल ऑथोरिटी के कंसलटेशन से तय की जाय। आगे हैं :

'In consultation with the local authority shall be given to the local authority concerned.'

दूसरा पार्ट है कि उसकी कीमत लोकल ऑथोरिटी को दी जाय। मैं समझता हूं इस नाते यह विद इन स्कोप है और हाउस इस बिल के इस क्लॉज पर डिस्कशन कर रहा है, इस अमेंडमेन्ट को ले सकता है।

श्री अध्यक्ष : आज तो काफी रूल्स रिलेक्स करके चल रहे हैं, इसलिए बहस होने दीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इस प्रकार जब उस जमीन की कीमत आंकी जायगी, जो म्युनिसिपेलिटी की लिमिट के पास की जमीन बेची गई है, जिस जमीन पर मकान बने हुए हैं, उसके पास जो नजूल लैंड है, उस लैण्ड का जिस कीमत पर पट्टा दिया है, उसी के आधार पर कीमत सरकार तय करेगी और तब कीमत तय हो जायगी। किसी नजूल लैण्ड की कीमत तय होने के बाद उस जमीन पर म्युनिसिपेलिटी ने प्लॉट्स बना दिये या अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने प्लॉट्स बना दिए तो उस प्लॉट की कीमत अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड या म्युनिसिपेलिटी द्वारा एक दफा ले ली जायगी, उसके बाद उस आदमी से कोई चीज नहीं ली जाती। अगर ली भी जायगी तो टैक्स लेंगे, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये टैक्स वसूल किये जायेंगे। अब वर्तमान एग्रीकल्चर लैंड को जहां बदला जायगा, उसके अन्दर एक प्रोविजो डाल दिया गया है, उसके लिये मैंने अपना अमेंडमेंट रखा है :

Delete part (b) of sub-section (2) of new section 90 A sought to be inserted.'

इसके अन्दर है :

'Such further amount of premium as may be prescribed by the State Government.'

इसके बाद प्रीमियम के रूप में कुछ इयरली या हाफ इयरली सरकार तय करेगी रूल्स के अन्तर्गत और उस आदमी से, जिसकी जमीन लोकल ऑथोरिटी के अन्तर्गत चली गई है उससे बाकी के टैक्सेज म्युनिसिपेलिटी लेना शुरू करेगी और उस आदमी से जो लैंड रेवेन्यू सरकार लेती आ रही है, वह लेती रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि लोकल ऑथोरिटी से कन्सल्ट नहीं किया और उस जमीन की कीमत १० रुपये गज हो सकती है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने लोकल ऑथोरिटी से कन्सल्ट नहीं किया कि जमीन की कीमत कितनी है, पडौस की जो जमीन की कीमत है उसके बारे में सरकारी अधिकारी किसी के दबाव में आकर मनमाने ढंग से कार्यवाही करेंगे। जैसा कि परसों कहा गया कि पाली में जमीन परिवर्तित की गई, पहले वह लोकल ऑथोरिटी के अधिकार में थी और उसकी कीमत जितनी होनी चाहिए थी उससे कम कीमत सरकारी अधिकारियों ने आंक दी और लोकल ऑथोरिटी को कीमत आंकने में कन्सल्ट नहीं किया गया। इस प्रकार के केसेज और भी हो सकते हैं। तो इस सम्बन्ध में बहुत आवश्यक है कि जो लोकल ऑथोरिटी की जमीन को बदल रहे हैं, जिसे कन्वर्ट कर रहे है, उस इलाके का जो भार है वह इम्प्रूवमेंट बोर्ड या लोकल ऑथोरिटी पर जायगा और भविष्य के अन्दर जो उससे फायदा मिलने वाला है वह सारे का सारा राज्य सरकार ले जायगी। मान लीजिये कि कुछ एकड़ों में जमीन है तो उसके अन्दर से सड़क भी निकालनी होगी, वहां लाइट भी लगानी होगी, पानी की नालियां भी डालनी होंगी, यह काम अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड करे, लोकल ऑथोरिटी करे और फायदा राज्य सरकार ले जा रही है तो लोकल ऑथोरिटी का क्या इन्ट्रेस्ट रहेगा। वह जब ही करेगी जब कि उसे कीमत मिलने वाली हो। इसलिए यह संशोधन बहुत महत्व का है। अगर लोकल ऑथोरिटी के बाहर की जमीन है जो किसी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

म्युनिसिपेलिटी, पंचायत की सीमा में नहीं आती है, उसके बाहर की जमीन है, उस जमीन के अन्दर मकान बनाने का विचार हो, उस नॉन- एग्रीकल्चर लैंड में, खेत में कोई मकान बनाता है उसकी कीमत सरकार ले तो उसमें एतराज नहीं है। म्युनिसिपेलिटी और पंचायत के क्षेत्र में आने वाली जमीन के लिए कीमत मिलनी चाहिए तो वह पंचायत और म्युनिसिपेलिटी को मिलनी चाहिए । इसलिए मैंने अमेंडमेंट मूव किया है । मेरा विश्वास है कि जो मैंने प्रोविजो एड कराया है उससे राज्य सरकार को अधिक नुकसान नहीं होने वाला है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष : Any more amendment on this clause.

डॉ० बहादुरसिंह : तीन ही हैं साहब।

श्री पी० के० चौधरी : If allowed I can move an amendment.

श्री अध्यक्ष : If you speak on any amendment, it amounts something.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य श्री जगदीशप्रसाद जी ने रखा है, मैं उसके सपोर्ट में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । राजस्थान सरकार ने जो लैंड राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चरल पर्पज से नॉन- एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए कन्वर्ट किये जाय, उन पर कुछ अरबन असेसमेंट लेवी और प्रीमियम चार्ज करने के लिए कुछ नये क्लॉजेज इस अमेंडिंग बिल में रखें है और माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि जो लैंड की प्राइस आये उसको पहले लोकल ऑथोरिटी से कन्सल्ट करके तय करना चाहिये और जो कुछ भी आई वे ऑफ अरबन असेसमेंट लेवी या प्रीमियम के जरिये राजस्थान सरकार के पास आये, उसको लोकल बोडीज से शेयर करना चाहिए। यह हमको देखना है कि जो टैक्सेशन के सिद्धान्त है, कहीं उन सिद्धान्तों के विपरीत तो राजस्थान सरकार लेजिस्लेट नहीं कर रही है, उसके विपरीत तो टैक्सेज, लेवी या प्रीमियम चार्ज नहीं कर रही है। जो राजस्थान सरकार की टैक्सेशन की लिस्ट है, उसको देखें तो मालूम पड़ेगा कि ऐसे टैक्स, सिवाय एक आधा टैक्स के, एन्टरटेनमेंट टैक्स का एक्सेप्शन हो सकता है, राजस्थान सरकार कलेक्ट नहीं करती है। जिसका कि इन्सीडेन्स लोकल हो अगर अरबन असेसमेंट लेवी, प्रीमियम का इन्सीडेन्स लोकल हो, उसका कान्ट्रीब्यूशन उसके निर्धारित एरिया से लिया जायगा, उन आदमियों से चार्जेज लिये जायेंगे, लेवी किये जायेंगे। तो जो लोकल इन्सीडेन्स हैं, मैं समझता हूँ वे लोकल ऑथोरिटीज के नीचे हैं। मगर तब दलील यह दी जा सकती हैं कि लोकल ऑथोरिटीज के पास शायद असेसमेंट की मशीनरी नहीं हो, मगर यह दलील राजस्थान सरकार के लिए भी है। राजस्थान सरकार के पास भी कोई अरबन असेसमेंट लेवी के लिए या प्रीमियम चार्ज करने के लिए अभी तक कोई मशीनरी नहीं है और अगर राजस्थान सरकार नई मशीनरी कायम करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि जितना इस टैक्स को लेवी करने से, प्रीमियम से पैसा आयेगा वह पैसा उस मशीनरी को कायम करने में खर्च हो जायगा, उससे सारा का सारा एब्जोर्ब हो जायगा। माननीय मंत्री महोदय इस बिल के

(श्री श्रीमानसिंह)

स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन एन्ड रीजन्स के अन्दर यह क्लेम कर रहे हैं ...

श्री दामोदरलाल व्यास : For the information of the House, I can only state that no rew machinery will be set up. The Hon'ble Memder should urderstand that ro new department or new machinery is going to be set up for this purpose.

श्री श्रीमानसिंह : माननीय अध्यक्ष, अगर नई मशीनरी सेट अप नहीं होती फिर भी जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू मशीनरी है अगर अरबन एरिया के अन्दर.लोकल ऑथोरिटीज के एरिया के अन्दर देखा जाये तो अरबन असेसमेंट लेवी की क्या रेट्स रखेंगे, किस तरह से प्रीमियम चार्ज करेंगे, क्या बेसिस होगा यह इतना टैक्निकल मामला है कि इसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। मगर मैं कह यह रहा था कि जो ऑर्ग्युमेंट दिया कि स्टेट में जो लैंड ट्रान्सफर होता है उससे ही स्टेट के एक्स चेकर्स को बहुत नुकसान पहुंचता है। मेरी राय कुछ इसके विपरीत हैं कि लैंड ट्रान्सफर से इन्कम जरूर होती है मगर वह इन्कम पर्याप्त रूप में नहीं होती कि उस टैक्स को, उस लेवी को, उस प्रीमियम को राजस्थान सरकार चार्ज करे। उससे इतनी इन्कम होती हैं कि जिससे शायद लोकल बॉडीज जिनके एरिया के अन्दर लैंड आता हैं उससे काम चला सकें। राजस्थान सरकार कोई असेसमेंट या लेवी लगाये तो उसका एफेक्ट हो, या इन्सीडेन्स हो, वह वाइड स्प्रेड इन्सीडेन्स होना चाहिए जब वाइड स्प्रेड इन्सीडेन्स हो तो उसके लिए राजस्थान सरकार क्लेम कर सकती हैं, यह टैक्स उसके जुरिस्डिक्शन में आता है स्टेट टैक्स में आता हैं, जो स्टेन्डर्ड रेट पर लेवी करते हैं और जिसका अफेक्ट होता हैं।

१.४६ म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

सारे राजस्थान के अन्दर और ज्यादा से ज्यादा इन्कम आती हैं ऐसी चीजों में राजस्थान सरकार लेवी करे, चार्ज लेवी करे रेट्स निर्धारित करे। अगर मैं आपको बताऊं कि रेट्स असेस करना इतना कॉम्प्लीकेटेड मेटर होगा राजस्थान सरकार कहां इसमें सक्सेस हासिल कर सकेगी। आप जो रेट्स निर्धारित करेंगे लेवी चार्ज करेंगे तो भरतपुर में आप लोकेलाइज कर देंगे। लेकिन बयाना, रूपवास के अन्दर, मैं आपको बिल्कुल रौक बोटम पर ले जाऊं वहाँ क्या रेट्स होगी ? क्या रेट्स होंगी उन पंचायतों में जो जैसलमेर में हैं ! बीकानेर के अन्दर जो स्टेट लैंड हैं वहां पर क्या रेट्स होंग जोधपुर जैसलमेर कैसे कोइन्साइट करेंगे भरतपुर, अलवर और धौलपुर से ! तीन हजार पंचायतें हैं, उनकी असेसमेंट आफ लैंड वेल्यू कैसे करेंगे, लैंड वेल्यू कैसे तय करेंगे, लैंड वेल्यू कैसे तय होती है लैंड वेल्यू तय होती है, वह प्रेशर ऑफ पोपुलेशन से, प्रेशर ऑफ डिमान्ड से तय जो लैंड की डिमान्ड और सप्लाई होती है उसके अनुसार लैंड की वेल्यू निर्धारित होती है। झालावाड में प्रेशर ऑफ पोपुलेशन ज्यादा है, प्रेशर ऑफ डिमान्ड ज्यादा है तो वहां लैंड की वेल्यू ज्यादा होगी। कोटा की म्युनिसिपेलिटी की लैंड वेल्यू लेंगे तो वहां इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट ज्यादा हो रहा हैं: वहां लैंड की वेल्यू ज्यादा होगी बनिस्बत की उस जगह के जहां एग्रीकल्चर के काम में लैंड आती है। तो जिस जिस तरह से जहां जहां

(श्री श्रीमानसिंह)

इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट होता जायगा त्यों त्यों वहां लैंड वेल्यू चेंज होती जायगी। This is uniformity for the sake of uniformity. तो जहां आपको फायदा हो तो थ्रु डायवरसिटी ऑफ असेसमेंट रेट और थ्रु डायवरसिटी ऑफ प्रीमियम करते हैं और डायवरसिटी आप कर नहीं सकते। जितनी लैंडस हैं वह आप ले रहे हैं तो इस तरह आप रेटस कायम करेंगे तो आप कम्प्लेसिटी को इन्वाइट कर रहे हैं। जिस टैक्स को लोकली मेन्टेन किया जा सकता है, जिसकी क्लेक्शन रेट कम होगी वह म्युनिसिपेलटीज़ असेस करेंगी, वही केल्कुलेट करेंगी इसका डिसिज़न लेने के लिये विषकेस्ट और चीपेस्ट ऑथेरिटी और कौन हो सकती है। वहीं की लोकल पंचायतें, म्युनिसिपेलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ही वहां की यूनिफार्म रेट्स कायम कर सकते हैं, जिससे यह नहीं होगा कि किसी एरिया में जस्टिस और इन्जस्टिस का इन्डिस्क्रिपेन्सी का सवाल आ जाय। फिर कन्वर्शन होगा उससे कितनी रेवेन्यू आयेगी। माननीय राजस्व मंत्री कह कह रहे हैं कि स्टेट एक्स्चेकर को बहुत लौस हो रहा है। पिछले इयर्स को एग्ज़ामिन करें कि कितना लौस हुआ है। ग्रेज्युअली राजस्थान डेवलप करेगा उसी तरह से ग्रेज्युअली आपकी लैंड की वेल्यू भी बढ़ेगी। प्रेशर ऑफ पोपुलेशन और प्रेशर ऑफ डिमान्ड बढ़ेगी त्यों त्यों आपकी लैंड की वेल्यू भी बढ़ेगी।

जो लोकल नेचर के टैक्स हैं, उनसे बेनिफिट हो सकता है तो लोकल बोडीज़ का हो सकता है। एक तरफ लोकल बोडीज़ को सेनिटेशन, लाइटिंग, रोड्स [illegible]-लेन्स को मेन्टेन करने, का लुक आफ्टर करने का लोकल ऑथोरिटीज़ पर रखती है और दूसरी तरफ वहां बेनिफिट्स हों टैक्सेज़ से असेसमेंट ऑफ लेवी जरिये से, के प्रीमियम के जरिये से, जिनसे कि लोकल बोडीज़ बेनिफिट की जानी चाहिये, उनसे राजस्थान गवर्नमेंट अपने आपको बेनिफिट करना चाहती है तो यह लोकल बॉडीज के साथ, लोकल ऑथोरिटीज के साथ अनजस्टिस है। वहां बिल्डिंग बनती है तो उसके सेनिटेशन, लाइटिंग, वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी रखते हैं लोकल ऑथेरिटीज़ पर और जहां लैंड के इस तरह ट्रांस्फर का सवाल आये, उनसे एडवान्टेज हो, उसको बाइ मीन्स ऑफ प्रीमियम और असेसमेंट और टैक्सेशन्स से राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने लिये कर लिया, उस एरिया को लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी है वह तो लोकल ऑथोरिटीज पर रही और वहां ट्रान्सफर ऑफ लैंड से जो बेनिफिट्स हों उनको अपने हाथ में ले, यह जस्टिस नहीं। इस तरह के बेनिफिट्स को अपन हाथ में ले कर राजस्थान सरकार लोकल ऑथोरिटीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर रही है।

एक तरफ तो राजस्थान सरकार ने एन्टरटेनमेंट टैक्स ले लिया। जिस सिनेमा हाउस को लुक आफ्टर करने की, उसकी सेनिटरी लाइटिंग, वाटर सप्लाई को मेन्टेन और लुक आफ्टर करने की लोकल ऑथोरिटीज़ की जिम्मेदारी है। अब ट्रान्सफर्स पर असेसमेंट लेवी करेंगे, प्रीमियम चार्ज करेंगे तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ले लेगी, फिर लोकल ऑथोरिटीज़ के पास क्या टैक्स रहा जिससे वह उन एक्सपेन्सेज़ को मीट करें, सेनिटरी, लाइटिंग्स, रोड्स और बाइ-लेन्स को लुक आफ्टर करें।

हमको सिद्धान्त यह रखना पड़ेगा कि रेट्स-भरतपुर में जमीन की फी बीघा ५००) रु० या ५०००) रुपया की है, उतनी दूसरी

(श्री श्रीभानसिंह)

जगह लैंड की वेल्यू वहीं यूनिफार्म कर सकते हैं जहां कि यूनिफार्म डिमान्ड और सप्लाई हों, यूनिफार्म रेट्स हों. सब जगह यूनिफार्म रेट्स कायम नहीं कर सकते, अगर सब जगह यूनिफार्म रेट्स, यूनिफार्म वेल्यू ऑफ लैंड कायम करेंगे तो एक एरिया के लिये जस्टिस कर सकते हैं। जहां कि इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट बढ़ रहा है, जहां कि प्रेशर ऑफ पोपुलेशन ज्यादा है, प्रेशर ऑफ लैंड ज्यादा है, डिमान्ड ज्यादा है, लैंड की सप्लाई का प्रेशर है, पर अगर उन्हीं रेंट्स को लागू कर देते हैं, जैसलमेर या डिफरेंट एरिया में, तो यह उनके लिये अन्जस्टिस होगा और आप यूनिफार्मिटी नहीं ला सकते।

लैंड वेल्यू को असेस करने के लिये बैस्ट ऑथोरिटीज लोकल ऑथोरिटीज ही हो सकती हैं। जैसलमेर की जो लैंड वेल्यूज हैं उनको जैसलमेर की लोकल ऑथोरिटीज ही देख सकती हैं कि क्या लैंड वेल्यूज वहां पर हैं ?

इसलिये माननीय सदस्य ने रखा है लोकल ऑथोरिटीज को ऑथोराइज करने के लिये अन्जस्टिस न हो, अन्जस्टिस से सेव करने के लिये, क्योंकि बर्डन ऑफ लुक आफ्टर करने का लोकल ऑथोरिटीज पर है, वहां जो हाउस बनेगा उसको लुक आफ्टर करने की वहां सेनिटरी, लाइटिंग, वाटर सप्लाई, रोड्स और सब-लेन्स को लुक आफ्टर करने की जिम्मेदारी सब लोकल ऑथोरिटीज को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, एक हाउस बनता है उसके लाइटिंग के लिये, सेनिटेरी के लिये म्युनिसिपेलिटी की जिम्मेदारी है, तो यह राइट भी उसको होना चाहिए कि वह कुछ इन्कम ड्रिइव करें और सर्विसेज एफिशियेंटली डस्चार्ज करें। तो मैं मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि वे इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि म्युनिसिपेलिटी को इतनी आमदनी हो सके अपना बजट बैलंस करने के लिये अगर आप लोकल बोडीज से यह इन्कम भी ले लेंगे तो यह उनके साथ जस्टिस नहीं होगा, वे अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगी। जनतन्त्र इन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जिनके लिये हम यह जरूरी समझते हैं कि उनको ब्लड इन्जेक्ट करें ताकि वे अच्छी तरह फंक्शन सकें तो हमें उन्हें शेयर देना चाहिये।

वह तो लोकल ऑथोरिटीज के हाथों में सौंप दीजिये कि वही असेस करें और उनको कह दीजिये कि आप ही को यह बेनिफिट मिलना चाहिये क्योंकि आप ही वहां सब कुछ लुक आफ्टर करते हैं....

२ म० प०

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि यह राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू (छठा अमेंडमेंट) बिल के द्वारा जो कृषि योग्य भूमि है उसका आबादी में परिवर्तन करने का प्रावधान कर रहे हैं उसमें इस संशोधन के प्रोविजन को जोड़ने की व्यवस्था की जावे कि जो भूमि लोकल ऑथोरिटीज़ या म्युनिसिपल एरिया में है वह भूमि उन नगरपालिकाओं या उनके अधिकारियों के द्वारा या उनकी सलाह से परिवर्तित की जावे और रेट वगैरह उनकी राय से रखी जावे।

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज राजस्थान के नगर बराबर विकास की ओर जा रहे हैं और कुछ समय पहले जो छोटे-छोटे स्थान थे वे आज बराबर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हनुमानगढ़ जो पहले

(डॉ० बहादुरसिंह)

बहुत छोटा कस्बा था बहुत बढ़ रहा है और आशा है कि थोड़े समय में बहुत बड़ा नगर होगा और वहां पर बहुत बड़ी मंडी होगी। आज हम कम से कम ८ हजार की आबादी में म्युनिसिपेलिटीज़ बनावेंगे लेकिन इसके साथ साथ में यह भी व्यवस्था की गई है जहां पर मंडियां होंगी वहां पर भी इस प्रकार की म्युनिसिपेलिटी कायम हो और उनको कुछ सहायता मिले। उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भवन आदि होंगे या जिनका निर्माण होगा उनकी सफाई और रोशनी के लिये नगरपालिका का होना आवश्यक है और यह नगरपालिका का कर्तव्य है। इसके लिये उनको सहायता देना आवश्यक है। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि इसमें राजस्व को थोड़ा बहुत नुकसान होगा मगर साथ ही साथ सरकार उनको सहायता देने से बच जावेगी। या तो आप उनको सहायता के रूप में दे दें या उनको ये अधिकार दे दें या तो जमीन के तौर पर दें या सहायता के रूप में दें किसी भी प्रकार से आप करें। लेकिन यह बात जरूरी है कि अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपको उनको सहायता के रूप में देना होगा। लेकिन यह बात जरूर रेट्स के बारे में सोचने की है। एक नगर में, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि आप जयपुर को ही ले लें। आप सी स्कीम में जयपुर में जमीन खरीदें और गांधी नगर या आदर्श नगर में खरीदें। आपको गांधी नगर और आदर्श नगर में इतनी रेट नहीं मिलेगी जितनी कि जौहरी बाजार में और सी स्कीम में जमीन की मिलती है। जमीन का मामला इस प्रकार का है कि वह विशेष तौर से उसकी उपयोगिता और डिमान्ड पर निर्भर है कि उसकी उपयोगिता और डिमान्ड कितनी है। अगर आप इस पर ध्यान न रखते हुए रेट रख देते हैं कि दो रुपये गज या चार रुपये गज दे दी जावे तो आपकी यह रेट कभी चल नहीं सकती और कभी लाभ नहीं हो सकता। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि नगरपालिका की इस सम्बन्ध में विशेष स्थिति है। जिस समय आप नगर विकास करते हैं तो समय समय पर क्षेत्र निर्धारित करने पड़ते हैं और बहुत जमीन देनी पड़ती है। मैं खुद देखता हूं कि जिस समय नगर विकास होता है तो कितनी जमीन की आवश्यकता होती है। भरतपुर में वहां जमीन है, जहां पर अभी मंडी है वहां पर खेती होती थी। आज आप उसकी कीमत आंकें तो आपको मालूम होगा। आप उस जमीन का और जैसलमेर या दूसरे स्थानों पर की जमीन से किसी प्रकार भी मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी काफी कीमत है। साधारण तौर पर अगर उस जमीन को जैसलमेर की रेट पर दे दें तो उपयुक्त नहीं रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर खेत थे वहां पर मकान बने हैं और वहां पर सफाई, पानी, बिजली आदि की जिम्मेदारी म्युनिसिपेलिटी की है और जब उसकी जिम्मेदारी है तो हमें उनको सहायता देनी चाहिये। मगर हम उनको सहायता नहीं देना चाहते। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिये जो संशोधन रखा गया है इस प्रोवीजो को एड करने का, इससे मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार पर कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला है। हां, एक बात आप रख सकते हैं कि आबादी में भूमि जो आप करना चाहते हैं वह आपकी बगैर मर्जी के न हो। मैं समझता हूं यह प्रोविजन बहुत उत्तम है और इसको स्वीकार किया जावे।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह संशोधन रखा गया

[श्री शंकरलाल]

है मैं इसका विरोध करता हूं। हम मानते हैं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं को हक मिलने चाहिये और आज सरकार को उनको सहायता देनी चाहिये और हर प्रकार की तरज्जीह स्थानीय विकास के लिये देना जरूरी है। लेकिन प्रश्न यह है कि जहां काश्त की जमीन को आबादी में बदल कर उसकी आमदनी या अर्बन टैक्स या उससे प्राप्त धनराशि की सहायता स्वायत्त शासन संस्थाओं को दी जावे या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जब तक वह जमीन आबादी में परिवर्तित नहीं होती उस समय तक उसका लगान सीधा सरकार को दिया जाता है और न मालूम उसका लगान सरकार को कितने सालों तक दिया जाता और अभी दिया जा रहा है। उस भूमि को जब सरकार देती है तो कितना प्रीमियम को वसूल करे उसका तो फैसला सरकार ही अच्छी तरह से कर सकती है। क्योंकि वह जमीन इतने वर्षों से सरकार के पास रही और वह उसकी आमदनी का जरिया है और वह भी लगान का जरिया है आबादी में और भी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है और न मालूम कितनी जमीन और आबादी में परिवर्तित करनी होगी और किस प्रकार की जमीन देनी होगी। उस जमीन से सरकार को लैण्ड रेवेन्यू वसूल होती थी। जब सरकार उस जमीन से वंचित रहती है तो उससे जो टैक्स या आमदनी सरकार को आती है वह सरकार को ही लेने का अधिकार है और सरकार ही ले। हो सकता है कि सरकार चाहे तो म्युनिसिपेलिटी को जैसी उसकी आर्थिक व्यवस्था है उसको देखते हुए हिस्सा दे दे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि पूरा का पूरा लैण्ड रेवेन्यू जो सरकार आज तक वसूल करती आ रही है, प्रीमियम लेकर हर एक पंचायत या म्युनिसिपेलिटी को दे दिया जावे। इससे आर्थिक सहायता मिलने के बजाय और गडबड़ी हो सकेगी और जहां तक यह प्रश्न उठाया गया है कि बहुत से स्थानों पर जमीन की वेल्यू अलग अलग है और सरकार यह निश्चित नहीं कर पावेगी कि यह लैण्ड किस प्रकार की है और उसकी स्थिति कैसी है। इस प्रकार की तकरीर एक माननीय सदस्य ने दी। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि लैण्ड रेवेन्यू की रेट जो इस वक्त है, वह भरतपुर हो चाहे जोधपुर हो, चाहे जैसलमेर हो, जिस किस्म की जमीन है उसके लिये अलग अलग रेट्स हैं और सरकार की तरफ से अलग अलग रूल्स इसके लिये बनेंगे। इस बिल में नहीं है कि किस तरह के रूल्स बनेंगे। इसलिये जो नियम सरकार बनावेगी उसमें यह होगा कि जिस जमीन का जितना लगान हो उसका कितना गुणा और प्रीमियम कितना लिया जावे। भरतपुर में अलग लिया जावेगा, जोधपुर में जिस प्रकार की जमीन होगी उस प्रकार से लिया जावेगा। इसलिये यह कहना कि यह सब म्युनिसिपेलिटी को दे दिया जाय, मैं इसको उचित नहीं मानता। क्योंकि काश्तकारों की जमीन की अलग अलग दरें हैं। सवाई की दर अलग है, चाही की अलग रेट है, कतार जमीन है उसकी अलग रेट है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लगान है। उसके अनुसार प्रोविजन सरकार रूल्स में रखेगी। इसमें लोकल बॉडीज को वास्तव में दिक्कत पड़ेगी। सरकार इस बात को जानती है कि कितना लगान इस जमीन से वसूल होता रहा है। किस प्रकार सेटलमेंट....

श्री श्रीभानसिंह : यह मार्केट वेल्यू पर लेंगे।

श्री शंकरलाल : मार्केट वेल्यू अलग अलग होगी। सरकार के रेकॉर्ड में जितनी आमदनी होती थी वह तो सरकार ही जान सकेगी। वरना लोकल सेल्फ बॉडीज को मालूम करना पड़ेगा कि कितनी आमदनी होती थी। पटवारी के पास कितना इन्दराज है, सेटलमेंट में क्या इन्दराज है, इससे उनको दिक्कत होगी।

इससे तो अच्छा हो कि अगर सरकार पसन्द करे और लोकल बॉडीज़ को सहायता देना चाहे तो लगान उस जमीन का जितना वह ले उसमें से कुछ हिस्सा नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सहायता के रूप में उनको दिया जा सकता है। लेकिन यह मानना कि उस जमीन के सारे अधिकार लोकल बॉडीज़ को दे दिये जायं इससे एक तरफ तो सरकार को नुकसान तो होगा ही किन्तु दूसरी तरफ इसके सम्बन्ध में लोकल बॉडीज़ को भी दिक्कतें होंगी। माननीय सदस्य ने एक संशोधन कर पाली का उदाहरण दिया और कहा कि लोकल बॉडीज़ के न होने से वह जमीन बिना काश्त में परिवर्तित कर दी गई है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वह लोकल बॉडीज़ से रिकमन्ड हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any explanation now.

श्री शंकरलाल : It is a personal point.

श्री उपाध्यक्ष : I will not take the personal points.

श्री शंकरलाल : मैं तो स्पष्टीकरण कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण न करें।

श्री शंकरलाल : उन्होंने कहा कि पाली में ऐसा हुआ है। जहां दस गुना प्रीमियम लगा है २० लगा दिया है। मैं कहूंगा कि जानकारी करके ही बात करें बिना जानकारी करके बात नहीं करें। इसलिए लैन्ड रेवेन्यू लेने का अधिकार सरकार के पास ही रखा जाय। यदि स्वायत्त शासन संस्थाओं को आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो उसमें से आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाय। लेकिन जिस प्रकार का संशोधन रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

अभी रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन का विरोध करते हुए कुछ बातें सदन में कहीं। संशोधन की भावनाओं से यद्यपि वे कुछ बातों में सहमत थे कि इस प्रकार का असेसमेन्ट का कुछ हिस्सा लोकल ऑथोरिटीज़ को मिलना चाहिये और राज्य सरकार कुछ हिस्सा नगरपालिकाओं या पंचायतों को दे। कुछ बातों से सहमत होते हुए भी उनको तो संशोधन का विरोध करना था, बातें उनको सिद्धान्ततः ठीक तो लगीं लेकिन उनको विरोध में बोलना था, इसलिए बोलना था कि किसी माननीय सदस्य ने पाली जिले का जिक्र कर दिया। पर उपाध्यक्ष महोदय, एक पेड होता है छुईमुई का। यदि उसके एक पत्ते पर अंगुली लग जाय तो सब जगह छुईमुई हो जाती है। कहीं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध की कही किसी ने कोई बात कही। फिर मानो ऐसा लगता है कि फिर तो बोलना

[श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल]

ही चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन का तो बहुत कुछ अंशों में समर्थन किया है । उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार को जहां काश्त की जमीन नॉन-एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए, मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए या अन्य कामों के लिए कन्वर्ट किया जाय और उसका असेस्मेन्ट किया जाय तो उसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार को लोकल ऑथोरिटीज़ को सहायता के रूप में देना चाहिये ।

श्री शंकरलाल : मैंने यह नहीं कहा कि देना ही चाहिये जैसी आर्थिक स्थिति हो .... कुछ हिस्सा दिया जा सकता है, यह कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिया जा सकता है । इसका मतलब यह है कि मैं इस पक्ष का हूँ कि दे देना चाहिये । ऐसा संशोधन वे ला सकते थे । माननीय राजस्व मंत्री महोदय को सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, मैं इस पक्ष का हूं कि वह स्वीकार नहीं हो । मैं इस मत का हूं कि यह झगड़ा माननीय राजस्व मंत्रीजी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी के बीच का है । माननीय राजस्व मंत्रीजी को कभी यह स्वीकार नहीं है कि जनतन्त्र की ये संस्थायें जिनके आधार पर लोकतन्त्र की यह सारी मशीनरी चलती है, लोकतन्त्र की गाड़ी है, लोकतन्त्र का जिनके ऊपर यह सारा भवन खड़ा हुआ है, उस लोकतन्त्र की जो ये हमारा संस्थायें हैं, नगरपालिकायें और पंचायतें हैं वे किसी तरह से पनपें, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, उनका आर्थिक ढांचा ठीक हो और इस प्रकार से मजबूती के साथ वे इस बात को लेकर अड़े हुए हैं और आये दिन हम देखते हैं कि इस बात में वे दिलचस्पी नहीं रखते । उनके रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की, राजस्थान सरकार का रेवेन्यू बढना चाहिये, किसी प्रकार से रेवेन्यू बढना चाहिये चाहे वह लोकल ऑथोरिटी का गला काट कर हो, उनके अधिकारों का अपहरण करके हो, जो नॉन-एग्रीकल्चरल पर्पजेज की जमीन है उसका असेस्मेन्ट भी वह रेवेन्यू के खजाने में जमा हो और लोकल ऑथोरिटीज़ को अधिकार देने का प्रश्न आता है तो कहते हैं कि सरकार को नुकसान होगा । मैं मानता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, लगान का नुकसान होगा । लेकिन लगान के नुकसान होने के बाद क्या होगा, कभी सोचा है ? जो ज़मीन काश्त के लिये दी गई उसमें भवन खड़े हो गये, वहां पर फिर सड़कें कौन बनावेंगे, लाइट्स कौन लगावेंगे, सफाई का इन्तज़ाम कौन करेगा, भंगी का इन्तज़ाम कौन करेगा ? ये सारे इन्तज़ाम जो लोकल ऑथोरिटीज़ हैं उनको करने होंगे । अगर नगरपालिका के ऊपर जिम्मेदारी है सफाई के इन्तज़ाम करने के बारे में, भंगियों के इन्तज़ाम करने के बारे में, लाइट्स का इन्तज़ाम करने के बारे में, सड़कें बनाने के बारे में, वाटर टेप्स लगाने के बारे में, तो उन सारी ज़मीनों को जो काबिले काश्त नहीं रखी जाकर भवन आदि के लिये जना दी गई हैं लोकल ऑथोरिटीज़ को देना चाहिये ।

श्री शंकरलाल : टैक्स लग जावेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ इस प्रकार की ज़मीन जिनमें काश्त न करके मकान इत्यादि बनाने के लिये काम में आती है उसमें उनके लिये यह प्रोविजन इस संशोधन द्वारा हो जाना

[श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल]

चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं इसलिये सरकार को उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। वह परिस्थिति जयपुर में पिछले दिनों के उदाहरण को देखते हुए भी सामने है। जो एग्रीकल्चरल लैंड जागीरदारों को काश्त के लिये दी गई, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर स्टेट के ज़माने में जो एग्रीकल्चर लैंड काश्त करने के लिये जागीरदारों को दी हुई थी उस लैंड को नॉन-एग्रीकल्चर मे परिणित करके उनको सेल करके उनके सेल डीड लिख दिये गये, उनके बहनामे लिख दिये गये, रजिस्ट्रियां करवा दी गईं, लेकिन अर्बन इम्प्रूवमेन्ट-बोर्ड में जब उनके नक्शे पेश हुए, तब राज्य सरकार ने देखा कि जिन जागीरदारों को जो ज़मीनें काश्त के लिये दी गई थीं, उनको बेचकर लाखों रुपया वसूल कर लिया, जिनको बेच नहीं सकते थे उनको बेच भी दिया गया। इसके स्टेटमेन्ट ऑफ रीजन्स एन्ड ओब्जेक्ट में लिखा है कि राज्य सरकार भू-राजस्व में घटती बर्दाश्त करे और राज्य सरकार को उस लाभ में से कोई हिस्सा न मिले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और स्पष्ट करूं कि माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने इस बिल के स्टेटमेन्ट ऑफ रीजन्स एन्ड ओब्जेक्टस में लिखा है कि खाद्य की समस्या हमारे सामने है। इसमें एक लाईन लिखी है कि :

"...large scale diversion of agricultural land to non-agricultural purposes must be checked, especially in view of the need for increasing agricultural productivity."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय राजस्व मंत्रीजी अपने उद्देश्य और कारणों के प्रति वास्तविक प्रमाणित थे तो मैं आशा करता था कि वे इस प्रकार का कानून पेश नहीं करेंगे किन्तु इसका प्रोहिबिशन ही करते। हमारे सामने खाद्य समस्या मौजूद है, मंहगाई की समस्या मौजूद है इसलिये एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन-एग्रीकल्चरल लैंड में परिणित होने देंगे और यदि कन्वर्ट होने देंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि जिस प्रकार से जयपुर में समस्या पैदा हुई, यहां कई जागीरदारों को एग्रीकल्चर पर्पज़ेज के लिये ज़मीनें दे दी गई थीं उनको उन्होंने नॉन-एग्रीकल्चरल बनाकर उनको कन्वर्ट करके उसमें प्लॉट्स बनाये, उनको सेल किया, उनके सेल डीड बने, उनका पैसा वसूल कर लिया, लाखों रुपये वसूल कर लिये और फाइनल नक्शे अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के सामने आये तो राज्य सरकार की आंखें खुलीं और अब राज्य सरकार चाहती है कि जो जमीनें एग्रीकल्चरल लैंड थीं वे नॉन एग्रीकल्चरल हो जाती हैं तो उनकी आमद में सरकार हिस्सा क्यों नहीं बंटाये ? ऐसे उदाहरण और स्थानों के भी हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि जयपुर शहर में, सी स्कीम, गांधी नगर में कुछ भूमि है, जयपुर के जय क्लब की कुछ भूमि में खेती होती है, कुछ साग सब्जी होती है और कुछ काश्त भी। मान लीजिये कि जय क्लब की ऑथोरिटीज़ यह तय करें कि उस दो चार बीघा जमीन को हम प्लाट्स बना कर बेचेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि वह जमीन बेचकर असेसमेंट राज्य सरकार वसूल करना चाहे तो फिर वहां पाइप लाइन कौन डालेगा, लाइट कौन पहुंचायेगा, सड़कें कौन बनावेगा, सफाई की व्यवस्था कौन करेगा ? यह सारी व्यवस्था कहां से की जायगी ? जो प्लॉट्स बेचेंगे वे ही सारी व्यवस्था करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि यह सारी व्यवस्था लोकल बॉडीज को करनी पड़ती

Page No.63

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, म्युनिसिपेलिटीज को इस प्रकार का सारा प्रबन्ध करना पड़ता है। जब वह जमीन एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए काम में आती है तो करने की आवश्यकता नहीं। मैं समझ नहीं सका कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी किस तरह से अन्यायपूर्ण बात का साथ देने के लिए तैयार हो गये। वह जमीन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए काम में नहीं आती है तो भी आप वहां का अलॉटमेन्ट लोकल बोडीज़ के हाथ में देने को तैयार नहीं। जहां तक प्रिन्सिपल ऑफ टैक्सेशन का सवाल है, डेमोक्रेसी का सवाल है, इस पर बयाना और रूपवास से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाल दिया है। लोकल बॉडीज़ जो प्रजातन्त्र की बुनियादी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उसी के ऊपर हमारा लोकतन्त्र का भवन खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज नगरपालिकाओं का क्या हाल है, पंचायतों का क्या हाल है। हमेशा उनका यह हाल रहता है, भीख की टोकरी लेकर सरकार के सामने आना पड़ता है और मांग की जाती है कि सबसिडी दी जाय। क्योंकि जितने भी इन्कम के साधन हैं, वे सब सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। वाटर सप्लाई का काम, इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए बोर्ड बना दिया गया है उसमें नगरपालिकाओं को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। नगरपालिकाओं को तो यही अधिकार है कि तुम सफाई का इन्तजाम करो, रोशनी का इन्तजाम करो। लेकिन जब किसी प्रकार की आमदनी का जरिया मांगा जाता है तो उसके लिए इन्कार कर दिया जाता है। जहां तक लोकल असेसमेंट का सवाल है नगरपालिकायें अच्छी तरह से कर सकती हैं। आज भूमि की कीमतों में अन्तर हो सकता है। मालपुरा में जो भूमि की कीमत है वह चौमू में नहीं हो सकती। अगर आप मालपुरा और चौमू की भूमि को एक लेवल पर लाना चाहते हैं तो यह कदापि नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सेपरेट मशीनरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नगरपालिकायें हैं उनको आप अधिकार दे दीजिये। उनके साथ आपको न्याय करना होगा, सचाई करनी होगी। अगर यह अधिकार सरकार के पास रहते हैं तो वैसे ही सरकार के पास अधिक काम हैं और इस से और काम बढ़ जायगा। आगे ही कागज खिसकते नहीं, केसेज पड़े हैं तीन तीन चार चार साल से। अगर सारे काम को डिवाइड कर दिया जाय और इस सम्बन्धी अधिकार लोकल बॉडीज़ को दे दिया जाय तो इससे क्या होगा, लोकल बॉडीज़ में काम बढ़ेगा और उनको काम करने में भी इन्ट्रेस्ट आयेगा और जो हमारे शहर विकास की योजना है उसका विकास अच्छी तरह हो सकेगा। मान लीजिये आज सी स्कीम के अन्दर, जय क्लब है उसके पास जो जमीन है उस जमीन में काश्त होती है। अगर नगरपालिका यह समझे कि इस काश्त होने वाली भूमि को प्लॉट के रूप में बेचा जाय तो म्युनिसिपैलिटी को फायदा हो सकता है तो वह वैसा कर सकती है। अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को उनका हिस्सा नहीं दिया गया तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उन सब स्थानों के बारे में उनको किसी प्रकार का इन्ट्रेस्ट नहीं होगा। ऐसी हालत में इन स्थानों पर मकान बनाये जायेंगे वहां सेनीटेशन के बारे में, सफाई के बारे में और एमीनिटीज के बारे में स्वायत्त शासन संस्था उदासीन रहेगी। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है। मैं फिर राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि स्वायत्त शासन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संस्थाओं के नाम पर, जनता के नाम पर, राजस्थान की लोकतन्त्र की आधारशिलाओं को मजबूत बनाने के नाम पर, चाहे उनके डिफरेन्सेज कितने ही स्वायत्त शासन मन्त्रीजी के साथ हों वे यह ख्याल न करें कि उनके अधीन जो स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनकी हालत उसी प्रकार गिरी रहे. इस भावना को छोड़कर उनकी हालत सुधारने की दृष्टि से मन्त्रीमंडल के सहयोगी के नाते, संयुक्त जिम्मेवारी के नाते वे यह भी सोचें कि नगर-पालिकाओं के सम्बन्ध में जो आर्थिक स्थिति उनकी है उनको ख्याल में रखते हुए इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है इस पर जो अमेंडमेंट आया है उसके समर्थन में मैं बोल रहा हूं। जहां तक क्लॉज़ ६८ का सम्बन्ध है इसके लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जोकि स्टेट गवर्नमेन्ट पहले से इस विषय पर अलर्ट रहती। क्योंकि आबादी एरिया डिक्लेअर करने का और स्पेसिफिक पर्पज के लिए सेट अपार्ट करने का राज्य सरकार को अधिकार था, टिनेन्सी एक्ट की धारा २५ के मातहत। लेकिन इससे यह मालूम होता है कि जो शायद उन्होंने सब जगहों पर नहीं किया। डेन्सिटी ऑफ पॉपुलेशन पर्टीकुलर गांव में, पर्टीकुलर शहर में, पर्टीकुलर म्युनिसिपेलिटी में कितनी हैं वह कितनी एक्सपेन्डिंग हैं इसको वह कितनी कॉन्ट्राक्टिंग है इसको ऑब्जर्व नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि नॉन आबादी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, जो आबादी पहले से है वह बढ़ रही है इसलिए यह स्पेसिफिक सेक्शन लाने की आवश्यकता पड़ी।

सबसे पहले मैं मानता हूँ कि सरकार इस बारे में ज्यादा गलत रही है। अगर आबादी के लिए एरिया प्रेस्क्राइब कर देते तो एग्जिस्टिंग प्रिन्सिपल एक्ट में जो हायर असेसमेन्ट के लिए प्रोविजन है उसके लिए नया अमेंडिंग क्लॉज़ लाने की जरूरत नहीं रहती।

जिस तरह के वर्डिंग्ज इस क्लॉज़ के हैं उससे यह मालूम होता है कि कोई आउट ऑफ दी वे जाकर नॉन-एग्रीकल्चर एरिया में कोई चीज कर दे। जिन माननीय सदस्यों ने इस बारे में राय व्यक्त की है वे इस चीज को मानकर चले हैं सिर्फ म्युनिसिपल एरिया के आसपास या एडजेसेन्ट पीस ऑफ लैण्ड है उस पर यह एप्लीकेबल होगा। इस तरह से यह प्रोविजन बहुत वाइड है। आज मान लीजिये जयपुर और सांगानेर का रूट है उसके बीच कोई झोंपड़ी बनाकर कुछ चीज बेचना शुरू करदे या पेट्रोल पम्प लगा दे, इसके अन्दर आता है ऐसे इन्स्टान्सेज इस क्लॉज़ में कवर हो सकते हैं।

मैं समझता हूँ, आज हमारे देश में जमीन की परिस्थिति ऐसी नहीं कि ऐसी जगहों पर हाइयर असेसमेन्ट करना चाहिये। एक तरफ तो अनएम्लोयमेन्ट की प्रोब्लम है, दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति जंगल में किसी जगह झोंपड़ी बनाकर दूकान बना लेता है जहां पर आबादी का ताल्लुक नहीं या कोई पेट्रोल पम्प खड़ा कर दे या कोई ऐसा धन्धा शुरू कर दे तो वह इस क्लॉज़ द्वारा कवर हो जाता है। माननीय मन्त्री महोदय इसको क्लेरिफाइ करेंगे, क्या इस प्रकार के एरिया कवर होंगे जहां आबादी का सम्पर्क नहीं, म्युनिसिपेलिटी के नजदीक नहीं वहां पर यदि कोई अपनी आजीविका चलाने के लिये दूकान खोल लेता है या होटल खोल लेता है; अगर इस प्रकार

[श्री पी० के० चौधरी]

के एरिया के लिये भी यह जरूरी है तो पहले उसको पर्मिशन लेनी होगी। युजअली हम देखते हैं कि कोई भी पहले पहल दूकान खोलता है तो वह मामूली इधर उधर से मिट्टी इकट्ठा करके एक दूकान की शक्ल बना लेता है और उसमें अपना कारोबार चलाता है। धीरे धीरे जब उसको आमदनी होने लगती है तो वह अपना बिजनेस फैलाता है। फिर वह ऐसी जगहों पर पक्की दूकानें भी बनवा लेते हैं। यह जो क्लॉज़ आया है उसके अनुसार कोई इस प्रकार की दूकान आदि बनवा लेता है तो उसके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट को तो कोई एतराज होने वाला नहीं लेकिन लोकल आँथेरिटीज़ तहसीलदार आदि हैं वे उसको हरेश करेंगे। मैं समझता हूँ, आज की हालत में वह हमारे लिये फायदेमन्द रहेगा। लोगों की कम से कम इकोनोमिक एक्टीविटीज को डवलप करने में वह रुकावट साबित होगी।

इसलिये मैं जानता हूँ कि इस चीज को या तो क्लेरिफाई कर दिया जावे कि यह क्लॉज एडजेसेन्ट टू विलेज हो तब लागू हो। नहीं तो किसी रास्ते पर नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज के लिये दूकान एक खड़ी कर दी, पर्पज ऑफ ट्रेड या पर्पज ऑफ बिजनेस से तो उस पर लागू न हो। अगर आप इस सम्बन्ध में क्लॉज में कुछ इन्सर्ट न करना चाहें तो सदन में एक स्टेटमेंट देकर शंका को दूर कर दें।

इसके बाद जो यह प्रोविजन है तो किसीने रास्ता बना लिया अपने मकान से बाहर जाने के लिये एग्रीकल्चर लैण्ड पर, उस पर भी लागू होगा? मान लीजिये किसी ने रास्ता एप्रोच बना लिया, एप्रोच रोड निकाल ली, या कोई प्याऊ लगा दी तो यह इकोनोमी, फायदे की चीजें तो नहीं हैं पर इससे उसको और दूसरे लोगों को अमेनिटीज मिलती हैं, फेसीलिटी मिलती है, पर इससे इकोनोमिक एडवान्टेज किसी को कुछ नहीं मिलता। तो क्या इन चीजों को भी कवर करेगा यह क्लॉज, यह भी क्लेरिफाई होना चाहिये।

दूसरी बात, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मूव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो असेसमेन्ट लेवी है वह उन्हीं को मिलना चाहिये जो वहां की म्यूनिसिपेलिटी हो या पंचायत हो। यह उनका सुझाव अच्छा है और मेरी राय तो यह है कि उनकी कन्सल्टेशन से ही नहीं बल्कि उनकी राय से उसका असेसमेन्ट होना चाहिये। क्योंकि उस असेसमेन्ट के लिये छोटे छोटे विलेजेज की लैण्ड की मार्केट वेल्यू जगह जगह वेराई करती है लोकल कन्डीशन्स पर। इन पर कोई यूनीफॉर्म रूल्स और रेट्स तय करने से काफी दिक्कत रहेगी। ऑन दी स्पोट ऑथोरिटीज़ जो हैं वे इसे ज्यादा आसानी से कर सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेन्ट का, इस बैटरमेन्ट लेवी में स्टेट गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है जो एक्स प्रीमियम खुद रियलाइज कर ले।

अब यह जो पीस ऑफ लैण्ड है उसका व्यू बढ़ गया हो तो वह स्टेट गवर्नमेन्ट की कौन सी मदद से बढ़ा है वह तो उस एरिया में रहने वाले लोगों के कारण से बढ़ा है। वह चाहे म्यूनिसिपेलिटी वाले हों या चाहे विलेज हों। वह विलेज ज्यादा प्रोसपरस होते हैं जहां जितनी ज्यादा एक्टीविटीज़ होती हैं। कम्पेरेटिवली जिस विलेज में ये एक्टीविटीज़ जितनी ज्यादा होंगी, कम्पेरेटिवली उस विलेज के एरिया की वेल्यू उतनी ही ज्यादा होती है और यह वेल्य

[श्री पी० के० चौधरी]

जो बढ़ती है वह सिचुएशन के कारण बढ़ती है। अब यह सिचुएशन किसने क्रीएट की? स्टेट गवर्नमेन्ट ने उसमें कुछ भी कन्ट्रीब्यूट नहीं किया। किसी शहर के इम्प्रूवमेन्ट में या वहां की इकोनोमिक एक्टीविटीज़ को बढ़ाने में स्टेट गवर्नमेंट का कन्ट्रीब्यूशन इनसिग्नीफिकेन्ट कह सकते हैं। वहां का इम्प्रूवमेंट वहां की म्युनिसिपेलिटी की एक्टीविटीज के कारण बनता है। कोई रास्ता बना दिया तो उस जमीन की कीमत बढ़ गई, उस के पास पाइप लाइन या बस सर्विस या इलेक्ट्रिसिटी लगवा दी तो वहां की कीमत बढ़ गई, जैसे जयपुर का आदर्शनगर। आज लोग वहां रहना चाहते हैं तो नजदीक रहना पसन्द करते हैं पर एवरी हाफ एन आवर का बस का इन्तजाम कर देंगे तो ज्यादा लोग वहां जाकर ठहरना पसन्द करेंगे। यहां यदि बस लग जावेगी या बिजली लग जावेगी तो कीमत बढ़ जावेगी और वहां आपका असेसमेन्ट राइज करेगा। तो यह म्युनिसिपेलिटी के कारण हुआ। उन्होंने अमेनिटीज पहले प्रोवाइड कीं और उसी तरह से वहां की प्राइस बढ़ती गई।

इसी तरह से लोकल बॉडीज अगर करती हैं तो उनको श्रेय होना चाहिये। विलेज पंचायत ने मान लो गांव के नजदीक सड़क या कुंआ बनवा दिया, आसपास की जमीन को आबादी में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी कीमत बढ़ जावेगी। तो यह जो गवर्नमेन्ट असेसमेन्ट प्रीमियम लेती है उसमें मोरल राइट उसका है या नहीं क्योंकि वहां की सिचुएशन को डवलप कराने में स्टेट का कन्ट्रीब्यूशन इज निल? मान लीजिये कि स्टेट गवर्नमेन्ट हैज ए सेकिन्ड राइट एज ही इज दी सॉवरेन पावर। सबकी मालिक स्टेट गवर्नमेन्ट है, इस सिद्धान्त को मानते हैं पर इसके बाद भी हम देखते हैं कि म्यूनिसिपेलिटी भी इसके लिये रेसपोन्सिबल है और वह भी और पंचायत भी सेल्फ सपोर्टिंग हों। आज पंचायतों को पनपाने के लिये एक पर्टीक्यूलर हिस्सा रेवेन्यू का देते हैं। तो एक तरफ तो हम यह कर रहे हैं कि उनको पनपाने जा रहे हैं, उनको पनपाना चाहते हैं और इसके लिये उनको मदद करते हैं और दूसरी तरफ उनके जो सोर्स ऑफ इन्कम हैं उन एक्टीविटीज से जिनको उन्होंने पैदा किया है तो उसके राइटफुल क्लेमेंट वे ही हो सकते हैं। तो फिर क्या बात है कि आप उनको उनका राइटफुल क्लेम नहीं देना चाहते?

तो इसलिये म्युनिसिपेलिटी को या पंचायत को फाइनेन्सियल को दृष्टि से भी जो हम असेसमेन्ट प्रीमियम लेवा करते हैं या करना चाहते हैं वह उनको दे दें तो एक तरह से उनकी तो फाइनेन्सियल पोजीशन इम्प्रूव करते हैं और दूसरी तरफ उनको एक तरह से इन्सेन्टिव मिलता है। उनको यह मालूम होता है कि पर्टीक्यूलर एरिया को इम्प्रूव करेंगे तो उस पर जो असेसमेन्ट होगा वह इन्क्रीज्ड प्रीमियम लगेगा तो उसका बड़ा शेयर हमें मिलेगा। यह बहुत बड़ा इन्सेन्टिव उनको होगा।

पर जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा वैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्या इन्सेन्टिव है उनको कि वह इम्प्रूवमेन्ट लावें, कि पर्टीक्यूलर एरिया में कोई रास्ता बनायें या लाइट लगायें या पानी की लाइन ले डाउन करें जब तक कि उसको फायदा मिले? अगर आप उसको देंगे तो उसका इन्सेन्टिव बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि उसकी फाइने-नेन्शियल पोजीशन भी इम्प्रूव करेगा और थर्ड चीज जो है वह यह है कि सारा का सारा

(श्री पी० के० चौधरी)

प्रीमियम मिल रहा है वह उसकी एक्टीविटीज़ की वजह से मिल रहा है। इसलिए जो सीकर से आये हुए माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं माननीय मंत्री महोदय भी इसको मंजूर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो अमेंडमेंट पेश हुए हैं सेक्शन ३ में। पहला अमेंडमेंट तो बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया। उसके लिए मैंने उनसे एक बात पूछी थी लेकिन उसका वह ठीक जवाब नहीं दे सके। वह उन तमाम ओमीशन्स और कमीशन्स को रेग्यूलेराइज़ करना चाहते हैं कि लोगों ने बगैर पर्मिशन के एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन-एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दी। मतलब उनका यही मालूम होता है कि शायद वे इनको रेग्यूलेराइज़ करना चाहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष, यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। लोगों ने अगर ऐसा किया है तो मैं चाहता हूं कि उनको ऑर्डिनेरी लॉ के मातहत ही ट्रीट किया जाये और उनको इजेक्ट किया जाय और जो भी कार्यवाही उनके साथ हो सकती है वह की जायगी। जितने भी ओमीशन्स और कमीशन्स हैं उनको रेग्यूलेराइज करने की मंशा मेरी नहीं है। इसलिए जो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य का अमेन्डमेन्ट है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरा अमेन्डमेन्ट सीकर से आये हुए माननीय सदस्य का है और उस अमेंडमेंट पर काफी माननीय सदस्यों ने दिलचस्पी दिखाई क्योंकि इसका सम्बन्ध लोकल बॉडीज़ से है। वह प्रिलिमिनेरी ऑब्जेक्शन्स में कह रहे थे। मगर यह बिल के स्कोप के बाहर की चीज है और क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने इजाजत दे दी तो मुझे यह कहना है कि अब भी मैं यह होल्ड करता हूं कि इस जगह इस प्रकार का प्रोविजन नहीं रखा जाना चाहिए और यह बिल के स्कोप के बाहर है। एक बात यह है........

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अध्यक्ष ने डिसीजन नहीं दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्कशन के लिए इजाज़त दी है।

श्री पी० के० चौधरी : But there should be no remarks about ruling of the Speaker.

श्री दामोदरलाल व्यास : I never passed any remarks. I said that permission for the discussion was given by the Hon'ble Speaker.

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में ऑलरेडी प्रोविजन है कि आबादी की लैंड सैट-अप करने का और डवलपमेंट करने के लिए भी कोई भी लैंड नॉन-एग्रीकल्चरल पर्पज़ में काम में लाई जा सकती है। यह प्रोविजन ऑलरेडी है। माननीय सदस्य जो फुलेरा से आये हुए हैं उनको शायद यह ख्याल है कि आबादी की लैंड डिमारकेटेड नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि हर एक गांव की और शहर की लैंड आबादी के लिए डिमार्केटेड है और यह सेटलमेन्ट के नक्शे में भी मौजूद है। इसलिए यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि आबादी के लिए लैंड डिमार्केटेड नहीं है। यह हो सकता है कि कई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जगह आबादी की जगह कम हो और वहां पर.......

श्री पी० के० चौधरी : मैंने यह नहीं कहा था कि लैंड डिमार्केटेड नहीं थी। मैंने यह कहा था कि आबादी के प्रेशर को देख कर फर्दर एरिया को डिमार्केटेड नहीं किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यही कह रहा हूं कि आबादी के लिए लैंड डिमार्केटेड है। जहां प्रेशर है वहां इन्डीविजुअल केस में डील-विद किया जाता है जहां यह समझा जाता है कि एक्सटेन्शन के लिए जमीन चाहिए तो........

श्री भैरोंसिंह : कोरम नहीं है। There is lack of quorum.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : I think the quorum is present.

श्री भैरोंसिंह : नहीं है साहब।

(कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में प्रवेश किया)

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास : तो आपसे मैंने अर्ज किया कि आबादी की लैंड ऑलरेडी डिमार्केटेड है। जहां पर डिमाण्ड आती है वहां की डिमाण्ड्स को मैरिटस पर कन्सीडर करके जमीन को ट्रांसफर कर देते हैं, गवर्नमेंट लैंड को। अब इसके अलावा भी गवर्नमेंट लैंड उससे एडजोइनिंग नहीं है तो काश्त की जमीन को एक्वीजीशन करके लोकल बॉडीज को दे दिया जाता है। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसकी मंशा सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग जिनके पास सैकड़ों वर्षों से जमीन है और जो ओरीजनल एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वह आबादी के बिल्कुल एडजेसेन्ट है तो ऐसे लोग कोई इस प्रकार की एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन-एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए गवर्नमेंट से पर्मिशन लें। इस लिए यह प्रोविजन किया गया कि उस लैंड का बैटर यूज़ नॉन-एग्रीकल्चरल पर्पज़ में हो सकता है तो उनकी जमीन को लेकर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए यह प्रोविजन किया गया है। फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि हो सकता है कि एग्रीकल्चरल लैंड म्युनिसिपल एरिया से दूर हो और उसको नॉन-एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए कन्वर्ट किया जा सके, यह ठीक है इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हो सकता है कि कोई इन्डस्ट्री शहर से दूर रखने की हो तो वह आज भी किया जाता है it is not that we do not do it.

श्री पी० के० चौधरी : किसी ने दूकान खड़ी कर दी है अजमेर रोड पर उसमें भी आप यह लगायेंगे या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खड़ी करने का सवाल such a permission will not be given.

आप समझते हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट पॉकेट्स बनायेगी।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : Order, order please. Hon'ble Member will please not disturb the debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह की मंशा इस अमेन्डमेन्ट बिल की नहीं है। म्युनिसिपेलिटी की इन्कम पर स्टेट गवर्नमेन्ट का स्टेचुटरी राइट नहीं है। स्टेट गवर्नमेन्ट ने ट्रांसफर नहीं की है बल्कि only the right to sale or lease उसको ट्रांसफर किया है subject to condition that a Development Fund will be created by the Muuicipality the fnnds of which will be utilised not for day-to-day expenses but for purposes of development of that town.

इसलिए स्टेचुटरी म्युनिसिपल एक्ट में या दूसरे लॉ में प्रोवाइड नहीं है। यह तो स्टेट ने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से ट्रांसफर किया है। उनको सबसिडी दी जाती है और जो लैण्ड आबादी में है उसको बेचने का और लीज़ करने का राइट दिया गया है, इसलिए प्रोविजन किया है। जमीन की जितनी अर्बन असेसमेंट आयेगी या प्रीमियम आयेगी वह सब उनको ट्रांसफर कर दी जाये, यह वाजिब नहीं होगा। हां, एक बात है जो आज इस बहस में मैंने महसूस किया और थोड़ी हार्डशिप उसके बारे में आ सकती है। इसमें अर्बन असेसमेन्ट और प्रीमियम दोनों कम्पलसरी कर दिये गये हैं। बहुत सी छोटी छोटी जगह हो सकती हैं जहां कन्वर्शन जरूरी हो और अर्बन असेसमेन्ट लगाना डिस्क्रिमिनेटरी होगा। हो सकता है यह थोड़ी हार्डशिप भी हो। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपकी इजाजत से एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहूँगा, वह यह होगा : In clause 3 under Section 90-A, sub-clause (4),

(i) In part (a) substitute 'and' by 'or' in the last line.

(ii) Delete the word 'further' in part (b).

(iii) Insert a new part (c) reading "(c) or both" इसका मतलब यह हुआ कि उसी टाउन के इम्प्रूवमेन्ट का अधिकार और सिटी के इम्प्रूवमेन्ट का स्टेट गवर्नमेन्ट डिटर्मिन करेगी कि whether premium should be realised or part of it should be realised or both urban assessment and premium should be realised. इसलिए मैं यह आपकी इजाजत से पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : How does this part (b) run?

श्री दामोदरलाल व्यास : "Such further amount......" 'further' will be deleted मैं समझता हूँ कि इस अमेन्डमेन्ट से माननीय सदस्यों की बहुत सी मंशा पूरी हो जायगी और जहां तक मेन अमेन्डमेंट का सम्बन्ध है उसके बारे में मैंने अर्ज कर दिया कि वह इस बिल के स्कोप के बाहर है। अतः मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप (माननीय राजस्व मंत्री से) यह बता दें कि आपने कहा कि म्युनिसिपेलिटीज़ को बेचने के व लीज वगैरह के अधिकार दे दिये हैं, लेकिन उस जमीन को देखेंगे जो कि सारी जमीन अलॉट कर दी है लेकिन नई जमीन को चेन्ज करते हैं, उस जमीन का मालिक दरख्वास्त करता है, मकान बनाता है और उसको आप चेन्ज करते हैं आबादी के अन्दर, उस जमीन का क्या होगा, म्युनिसिपेलिटी के अधिकार के सम्बन्ध में?

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए बता देना चाहता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी को गवर्नमेंट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑवन्ड लैण्ड ही ट्रांसफर की गई है, किसी प्राइवेट आदमी की जमीन को ट्रांसफर नहीं किया गया है The Municipality as such, has no right over private lands. यह कानून उस जमीन के मुताल्लिक है जो काश्तकार के कब्जे में है, उसके खातेदारी की जमीन है। It is not for Government owned lands. गवर्नमेंट ऑवन्ड जो लैण्ड है ऑलरेडी वह आबादी की जमीन म्युनिसिपेलिटी को दे दी है, उनका राइट दे दिया है। लेकिन प्राइवेट आदमी की जो जमीन है उस पर म्युनिसिपेलिटी का न आज राइट है और न कल मिल सकता है इस तरह से।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन रखा था और उसके सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चला और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया और आपने कहा कि इस प्रकार की प्राइवेट लैंड पर म्युनिसिपेलिटी का कोई अधिकार नहीं है। यह ठीक है कि उसका उस पर अधिकार तो नहीं है क्योंकि जिस समय वह लैंड रेवेन्यू पे करता है वह लैंड सभी सरकार में वेस्ट करती है, लेकिन आबादी में परिवर्तित करने के लिए एक तरीका सरकार ने अपनाया और आबादी में परिवर्तित करने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद में उस जमीन पर अधिकार म्युनिसिपेलिटी का हो जाता है। वह म्युनिसिपल लिमिट में हो जाती है तो दूसरे प्रकार के मकानात वगैरह के जो राइट्स होंगे उस आधार पर वह तय किये जायेंगे। उसके बाद में म्युनिसिपेलिटी का अधिकार उस पर नहीं है तो उसके प्रति म्युनिसिपेलिटी का उत्तरदायित्व क्या होगा ? वह उस पर क्यों रोशनी करेगी ? क्यों वह वहां रोड बनायेगी ? जब तक कि म्युनिसिपेलिटी को मिलने वाला नहीं तो म्युनिसिपेलिटी वहां जाकर उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों करेगी ? आपने कहा कि म्युनिसिपेलिटी के पास डेवलपमेंट फण्ड्स होता है, म्यूनिसिपेलिटी में सब कुछ होता है उस जमीन के लिए जो नॉन-एग्रीकल्चर पर्पज आबादी के लिए है और उसको ट्रान्सफर कर दी है। उसके बारे में वह करेगी लेकिन इस जमीन में जो कि अब आप बदल रहे हैं, आबादी लैंड में बदल रहे हैं, एग्रीकल्चर लैण्ड को उसके बारे में वह क्यों करेगी ? यह स्पष्ट चीज है कि इससे हार्डशिप पैदा होगी। म्युनिसिपेलिटी को कोई इन्ट्रेस्ट नहीं होगा कि उस पर आबादी बसायेगी। उन लोगों को परेशानी होगी, इस प्रकार के उदाहरण आये हैं। सीकर में इस प्रकार से जमीन बदली गई थी और बदले जाने में राज्य सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : You will not introduce any more instances.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि उनको क्या तकलीफ होती है।

श्री उपाध्यक्ष : No, please. You should restrict yourself only to reply of the debate.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो उस जमीन के बदलने के बाद म्युनिसिपेलिटी से नहीं ली और सरकार ने परमिशन दे दी मकान बनाने की....

श्री उपाध्यक्ष : I have already given my observations. You will please not cite any instances.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस प्रकार से उनके लिए डिसीजन का प्रश्न पैदा नहीं हो सकता है। वहां पर हो रहा है। वहां पर दिक्कत आयेगी अगर म्युनिसिपेलिटी को कन्सल्ट करे या म्युनिसिपेलिटी की राय के बगैर किया गया तो। इसलिये मैं अपना संशोधन सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज ३ के अन्तर्गत श्री तनसिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया गया।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया गया।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि जो संशोधन, क्लॉज ३ के अन्तर्गत राजस्व मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, और जो पार्ट (ए) के अन्तर्गत इस प्रकार है लास्ट लाइन में:—

"substitute 'and' by 'or'."

पार्ट (बी) "Omit the word 'further' in first line." Insert a new part (c) reading- '(c) or both."

इसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ पर जो संशोधन है वह स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज ३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप जोड़ी गयी।

(विराम)

क्लॉज-४

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, शॉर्ट टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटिल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सिक्स्थ-अमेंडमेंड) बिल, १९५८ को पारित किया गया ।

(विराम)

शासकीय संकल्प
सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ में संसद द्वारा संशोधन करने सम्बन्धी

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ

"Whereas by resolutions passed in pursuance of Article 252 of the Constitution, the levy of estate duty in respect of agricultural land in the State of Rajasthan is governed by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) passed by Parliament;

And whereas the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) has been amended by Act 17 of 1954, Act 41 of 1954, Act 36......"

श्री श्रीभानसिंह : कुछ समझ में नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : Is is not audible ?

श्री श्रीभानसिंह : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble. Finance Minister to be more audible.

(विराम)

उनकी धीमी आवाज है,

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं शुरू से पढ़ देता हूँ ।

"Whereas by resolution passed in pursuance of Article 252 of the Constitution, the levy of estate duty in respect of agricultural land in the State of Rajasthan is governed by the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) passed by Parliament;

And whereas the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) has been amended by Act 17 of 1954, Act 41 of 1954, Act 36 of 1957 and Act 33 of 1958 passed by Parliament;

And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law;

Now, therefore, this Assembly hereby resolves in pursuance of Article 252 of the Constitution that the matters aforesaid, in so far as they are matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the State, may be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended accordingly."

डॉ० बहादुरसिंह : जरा स्पष्टीकरण और कर दें ।

श्री हरीभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीधा-सादा प्रस्ताव है ।

डॉ॰ बहादुरसिंह : सीधा नहीं, समझ में नहीं आया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, १९५३ में पार्लियामेंट ने इस्टेट ड्युटी एक्ट पास किया जो कि राजस्थान पर भी लागू है, ऑलरेडी १९५३ के एस्टेट ड्युटी एक्ट में प्रावधान है। उसके बाद पार्लियामेंट ने २, ३ अमेंडमेंट्स किये हैं जिनका जिक्र मैंने किया है। उन अमेंडमेंट्स को राजस्थान में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि असेम्बली अपनी तरफ से यहां से संकल्प करे। उसकी पूर्ति के लिए यह संकल्प आपके सम्मुख है। जब तक यह संकल्प नहीं करेंगे वह अमेंडमेंट जो हुआ है ५८ में, जिसका कि लाभ राजस्थान को मिल सकता हैं उससे यह (राजस्थान) वंचित रह जायगा। इसलिए यह जरूरी है कि यह प्रस्ताव पास किया जाय। यह सिर्फ एक तरह की खानापूरी है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : एस्टेट ड्युटी युनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में या कॉकरेन्ट लिस्ट में ?

३ म॰ प॰

श्री पी. के. चौधरी : यह यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्टेट लिस्ट में।

श्री पी. के. चौधरी : तो फिर पार्लियामेन्ट ने कैसे पास किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : राजप्रमुख ने सन् १९५२ में इसके लिये स्वीकृति दी थी और उस स्वीकृति के अनुसार पार्लियामेन्ट ने पास किया और हमारे यहां यह लागू हुआ। हम इसके लिये पहले ही स्वीकृति दे चुके हैं। अब तो अमेन्डमेन्ट के लिये स्वीकृति देनी है आपको। अमेन्डमेन्ट में भी पहली बात तो यह है कि मूल कानून मे १ लाख रु. की संपत्ति पर ड्यूटी ली जाती थी। परन्तु अब १ लाख से घटाकर ५०,००० कर दिया गया है यानी ५०,००० की एस्टेट पर भी ड्युटी ली जायगी। दूसरी, बात यह है कि कोप्रासेनरी पर ड्युटी लगाने का अधिकार दिया गया है, तीसरी, बात यह है कि प्रोबेटड्युटी सेन्ट पर्सेन्ट थी उसके बजाय ५० पर्सेन्ट होगी, और चौथी, बात यह है कि भिन्न-भिन्न तरह की जो प्रणालियां थीं, उनमें एक-रूपता लाने के लिये प्रावधान किया गया है। ये चार बातें हैं उनमें से दो ही आर्थिक हैं, एक तो यह कि एक लाख की संपत्ति पर कर लगाने के बजाय पचास हजार पर कर लगाया है और दूसरा यह कि जो सेन्ट पर्सेन्ट अलाउन्स मिलता था उसके बजाय ५० पसेन्ट कर दिया है, अब ५० फीसदी मिला करेगा।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रिज़ोल्युशन को, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक बात नये तौर से जोड़ी जा रही है और वह है एग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज और एग्रीकल्चरल लैंड पर एस्टेट ड्युटी लागू करने का प्रावधान। मैं समझता हूं अब तक एस्टेट ड्युटी में, जो खेती के काम में आने वाली भूमि है उस पर कोई कर नहीं लगता था, लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा, इस प्रस्ताव (संकल्प) के द्वारा, जो कि हम पास करने जा रहे हैं इसके अनुसार कृषि के योग्य जो भूमि है उस पर भी जो संपत्ति है उस पर भी टैक्स लगाने का विचार कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में हमारी सरकार की एक ही नीति होनी चाहिये और इस नीति में एक चीज स्पष्ट रूप से होनी चाहिये

(श्री तनसिंह)

कि जो किसान काश्त करते हैं और जो व्यक्ति शहर में रहते हैं, उन दोनों के जीवन-स्तर में बहुत अंतर है क्योंकि कोई काश्तकार अपनी जमीन पर कोई ऐसी प्रोपर्टी खड़ी करता है जिसकी कीमत पचास हजार से ज्यादा है, केवल इसी बात से शहर के लोगों के समान स्तर पर आ जाता हो, ऐसी बात नहीं है......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं कि सन् १९५३ से एस्टेट ड्युटी कृषि भूमि पर लागू है। क्योंकि आप इस बारे में आॅर्ग्यु कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं।

श्री तनसिंह : यह मैं मानकर नहीं चल रहा हूं, संकल्प का जो पेराग्राफ है उसमें लिखा है :

"And whereas it appears to this Assembly to be desirable that the matters specified in the amending Acts aforesaid, in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural land, should be regulated in the State by Parliament by law;" एग्रीकल्चरल लैंड के संबंध में पहले से यदि लगा हुआ है तो उसको नया रूप क्यों दे रहे हैं, यह स्पष्टीकरण हो जाय तो मुझे बोलने की जरूरत न पड़े ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले एक लाख रुपयों की संपत्ति पर एस्टेट ड्युटी लगाई जाती थी इसके बजाय अब पचास हजार की संपत्ति पर लगाई जायगी और दूसरी बात जहां सेन्ट पर्सेन्ट छूट दी जाती थी, कोर्ट की स्टाम्प आदि में वहां अब पचास पर्सेन्ट छूट दी जायगी, ये दो ही मेटीरियल पाइन्ट्स हैं, इनसे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

(विराम)

२.५ म० प०

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८

(पूर्व क्रम से)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सिक्स्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : यह तो पास हो चुका है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: पुनरावृत्ति की जाय क्या?

(हंसी)

श्री तनसिंह : We have done completely all the legislation work.

श्री उपाध्यक्ष : We have got the schedule now.

श्री दामोदरलाल व्यास : शिड्यूल पर आपने भाषण दिया था।

श्री तनसिंह : जिस समय आपने संपूर्ण विचार करने के बाद रखने को कहा था, अब

Page No.75

(श्री तनसिंह)

आप वैसे का वैसा रखना चाहते हैं । ३ बज रहे हैं, समय व्यर्थ जायगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): आपने कैसे समझा कि फाइनली मेरे पास नहीं है । आप जिसे अनावश्यक समझते हैं, मैं उसे बहुत आवश्यक समझ कर उसका उपयोग करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस शिड्यूल पर जो वाद विवाद हुआ, उसमें कई माननीय सदस्योंने भाग लिया और बहुत से सुझाव पेश किये । एक माननीय सदस्य जो अभी यहां नहीं है, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक एक आइटम को लेकर कल इस बात को बताने की कोशिश की थी कि जमींदारी एबोलिशन बिल में और पहले के कानून में जो सन् ५२ में हुआ था, उन दोनों में क्या फर्क है, बेसिक इयर पर ऐतराज किया था और यह बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन इसलिये है कि किसी को फायदा पहुंचे और किसी को नहीं पहुंचे । वे इस बात को भूल गये कि बेसिक इयर :..............................

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : May I know on what points the Hon'ble. Revenue Minister is speaking ? We have passed on to certain agenda which we have finished ! Are we going back to the agenda which we have passed ? What is the position ?

श्री उपाध्यक्ष : For the information of the Hon'ble Member, I may inform him that the schedule is still under consideration and that is on the adenda.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : No Sir, it was passed over to the next agenda.

श्री उपाध्यक्ष : It was deferred...

श्री दामोदरलाल व्यास : It was only deferred for today.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I heard that it was deferred for certain reasons and then other business was taken up and now that business has been passed.

श्री उपाध्यक्ष : We deferred hat t only for some time.

श्री तनसिंह : Then it will be injustice. I came prepared for this Bill, the schedule was passed over ane other Bills were introduced. I hoped that there will be some agreement on the schedule......

श्री दामोदरलाल व्यास : Who told you that there will be agreement ? I never said that.

श्री श्रीभानसिंह : Then what were the reasons ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please. We have deferred it only for some time.

श्री श्रीभानसिंह : Then I would like to know Sir, why it was postponed ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Speaker postponed it for some time, because I wanted to consider some points I have now considered them and I will now reply to the

(श्री दामोदरलाल व्यास)

amendments tabled by the Hon'ble Members and the debate will be resumed.

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो बेसिक इयर के ऊपर माननीय सदस्य ने इस कदर बहस की, वे इस बात को भूल गये कि बेसिक इयर का सम्बन्ध जागीर रिजम्शन से जितना है उस मात्रा में अपने इस जमींदारी रिजम्प्सन से नहीं आता, क्योंकि जितना एरिया कवर होगा वह जिस एग्रीकल्चर ईयर में होगा, उसमें माना जायगा। इसलिए जो जागीर रिजम्शन एन्ड लैन्ड रिफार्म्स एक्ट में शिड्यूल में जो बेसिक इयर है और इस जमींदारी एबोलिशन बिल में साल है, इन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो एप्रीहेन्सन है माननीय सदस्य का बेसिक इयर के बारे में वह बिल्कुल गलत है, उसमें कोई मेटिरियल लौस, एडवान्टेज और डिस-

३. १२ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

एडवान्टेज नहीं होता है। अलबत्ता, दूसरा पॉइन्ट रेज किया गया कि एट टाइम्स कम्पेन्सेशन दिया गया। उसमें क्या लौजिक है, किस बेसिस पर दिया गया? माननीय सदस्य इस बात की कोशिश करते कि कन्ट्री में दूसरे स्टेटों में, जिन्होंने जमींदारी एबोलिश की है उनमें कितना कितना कम्पेन्सेशन कहां कहां दिया है। कम्पेन्सेशन की जो रेट्स आज है, आप पंजाब को लीजिये, वहां एट टाइम्स ऑफ दी एनूअल इन्कम है, सेकिंडली, यू. पी. का एक्ट है, उसमें भी एट टाइम्स है, मध्य भारत में भी एट टाइम्स ऑफ [illegible] इन्कम है। मतलब यह है ....

श्री श्रीभानसिंह : Probably they have given rehabilitation grants.

श्री दामोदरलाल व्यास : Please listen to me. I do not want to be interrupted like this. I am only talking about compensation.

श्री श्रीभानसिंह : I will request the Hon'ble Minister to approach me through the Chair.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon Member should himself also address ble the Chair.

श्री सभापति : Order please. The Hon'ble Revenue Minister to continue

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है कि एट टाइम्स कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, एट टाइम्स कम्पेन्सेशन दूसरे स्टेट्स में दिया गया है, वही यहां है, कोई नया तरीका मैंने ईजाद नहीं किया है। अब रहा सवाल इस बात का कि राजस्थान में जमींदार कई किस्म के हैं। आप अलग अलग जगह की जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो उस के अन्दर अलग अलग जगह अलग अलग तरह से जमींदारी क्रियेट हुई है और उनके अलग अलग राइट्स हैं। जैसा राजगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने बताया यह बात सही है कि बहुत से जमींदार और बिस्वेदार तो इस प्रकार के होंगे ...

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the Hon'ble Ministeri s addressing a House which does not have a quorum.

श्री सभापति : The quorum is complete, I suppose.

श्री बहादुरसिंह : १८ चाहिए।

श्री ज्वाला प्रसाद : Now it has been manipulated by sending some people out.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, the Hon'ble Member says that it has been manipulated. What is there to be manipulated ? I said that there is no quorum.

श्री सभापति : The Hon'ble Member should not speak in this way.

श्री श्रीभानसिंह : I certainly resent this word ' it has been manipulated'.

श्री सभापति : Order please. I have asked the Member not to use such words.

(थपथपाहट)

श्री श्रीभानसिंह : टिल १७ हैं कहां से कोरम है।

श्री सभापति : Let me count whether is quorum or not ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कोरम पूरा नहीं हैं तो एड्जोर्न कर दीजिये।

(सदन की कार्यवाही कोरम न होने के कारण दो मिनट तक स्थगित रही।)

एक माननीय सदस्य : अब हो गया साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति, अगर माननीय सदस्य इस मूड में न हो काम करने के, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जहां तक रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट का सवाल है हमारे जो बयाना से आये हुए सदस्य हैं वे उत्सुक हैं, वे इस बात को चाहते हैं कि कुछ न कुछ रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट दी जाय। पहले वे बहुत खिलाफ थे और उनका विचार था कि कोई कम्पेन्सेशन जागीरदारों को नहीं मिलना चाहिए। जब प्रिन्सिपल डिस्कस हुए तब उन्होंने इसका अपोजिशन किया, उन्होंने कोई अमेंडमेंट पेश नहीं किया लेकिन धौलपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने मूव किया और उन्होंने इन्सिस्ट किया। मुझे खुशी है इस बात की कि वे महसूस करते हैं ...

श्री श्रीभानसिंह : उसको आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने फौरन स्वीकार कर लिया उस बात को। मैं अर्ज कर रहा था कि राजगढ़ से जो माननीय सदस्य आये हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार की बात बताई है कि हमने जागीरदारी एबोलिशन किया है जमींदारी एबोलिशन किया है, उसमें कम्पेन्सेशन और रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट रखी है। मैंने इस उद्देश्य को सदन में बार बार कहा है कि जमींदारों को, जागीरदारों को एक्पेल नहीं करना चाहते है, उनको रीहेबिलिटेट करना चाहते है, उनको रिहेबिलिटेट करने की हमारी जिम्मेदारी है। उनको खुदकाश्त की जमीन इसलिए देते है कि वे रीहेबिलिटेट हों और उसके ऊपर खुदकाश्त करें, मुस्तकिल रूप से रीहेबिलिटेट हों; हमने मुआवजा दिया है, रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट जागीरदारों को दी है तो उसका उद्देश्य यही है कि छोटे छोटे जागीरदार, खास तौर से लोअर इन्कम वाले है, उनको हार्डशिप

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं हो। इसी उद्देश्य को सामने रख कर मैं जमींदारों के लिए सभापति महोदय आपकी इजाजत से अमेंडमेंट पेश करता हूं जिसे माननीय सदस्य, खास तौर पर जो इसके लिए उत्सुक हैं वे पसन्द करेंगे। मेरा अमेंडमेंट पेश करने का उद्देश्य यह है कि मैं इन जमींदारों को रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट के तौर पर कुछ एडीशनल रिलीफ देना चाहता हूँ और इस उद्देश्य से अमेंडमेंट पेश करता हूं। वह इस प्रकार है.... क्योंकि क्लॉज १८ पास कर चुके हैं, इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। शिड्यूल के अन्दर में कुछ रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है कि जो फुलेरा से आने वाले सदस्य है वे इसे शायद पसन्द न करें, मगर चूंकि इक्वीटेबल है, वे इस बात को महसूस करेंगे और बयाना से आने वाले सदस्य की तरफ अपने विचार तब्दील करने की कोशिश करेंगे ....

श्री पी० के० चौधरी : आपने यह नहीं बताया कि कम्पेन्सेशन की रेट आपने ऑर्बीट्रेरी की हैं या किस तरह से किया हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया था, लेकिन आप मौजूद नहीं थे। हमने ऑर्बीट्रेरीली नहीं किया है बल्कि रेशनल है और किस तरह है यह बताने की मैंने कोशिश की थी you were not here then. दूसरी बात जो शिड्युल के अन्दर पेश कर रहा हूं वह इस प्रकार है :

The existing clause 5 of the Schedule to the Bill shall be renumbered as part (1) of that clause of the schedule...

डॉ० बहादुरसिंह : सक्यूंलेट कर दे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सक्यूंलेट करने की जरूरत नहीं है। पास तो होने दें। ....

श्री तनसिंह : कल क्या करोगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : (1) The existing clause 5 of the Schedule to the Bill shall be renumbered as part (1) of that clause of the schedule.

(2) For item (a) of part (1) of clause 5 of the schedule substitute the following:-

"(a) seven times his net income calculated in accordance with clauses 2, 3 and 4 of this Schedule subject to the condition that it shall in no case be less than twenty five percent of the land revenue payable by him for the basic year in respect of land under the occupation of tenants not being tenants of khudkasht or subtenants"

(3) Insert the following as part (2) of clause 5 of the Schedule:-

"(2) In addition to compensation in accordance with part (1) of this clause, a rehabilitation grant shall also be payable on the following scale namely:-

(i) Where the total land revenve payable by the zamindar or biswedar does not exceed Rs. 25/- per annum:

20 times the net income calculated in

(श्री दामोदरलाल व्यास)

	accordance with item (a) of part (1) of this clause,
(ii) Where such land revenue exceeds rupees 25 but does exceed Rs. 50/-	ten time such net income.
(iii) Where such land revenue exceeds Rs. 50 but does exceed Rs. 100.	eight times such net income.
(iv) Where such land revenue exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 250.	six times such net income.
(v) Where such land revenue exceeds Rs. 250 but does not exceed Rs. 500.	four times such net income.
(vi) Where such land revenue exceeds Rs. 500 but does exceed Rs. 2000	two times such net income.
(vii) Where such land revenue exceeds Rs. 2000 but does not exceeds Rs. 3500.	One time such net income.
(viii) Where such land revenue exceeds Rs. 3500.	Nill.

माननीय सभापति जी, जो मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है, इसका मतलब साफ है कि मैं कुछ रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट लोअर इन्कम के जमींदारों को देना चाहता हूँ और मैंने उसका तरीका आपके सामने पेश किया है वह कभी कभी वैसा ही है जैसी मध्य भारत में या और दूसरी जग की रीहेबिलिटेशन ग्रॉन्ट दी गई है.......पर मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात क पसन्द करेंगे और इस मेरे अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : Accepted with clappings.

(करतल ध्वनि के साथ स्वीकार किया गया)

डॉ॰ बहादुरसिंह : (धौलपुर) माननीय सभापति महोदय, जो मेरा संशोधन है उसे मैं वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं सदन से, पर एक बात है जो आप कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं वह पद्धति मेरी समझ में नहीं आई कि आप अगर देना चाहते हैं तो आप ही देखिये कि काश्मीर में जमींदारी समाप्त की गई और बगैर कम्पेन्सेशन के समाप्त की गई है। आप कहते हैं कि उनको विशेष रियायत थी तो हम यहां विशेष रियायत ही तो कर रहे हैं कि एक पर्सेन्ट दे रहे हैं कए साल का। तो इस तरह हमें राजस्थान के अन्दर एक नजीर रखनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों ने कहा था कि जागीरदारों और जमींदारों में डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, इसी लिए जागीरदारों को दिया तो इनको भी दे रहे हैं, माननीय सदस्यों के माफिक ही किया जा रहा है।

डॉ॰ बहादुरसिंह : जगीरदारों से वापस लेने की बात कर सकते हैं।

(हँसी)

Page No.80

श्री सभापति : आप तो सदन से आज्ञा चाह रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : जी हां।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ. बहादुरसिंह ने शिड्यूल में रखा है, उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

डॉ० बहादुरसिंह मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री बृजमोहनलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन····

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा है, Is it about ten percent ?

श्री सभापति : yes.

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, already accepted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री बृजमोहनलाल शर्मा ने जो संशोधन शिड्यूल में, टेन पर्सेन्ट के बाबत रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री बृजमोहनलाल शर्मा ने शिड्यूल में जो दूसरा संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

श्री रघुवीरसिंह।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ): सभापति महोदय, क्योंकि, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार हो गया है, मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री रघुवीरसिंह ने शिड्यूल में जो संशोधन रखा है, उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री रघुवीरसिंह : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन शिड्यूल में माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृति)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल, एज अमेंडेड, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

शिड्यूल एज अमेंडेड विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Page No.81

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, चूंकि शिड्यूल में अमेंडमेंट किया है, उसका कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट क्लॉज १८ में है वह मूव कर दूँ : In clause 18, sub-clause (1), for the words 'ten' substitute 'fifteen' and for the word 'twenty' substitute the word 'thirty occuring in lines 4 and 6 respectively.

श्री तनसिंह : क्या है, कैसे कॉन्सिक्वेन्शियल ?

श्री सभापति : ऑलरेडी शिड्यूल में आया है तो कॉन्सिक्वेन्शियल है, तो क्या एतराज है ।

श्री तनसिंह : कॉन्सिक्वेन्शियल कैसे हुआ ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कॉन्सिक्वेन्शियल तो ऐसे ही बनते हैं ।

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, हम भी समझ तो लें कि क्या है और क्या नहीं है, कॉन्सिक्वेन्शियल कैसे हुआ ?

श्री सभापति : पहले संक्षेप में समझाया था, अब डिटेल में समझा दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : १० साल के स्थान पर १५ साल रखा है, और २० किश्तों में देने का था उसकी जगह २० की बजाय ३० किश्तें हो जायेंगी ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ में जो संशोधन रेवेन्यू मिनिस्टर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ एज अमेंडेड स्वीकार किया जाय ।

श्री पी० के० चौधरी : यह कॉन्सिक्वेन्शियल कैसे हुई ? समझ में नहीं आया ।

श्री सभापति : Now it has been put to vote.

श्री पी० के० चौधरी : We have been raising this point from the very beginning. The Hon'ble. Members have been saying, I have been saying.

श्री सभापति : Now the question has been put and the amendment is accepted by the House.

प्रश्न यह है कि क्लॉज १८ एज अमेंडेड स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १८ एज अमेंडेड विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान जमींदारी, तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८ क्लॉज १ प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

(विराम)

क्लॉज १ प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय ।

श्री पी० के० चौधरी : कल लिया जाय ।...There are so many amendments of which we have not received copies. We would like to see them before it comes up for consideration. According to rules also we cannot pass it today.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is already in the agenda.

श्री पी० के० चौधरी : But according to rules we cannot pass it today.

श्री दामोदरलाल व्यास : But it was in the agenda.

श्री पी० के० चौधरी : Even if it was in the agenda, it cannot be passed.

श्री सभापति : I suppose the amendments as proposed are of a very trivial nature and I request the Hon'ble Member to reconsider the matter so that the business may finish today.

श्री पी० के० चौधरी : But according to rules we cannot pass it today.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जो अमेंडमेंट माननीय मन्त्री महोदय ने किये हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेन्शियल अमेंडमेंट्स हो सकते हैं यह सब देखना पड़ेगा, कई तो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जुबानी ही पेश कर दिये हैं, लिख कर नहीं दिये हैं । इसलिये इसे कल लिया जाय ।

श्री सभापति : सदन ने स्वीकार किये हैं ।

श्री भीमसेन (लुणकरणसर) : ऐसे अमेंडमेंट पेश हुए हैं राजस्व मन्त्री द्वारा जो बहुत कन्फ्यूजिंग हैं, इसलिये कल के लिये रख दिया जाय तो ठीक रहेगा ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sir, I will refer to Rule 132 of the Rules of procedure which says: (1) "When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member-in-charge may at once move that the bill be passed.

(2) If any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the Bill be passed, and such objection shall prevail..."

श्री सभापति : Which Rule you are quoting ?

श्री पी० के० चौधरी : Rule No. 132 Sir. A number of amendments has been moved and no motion that the Bill be passed can be taken up.

श्री सभापति: There is one sentence more in that Rule which you have left. It is "......unless the speaker allows the motion to be moved."

श्री पी० के० चौधरी : That is correct Sir, but these amendments are of far reaching nature. He has brought in rehabilitation grants which are of far reaching nature. Further, their payment instead of being made

Page No.83

(श्री पी० के० चौधरी)

in 10 years, has been made 15 years. These are matters of serious nature and we want copies of these amendments. The House should not be taken by surprise.

श्री सभापति : But the Hon'ble Member should know that his objection is too late.

श्री पी० के० चौधरी : But we have a right to express our views on third reading and unless we have got time to consider about these amendments which we have received only now it would not be fair to the House not to allow the members to express their views.

श्री सभापति : I will now request the Hon'ble Minister if he has got anything to say.

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो एजेन्डा सक्युलेट हुआ उसमें ऑलरेडी यह रखा हुआ है ।

श्री पी० के० चौधरी : But your amendments were never circulated.

श्री दामोदरलाल व्यास : Well, it the sense of the House is of such a nature then I will request that it may be postponed for tomorrow, but the position will be just like this because the agenda for tommorw will have to be postponed then.

श्री पी० के० चौधरी : The Bill was also there in the agenda for tomorrow.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is there, but because we could finish it earlier then why not go forward. You were not here otherwise you could oppose my amendments very well.

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ३.३३ बजे मध्यान्होत्तर दिनांक ११ दिसम्बर, १६५८ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार १० दिसम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ५९७६

अजमेर शॉप्स एन्ड कॉमर्शियल एक्ट के अन्तर्गत व्यक्तियों का चालान ।

करौली शहर में नलों की अव्यवस्था

राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी सोने का तस्कर व्यापार।

जोधपुर नगरपालिका द्वारा नल बिजली आदि की व्यवस्था ।

कृषि उत्पादन हेतु टोंक जिले में तालाब तैयार करवाना ।

ग्राम पंचायत किशनगढ़-रैनवाल के चुनाव ।

आहूजा कमेटी ।

किशनगढ़ नगरपालिका में पिछली बैठकों की कार्यवाहियों की पुष्टि ।

हथियारों की जब्ती ।

चेयरमैन पाली, नगरपालिका द्वारा नगरपालिका की जमीन किराए पर देना ।

झुन्झुनू शहर को भाखरा नांगल से बिजली का मिलना ।

ग्राम नोतड़ा के अलादीन द्वारा कंवरलाल कुम्हार के मकान के सहारे नया मकान खड़ा कर देना ।

जिला बोर्ड जयपुर के कर्मचारियों की पदोन्नति ।

जिला बोर्ड सवाई माधोपुर की हवालगी सीगे में बकाया ।

लालसोट-दौसा-गंगापुर रोड का पुनः निर्माण ।

आयुर्वेदिक विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति ।

नये टर्बाइन का अलवर में लगना ।

राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स नगरपालिका, जयपुर के कर्मचारियों पर लागू ।

हिन्डौन से करौली जाने वाली बसे ओवर- लोड जाने से यात्रियों को असुविधा ।

झुंझुनू शहर के लिए वाटर वर्क्स की योजना ।

(लोकजीवन) पत्र भीलवाड़ा को सरकारी सहायता ।

खैरवा ग्राम में कुंए की मरम्मत ।

भरतपुर में नलों को लगाने व कुओं को निर्माण कराने निमित्त ठेका ।

जिला भरतपुर में सुधरे कृषि औजार ।

सवाई माधोपुर तहसील में ग्राम पंचायतों का चुनाव।

डिस्पेन्सरियों में दवाइयों का बजट।

प्रवर समित के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय की वृद्धि ६०२२

श्री दामोदरलाल व्यास, सभापति प्रवर समिति, के प्रस्ताव पर राजस्थान टिनेन्सी (पांचवा संशोधन) विधेयक १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु नियम समय को १९ दिसम्बर १९५८ तक बढ़ा दिया गया।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ ६०२३

(अग्रेतर विचार)

उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खंड ५, २३, २४ व अनसूची संशोधित रूप में तथा खण्ड २५, १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये। इनके अतिरिक्त खण्ड १८ में भी संशोधन किया जाकर उसे संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

निम्नांकित विधेयक आज विचारार्थ लिये जाकर सदन द्वारा पारित किये गये :-

(१) राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(२) अजमेर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एण्ड लैंड रिफॉर्म्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

(३) राजस्थान भू-राजस्व (छठा-संशोधन) विधेयक, १९५८।

शासकीय संकल्प

सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ में संसद् द्वारा संशोधन करने संबंधी ६११८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा पारित किया गया :-

गुरूवार दिनांक ११ दिसम्बर १९५८ की कार्य सूची

(१) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८ (पारित)

(२) राजस्थान गौशाला विधेयक १९५८ (प्रवर समिति को)

———

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ११४३ का उत्तर देखिये)

संलग्न पत्र (ए)

क्रम संख्या	नाम	ओहदा	जगह तैनाती व डिस्ट्रिक्ट
१.	श्री गोपालसिंह	सब-इन्स्पेक्टर	थाना जैसलमेर
२.	,, भूरसिंह	डी. वाई. एस. पी.	जैसलमेर
३.	,, अम्बालाल	कॉनिस्टेबिल नं० ८८५	जी. आर. पी. बाड़मेर
४.	,, हनुमानसिंह	हैड कॉनिस्टेबिल	जी. आर. पी. मुनावता
५.	,, मेघसिंह	हैड कॉनिस्टेबिल नं० ५६६२	एफ. पोस्ट आर. ए. सी. गंगा नगर।
६.	,, भंवरदान	लिटरेट हैड कॉनिस्टेबिल नं० ८६२	आर. ए. सी. बाड़मेर
७.	,, चैनसिंह	कॉनिस्टेबिल नं० ८६४	आर. ए. सी. बाड़मेर
८.	,, चैनसिंह	कॉनिस्टेबिल नं० ८३६	,, ,,
९.	,, राजूराम	इन्सपेक्टर	आबत्रा डि. जालौर
१०.	,, शक्तिदान	सब-इन्सपेक्टर	चैक पोस्ट, बाडमेर
११.	,, जयसिंह	कॉनिस्टेबिल नं० ३०	जी. आर. पी. बाड़मेर
१२.	,, हरिसिंह	कॉनिस्टेबिल नं० ३५४	,, ,,
१३.	,, जगदीशचन्द्र	सब-इन्सपेक्टर	पी. एस. पदमपुर गंगानगर
१४.	,, फातू खां	कॉनिस्टेबिल	,, ,, ,,
१५.	,, हनुमानराम	कॉनिस्टेबिल	,, ,, ,,
१६.	,, बाघदान	कॉनिस्टेबिल नं० ४३१	पी. एस. जैसलमेर
१७.	,, नरपतसिंह	कॉनिस्टेबिल नं० ४७८	,, ,,
१८.	,, दीपसिंह	एल. सी.	पी. एस. डी.
१९.	,, हरिसिंह	एफ. सी.	पी. एस. डी.
२०.	,, प्रयागसिंह	एस. एच. ओ.	फलौदी
२१.	,, रेवतसिंह	शतर सवार	,,
२२.	,, घेवरचन्द	कॉनिस्टेबिल	,,

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ११४५ का उत्तर देखिये)

Sl. No. 1	Name af Tank. 2	Nam of Tehsil. 3	Cost (Laes) 4	Date of Commencement. 5	Date of completion. 6	Averege actual annual irrigation. (acres) 7	Assesment on a/c.of water rats for irrigation in col. 7. 8
१.	मोतीसागर	टोंक	४·१४	१६–११–५३	३१–५–५५	१००४	८,४४८
२.	डाकिया	टोंक	२· २	५–२–५२	३१–३–५३	३१६	१,१०४
३.	त्रिडोली	निवाई	१·७४	५–२–५२	२०–३–५३	१०	—
४.	डोरिया	मालपुरा	०·४५	२१–१–४६	३१–७–५१	५००	६२५
५.	सुलपुरा	निवाई	०·३२	५–२–५२	३१–५–५३	५०	३२०
६.	अनाकिया	टोडारायसिंह	०·३४	२६–१–४६	१६–१०–५१	४५६	६०१
७.	बटेर		०·४६	६–२–५२	११–१–५४	१०७	४४७

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ११५० का उत्तर देखिये)

क्रमांक	नाम जिला	पिस्तोल	रिवाल्वर	राइफल	गन	मरकेट ४१० बोर	योग
१.	उदयपुर	०	५९	१३	२	०	७४
२.	चित्तौड़गढ़	०	२०	१	०	०	२१
३.	भीलवाड़ा	०	६	०	२	०	८
४.	बांसवाड़ा	०	०	०	०	०	४
५.	डूंगरपुर	२	१	२	०	०	५
६.	बीकानेर	०	१५	१५	६	०	३६
७.	गंगानगर	११६	४८७	२८४	०	१	८८८
८.	चूरू	७	१०७	१०	०	०	१२४
९.	कोटा	०	०	०	०	०	०
१०.	बूंदी	०	१८	०	०	०	१८
११.	झालावाड़	२	१६	०	०	०	१८
१२.	जोधपुर	५२	०	४	६	०	६२
१३.	पाली	८	०	०	०	०	८
१४.	नागौर	४	३८	४	०	०	४६
१५.	जालौर	३	४	३	०	०	१०
१६.	बाड़मेर	४	४	१	०	०	९
१७.	जैसलमेर	०	७	५	०	०	१२
१८.	सिरोही	०	०	०	०	०	२६
१९.	जयपुर	२	३१	४	४	०	४१
२०.	अजमेर	०	०	०	०	०	०
२१.	सीकर	१	१८	४	१	१	२५

१	२	३	४	५	६	७
२२.	टोंक	०	५	०	०	०	५
२३.	झुंझुनूं	१	४२	६	०	०	४६
२४.	सवाई माधोपुर	०	१६	०	०	१	१७
२५.	अलवर	१४	२८	५	६	०	५६
१.	भरतपुर	०	५	०	१	०	६
	कुल योग						१,५६८

परिशिष्ट '४

(कृपया प्रश्न संख्या ११५१ का उत्तर देखिये)

म्युनिसिपिल बोर्ड द्वारा जो जमीन किराये पर दी गई उसकी सूची

क्रम सं०	नाम किरायेदार	दर प्रति मास
१.	किशोरीलाल शंकरलाल	५.००
२.	हरीराम [illegible]ताराम	४.००
३.	नैना वल्ली व्यापारी	१.२५
४.	कुलशाम वैवा फकीरमोहम्मद	१.००
५.	अब्दुलगफूर अलारख	१.२५
६.	याकूबअली व्यापारी	१.५०
७.	हस्तीमल शोभाचंद ओसवाल	५.००
८.	धीरू कामड कुमार	४.००
९.	पुखराज ताराजी नाई	२.५०
१०.	गोरधन रामचन्द्र सिंधी	३.००
११.	गिरधारी गणेश ब्राह्मन	१.००
१२.	मोलाराम लखूजी दर्जी	२.५०
१३.	रामचन्द्र भूलजीमल	,,
१४.	अर्जुन तेली	५.००
१५.	सुवालाल गुलाबचन्द	१०.००
१६.	,, ,,	३.००
१७.	खीवरराज गणेश ब्राह्मन	२.००
१८.	रामचन्द्र भूलजीमल	,,
१९.	रामजीवन रतनलाल शर्मा	३.००
२०.	,, ,,	२.५०
२१.	दाउलाल मोतीलाल	,,
२२.	सांवल हीरा नायक	४.००
२३.	नारायण गणेशजी	१.२५
२४.	रामलाल मो[illegible]राम	१.००
२५.	गोरधन रामचन्द्र सिंधी	३.००

Page No.91

२६.	नाथुलाल ब्रजलाल	१.५०
२७.	नन्दलाल चुन्नीलाल दर्जी	२.००
२८.	प्यारेलाल श्यामसुन्दर	,,
२९.	त्रिलोकचन्द मुन्नीलाल दरोगा	१.५०
३०.	नथूलाल ब्रजलाल	,,
३१.	सीताराम रामप्रसाद	३.००
३२.	केशवानन्द चतुरभुज	१.५०
३३.	पं० रामजीवन रतनलाल शर्मा	३.४०
३४.	दलेसिंह पनेसिंह	३.००
३५.	पूनमचन्द फताजी	१.००
३६.	सीताराम सुखदेव नाई	२.००
३७.	घीसुलाल दौलतराम नाई	,,
३८.	कब्जा काजाजी	१.००
३९.	धनापुरी नवलपुरी	४.००
४०.	मोहनलाल रामपाल गूजर	,,
४१.	मिसरीलाल पोरवाल	१.५०
४२.	कालूगिरी भीमगिरी	१.००
४३.	चन्दुलाल दलाल	२.००
४४.	धर्मदास निहालसिंह	४.००
४५.	लादू मनरूप	१.५०
४६.	बिरदीचन्द लक्ष्मीनारायण	५.००
४७.	बाबूलाल रामगोपाल ब्राह्मण	३.००
४८.	मीठूलाल आशुमल	२.००
४९.	भूमरलाल देवा लखारा	१.००
५०.	बाबुलाल देवा लखारा	,,
५१.	जामुनमल सेवकराम सिंधी	३.००
५२.	हसमत वासूमल	,,
५३.	पनेसिंह ज्ञानसिंह	१.५०
५४.	सरदार पूर्णसिंह वादावासी	३.००
५५.	हंसराज जीवनमल	३.२५

Page No.92

५६.	पेशुमल भोजमल	२.००
५७.	के० पी० श्रीवास्तव	१.००
५८.	पेशुमल भोजमल	३.५०
५९.	भूंगड़ामल ताराचन्द	१.२५
६०.	पारूमल आयलदास	२.००
६१.	झूमरामल सम्मरमल सिंधी	१.००
६२.	उमरनामल रामनदास	१.२५
६३.	भूंगडामल हीरामल	१.००
६४.	देवनदास रूपचन्द	१.२५
६५.	रघुनाथ भैरू बलाई	१.००
६६.	लादूराम भाताराम नाई	,,
६७.	रामदेव भूरजी धोबी	,,
६८.	धनराज परतापमल सिंधी	,,
६९.	बलदेवराम खाती	२.००
७०.	प्रभुमल बालू भाट	२.२५
७१.	नवला खोखण	२.००
७२.	मिट्ठूमल आसूमल सिंधी	१.२५
७३.	भंवरलाल नथु खटीक	४.५०
७४.	जंवरीलाल दौलतराम	२.००
७५.	मोतीदास भूरदास साद	१.७५
७६.	अलानूर अजीम	१.५०
७७.	कादर अलारख	१.००
७८.	आईदान बुधाराम	०.५०
७९.	लादू मनरूप रैगर	०.६२
८०.	हाल्मा नारा	०.५०
८१.	मोहनलाल गोपालदास	८.००
८२.	मगना माम्बी	०.५०
८३.	पैमा गुलाब	१.७५
८४.	वजीरा मैदार मेरावत	०.६२
८५.	जमा खाना मेरावत	०.५०

Page No.93

८६.	मोती धन्ना मैरावत	०.५०
८७.	जैढा रूपा भाम्बी	१.७५
८८.	किशनचंद भूलजीमल सिंधी	२.००
८६.	प्यारेलाल श्यामसुन्दर	,,
६०.	विंजा गणेश रैगर	०.५०
६१.	राजीया भीका भाम्बी	२.३०
६२.	चुतरा रूपा जटीया	१.५०
६३.	मगना जेठा मेघवाल	०.५०
६४.	गोपीया हीरा रैगर	१.००
६५.	रामा हीरा रैगर	०.५०
६६.	मुसम्मात भीकी छगना जटीया	०.८७
६७.	टीकू मल्ला रेगर	०.६२
६८.	मगना रैगर	१.००
६६.	चुनी नैना भाम्बी	०.५०
१००.	पुखीया विजा रैगर	०.७५
१०१	बींजा वना	,,
१०२.	गंगाराम लाबुराम नाई	,,
१०३.	हीरालाल रूगनाथ भाट	२.००
१०४.	इमरती बेबा लालजी	०.७५
१०५.	लाला काना बलाई	५.००
१०६.	सूरजकरन जबाना भाम्बी	१.२५
१०७.	सुतलान आसीन तेली	१.५०
१०८.	केशी लालू मेघवाल	०.७५
१०६.	चन्द्रा मगना रैगर	,,
११०	किना मगना रैगर	०.५०
१११.	जीवन मगना रैगर	१.००
११२.	आईदान बुधाराम रैगर	०.[illegible]२
११३.	भैरा देवा जटीया	,,
११४	छोगा हुकमा रैगर	१.००
११५.	बिरदा ताजु मैराबत	१.२५

Page No.94

११६.	ज्ञानसिंह भोलासिंह सिक्ख	१.००
११७.	कालू दौला जोगी	०.७५
११८.	काना शम्भु माम्बी	,,
११९.	मीनीया भोमा जोगी	१.५०
१२०.	नैना भगा जोगी	०.२५
१२१.	पुष्पा भगा जोगी	,,
१२२.	शिवा काना जोगी	,,
१२३.	नैनी पैमा जोगी	१.२५
१२४.	भीमा काना जोगी	०.२५
१२५	भीका भैरा जोगी	,,
१२६.	मु. मुथरा जोगन	,,
१२७.	हाजी गफूर महम्मद छीपा	६.००
१२८.	नरसींग भगा राजपूत	४.००
१२९.	चतरादास गंगादास	२.००
१३०.	पुखराज गैराजी कुमार	८.००
१३१.	हनुमानदास रिणछोडदास	३.००
१३२.	लक्ष्मीनारायण गोपालदास	४.७५
१३३.	हाजी गफूर व पारसमल	११.००
१३४.	नारायण सूरता लवार	३.००
१३५.	निजाम गेन्दु लवार	,,
१३६.	रामकिशन मूलचन्दजी	५.००
१३७.	चतुरभुज नरसिंह धोबी	३.००
१३८	शोभाराम गुरूदत्तामल पन्जाबी	१.७५
१३९.	गोविन्दराम भारूमल	,,
१४०.	बिशन साईकिल वाला	,,
१४१.	सरदार दर्शनसिंह हरनामसिंह	,,
१४२.	किशनजीमल साधुमल सिंधी	,,
१४३.	भगवानदास [redacted]	,,
१४४.	भूरीबाई सिंधन	,,
१४५.	तीरथदास पेशुमल	५.००

Page No.95

१४६.	नाजुमल निहालचन्द	१.५०
१४७.	गिरधारीसिंह शिवसिंह	२.००
१४८.	मुभूर की जोजे गुलाब	१.००
१४६.	मु. गोगा फतु	२.००
१५०.	अलाबक्स खाजुजी छीपा	१.२५
१५१.	फात्मा हुसेनबक्स	१.५०
१५२.	चान्दखां राजूखां	२.००
१५३.	हाजी शरीफ व्यापारी	१.००
१५४.	मजीद सदीक शैख	१२.००
१५५.	बाबू रवाराव दासी	१.२५
१५६.	मोहनागिरी भोमगिरी	१.५०
१५७.	धन्नामल ठाकुरदास	,,
१५८.	उमेदराम हिम्मतराम	१.२५
१५६.	वागाराम हिम्मतराम	३.००
१६०.	अनारचन्द संतराम	१.५०
१६१.	बोरीदास लादूराम	,,
१६२.	हरीसिंह हेमसिंह	२.००
१६३.	आसुमल परचुमल	०.७५
१६४.	परमानन्द खुशालचन्द	१.५०
१६५.	लालमोहम्मद वलीमोहम्मद	०.५०
१६६.	मथुरादास बभूतदास खटीक	१.५०
१६७.	दाकुमल केवलराम	१.२५
१६८.	मोहनलाल पुनमचन्द भूतडा	३.००
१६६.	केशा लालू कलाल	२.००
१७०.	आटा किसना कुमार	,,
१७१.	चन्द्रसिंह जयसिंह राजपूत	१.५०
१७२.	देवीसिंह गुलाबसिंह बरेठ	५.००
१७३.	शंकरलाल पुरोहित	१.५०
१७४.	हरीराम पुनमचन्द माली	२.००
१७५.	रामसिंह हजारीसिंह राजपूत	५.००

१७६.	मगीया भूला राइका	३.००
१७७.	भंवरलाल दयाराम माली	,,
१७८.	वीरूमल होतचन्द सिन्धी	३.५०
१७६.	हीराचन्द दलुमल सिंधी	१.५०
१८०.	जयराज सोहनराज सोनी	१.२५
१८१.	तेजुराज घीसूलाल शराफ	७.००
१८२.	मुकनचन्द मुकनराज श्रोसवाल	१.००
१८३.	मेरा भगाराम सिंधी	,,
१८४.	जीवा चीमना सरगरा	१.२५
१८५.	अचला सागर चारनिया	०.५०
१८६.	भोजा सागर चारनीया	,,
१८७.	पेमा सागर चारनीया	,,
१८८.	दला चतुरा चारनीया	,,
१८६.	प्रभुचतरा चारनीया	,,
१६०.	दूधा चतरा चारनीया	,,
१६१.	हमीरा भगा चारनीया	,,
१६२	लखा भबा चारनीया	,,
१६३.	धूला रूपाय चारनींया	
१६४.	घीसा भावा चारनीया	,,
१६५.	लाल मेदा चारनीया	,,
१६६.	जोधा लाला चारनीया	,,
१६७	हीरदास धनदास चारनीया	,,
१६८.	[illegible]दा सूरा चारनीया	,,
१६६.	मूला मल[illegible]चारनीया	,,
२००.	गोविन्द हरा चारनीया	,,

२०१.	सूरपा वागा चारनीया	०.५०
२०२.	रूपा पुरा चारनीया	,,
२०३.	मोती वालू चारनीया	,,
२०४.	जीवा घीसा चारनीया	,,
२०५.	रामा सूरा चारनीया	,,
२०६.	खीमा मोती चारनीया	,,
२०७.	गोकल हीरा चारनीया	,,
२०८.	वालू वागा चारनीया	,,

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ११३९ का उत्तर देखिये)

नाम स्थान	व्यक्तियों की संख्या जिनको चालान किया गया	धाराओं का उल्लंघन और चालान किया गया											व्यक्तियों की संख्या जिनको सजा दी गई	व्यक्तियों की संख्या जिनको रिहा किया गया	स्थगित मुकद्दमों की संख्या
		धारा ४	धारा १२	धारा ३८	रूल ६	रूल १३	रूल १४	रूल १५	रूल १७	रूल १८	रूल २३	रूल २६			
अजमेर	५४	१४	१७	११			१२						२९	१७	८
ब्यावर	२५	७	९	—			९						२१	२	३
केकड़ी, नसीराबाद और देवली	४८	१७	१४	—			१७						१२	१६	२९
विजयनगर	—	—	—	—			—						—	—	—
योग	१२७	३८	४०	११			३८						६१	३५	३१

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११४४ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE INSTALLATION OF PUBLIC WATER TAPS.

1.	Near Naharsinghji ka hatha.	1.
2.	Ghodanka-chowk, Ramdeoji ki gali.	1.
3.	Near Baiji ka Talab.	1.
4.	Harijan Basti, Bagar.	1.
5.	I. C Road, Sardar Pura.	1.
6.	Between Road A & B near the house of Pusaram-SardarPura.	1.
7.	Artsan colony.	1.
8.	Back side of saint Andrews Hall, SardarPura.	1.
9.	Bhambhi colony.	1.
10.	Sindhiyoun ka bas.	1.
11.	Pipliy ka Mohalla, Brahmpuri.	1.
12.	Chowk, Chandpole	1.
13.	Pachatia Hill Fatehpole.	1.
14.	Bhagat ki Kothi Area.	1.

LIST OF INSTALLATION OF PUBLIC ELC POINTS.

*1.	Kumarian ka kuwa, Lakharon ka bas.	2.
2.	Chuney ki Bhati, Sardar Pura.	1.
3.	Bhambhi Gali, Choron ka chowk.	2.
4.	Lakharon ka Mohalla.	1.
5	Gandhi Gali, Choron-ka-chowk.	2,
6.	Rathanada Area.	4.
	1. Krishna Temple.	1.
	2. Deoji ka Temple.	1.
	3. Nagnath.	1.
	4. Opposite Shivji ka Temple.	1.
7.	Near Banaram's House, Soorsagar.	1,
8.	Mama ki Bari, Soorsagar.	2.
9.	Near Champasingh's House, Soorsagar.	1.
10.	Near Shivji ka Mandir, City Police.	1.
11.	Near Simrathrajji's House.	1.
12.	Daodidaron ka Chowk, Nayabas.	1.
13.	Kumaron ka Mandir, Nayabas.	1.
14.	Near Daulal's House, Nayabas.	1,
15.	Harijan Mandir, Soorsagar.	1.
16.	Jogion ka Bas, Chandpole.	4.
17.	Chuni ki Bhati, Sardarpura.	2
18.	Naikon ka Mohalla.	1.
19.	Ghoron ka Chowk, Mandir.	2.
20.	Near Golan Dozarki Masjid.	1.
21.	Idga Mohalla.	1.
22.	Bagar Mohalla.	3.
	Total :—	35.

2. The total expenditure on the installation of water taps and new-lights is Rs. 18,216. 54 N. P.

3. The amount was spent from the Municipal Funds during the month of March and April, 1958.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १० दिसम्बर, १६५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५६७७	८	गन्दग	गन्दगी
५६८६	१८	hauef lc	have file
,,	अन्तिम से २	श्री श्रीमानी	श्री श्रीमानसिंह
,,	अन्तिम	Publicity	Publicity and
५६६०	१३	the finding	the findings
६००७	अन्तिम से ३	१'६५	११६५
६०११	२	कु'ए	कुंए
६०२०	१५	असुवधा	असुविधा
६०२७	६	नकौरों	नौकरों
६०३२	२४	जस्टीफटइड	जस्टीफाइड
६०३७	१७	a ailable you are popounding	auailable you are propounding
६०३८	७	eapial	Capatal
६०४०	६	Shail	Shall
६०४१	२५	Yes sis	Yes sir
६०४	३१	ient	rent

१	२	३	४
६०४७	अन्तिम से ३	लम्वदार	लम्बरदार
६०४८	११	ैजोरिटी	मैजोरिटी
६०५५	१३	श्री दामोदग्लाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
६०५८	१४	all Priate	all private
६०५६	२१	संशोवित	संशोधित
६०६०	अन्तिम से ७	S६५८	१६५८
६०६८	२५	किसीन्ऐ या है	किसी ने किया है
६०८४	६	rew	new
६०८६	अन्तिम से ३	लाईटिग,	लाइटिंग
६०६३	६	मिश्चित	निश्चित
६०६८	अन्तिम से ६	Seale dversion	Scale divesion
६१००	२	म्युनि'सपेलिटीज	म्युनिसिपेलिटीज़
६१०५	अन्तिम	वेल्य	वेल्यू
६११८	१४	esta e	estate
६१२७	अन्तिम से २	gu) rum	quorum
६१२८	१३	manipulat	manipulated
,,	२१	Whe ther	Whether
६१३१	६	शा दामोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास